डाक-व्यय की पूर्व-अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. भोपाल-एम. पी. वि. पू. भु./04 भोपाल-2001

पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीज़न एम. पी. 108/भोपाल 2001.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 6] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 12 जनवरी 2001—पौष 22, शक 1922

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 12 जनवरी 2001

क्र. 495-इक्कीस-अ(प्रा.).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर दिनांक 5 जनवरी 2001 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. सिटोके, अतिरिक्त सचिव.

१५. गणपूर्ति.
१६. बहुमत द्वारा प्रश्नों का विनिश्चय.
१७. कार्यवाहियों के कार्यवृत्त.
१८. रिक्तियां आदि कार्यवाहियों को अविधिमान्य नहीं बनाएंगी.
१९. सम्मिलन की कार्यवाहियों का ठीक और वैध होना.
२०. परिषद् के सदस्यों को भत्ते.
२१. सह-चिकित्सा में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले किसी भी व्यक्ति को आमंत्रित करने की परिषद् की शक्ति.
२२. समितियां.

अध्याय—चार

परिषद् की शक्तियां और कृत्य

२३. परिषद् की शक्तियां और कृत्य.

अध्याय—पांच

सह-चिकित्सीय संस्थाएं और मान्यता

२४. कतिपय दशाओं में सह-चिकित्सीय अर्हता की मान्यता.
२५. कतिपय विद्यमान सह-चिकित्सीय संस्था के लिए अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए समय.
२६. भारत के विश्वविद्यालय या सह-चिकित्सीय संस्था द्वारा अनुदत्त सह-चिकित्सीय अर्हता को मान्यता.
२७. उन देशों की जिनके साथ व्यतिकारिता की स्कीम है, सह-चिकित्सीय संस्था द्वारा अनुदत्त सह-चिकित्सीय अर्हता को मान्यता.
२८. कतिपय सह-चिकित्सीय संस्थाओं द्वारा, जिनकी अर्हताएं, अनुसूची में सम्मिलित नहीं हैं, अनुदत्त सह-चिकित्सीय अर्हता को मान्यता.
२९. पाठ्यक्रमों और परीक्षाओं के संबंध में जानकारी की अपेक्षा करने की शक्ति.
३०. सह-चिकित्सीय संस्था का निरीक्षण.
३१. मान्यता का वापस लिया जाना.
३२. सह-चिकित्सीय शिक्षा का न्यूनतम स्तर.

अध्याय—छह

रजिस्ट्रार और अन्य अधिकारी तथा सेवक

३३. परिषद् के रजिस्ट्रार और अन्य अधिकारी तथा सेवक.
३४. रजिस्ट्रार के कर्तव्य.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १ सन् २००१.

मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद् अधिनियम, २०००.

[दिनांक ५ जनवरी, २००१ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक १२ जनवरी, २००१ को प्रथमबार प्रकाशित की गई.]

राज्य में सह-चिकित्सीय परिषद् की स्थापना करने और सह-चिकित्सीय व्यवसायियों द्वारा व्यवसाय करने तथा सह-चिकित्सीय शिक्षा को विनियमित करने के लिए उपबंध करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के इक्यावनवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

अध्याय—एक
प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद् अधिनियम, २००० है.

(२) इसका विस्तार संपूर्ण मध्यप्रदेश पर है.

(३) यह ऐसी तारीख को प्रवृत होगा जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियत करे.

परिभाषाएं.

२. इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "परिषद्" से अभिप्रेत है धारा ३ के अधीन स्थापित मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद्;

(ख) "सह-चिकित्सीय" से अभिप्रेत है सह-चिकित्सीय विषय में अर्हित कोई भी कार्मिक और जो—

(एक) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, १९५६ (१९५६ का सं. १०२) की धारा २ के खण्ड (एक) के अर्थ के अन्तर्गत चिकित्सा; या

(दो) मध्यप्रदेश होम्योपैथी परिषद् अधिनियम, १९७६ (क्रमांक १९ सन् १९७६) की धारा २ के खण्ड (घ) के अर्थ के अंतर्गत होम्योपैथी तथा जीव रसायन में चिकित्सा; या

(तीन) मध्यप्रदेश आयुर्वेदिक, यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा व्यवसायी अधिनियम, १९७० (क्रमांक ५ सन् १९७१) की धारा २ के खण्ड (ख), (ङ) तथा (उ) के अर्थ के अन्तर्गत क्रमशः आयुर्वेदिक पद्धति की चिकित्सा, प्राकृतिक-चिकित्सा तथा यूनानी पद्धति की चिकित्सा;

के अध्यापन तथा व्यवसाय में सहायता करते हों;

(ग) "सह-चिकित्सीय विषय" से अभिप्रेत है अनुसूची में वर्णित विषय;

(घ) "मान्यता प्राप्त सह-चिकित्सीय अर्हता" से अभिप्रेत है विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय द्वारा या इस निमित्त राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त किसी अन्य संस्था द्वारा किसी सह-चिकित्सीय विषय में दी गई कोई उपाधि, पत्रोपाधि या प्रमाणपत्र;

(ङ) "रजिस्ट्रीकृत सह-चिकित्सीय व्यवसायी" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई व्यक्ति;

(च) "राज्य रजिस्टर" है अभिप्रेत से इस अधिनियम के अधीन रखा गया रजिस्टर तथा अभिव्यक्ति "रजिस्ट्रीकृत" और "रजिस्ट्रीकरण" का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा.

(२) उपधारा (१) के खण्ड (छह) से (दस) के अधीन सदस्यों को राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा.

(३) कोई भी व्यक्ति एक समय में सदस्य के रूप में एक से अधिक हैसियत में सेवा नहीं करेगा.

(४) उपधारा (१) के अधीन पदेन, नामनिर्दिष्ट या निर्वाचित किये गये प्रत्येक व्यक्ति का नाम राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा.

सदस्यता के लिए निरर्हताएं.

५. कोई भी व्यक्ति परिषद् के सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट या निर्वाचित होने के लिए अर्ह नहीं होगा, यदि—

(क) वह भारत का नागरिक नहीं है; या

(ख) वह अनुन्मोचित दिवालिया है; या

(ग) वह विकृत चित्त का है और सक्षम न्यायालय द्वारा उसे इस प्रकार घोषित कर दिया गया है; या

(घ) वह नैतिक अधमता से अंतर्ग्रस्त किसी अपराध के लिए दण्डादिष्ट किया गया है; या

(ङ) वह परिषद् का कर्मचारी है और उसे वेतन या मानदेय द्वारा पारिश्रमिक दिया जाता है; या

(च) उसका नाम तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियम् के अधीन राज्य रजिस्टर में से या रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी या सह-चिकित्सीय व्यवसायी के रजिस्टर से हटा दिया गया हो.

परिषद् के नामनिर्दिष्ट सदस्यों की और नाम निर्देशिती की पदावधि.

६. (१) इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, निर्वाचित सदस्य परिषद् के प्रथम सम्मिलन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए पदधारण करेंगे :

परन्तु धारा ४ की उपधारा (१) के खण्ड (ग्यारह)के परन्तुक के अधीन नामनिर्दिष्ट सदस्य, निर्वाचित सदस्यों के अपने पद ग्रहण करने तक, पद धारण करेंगे और इस प्रकार निर्वाचित सदस्य धारा ४ की उपधारा (१) के खण्ड (छह) से (दस) के अधीन नामनिर्दिष्ट सदस्यों की अनवसित अवधि के लिए पद पर बने रहेंगे.

(२) व्यवसायिक परीक्षा मंडल, मध्यप्रदेश के अध्यक्ष का नामनिर्देशिती पूर्वोक्त अध्यक्ष के प्रसादपर्यन्त परिषद् के सदस्य का पद धारण करेगा.

(३) उपधारा (१) के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि का अवसान होते हुए भी, पद छोड़ने वाला सदस्य, अपने उत्तरवर्ती के यथास्थिति, नामनिर्देशन या निर्वाचन होने तक पद पर बना रहेगा.

नामनिर्दिष्ट या निर्वाचित सदस्य द्वारा त्यागपत्र.

७. परिषद् का नामनिर्दिष्ट या निर्वाचित सदस्य किसी भी समय अपने पद से, ऐसी रीति में जैसी कि विनियमों द्वारा विहित की जाए, त्यागपत्र दे सकेगा.

परिषद् के सदस्य के रूप में बने रहने के लिए निर्योग्यताएं.

८. (१) यदि परिषद् के पदेन सदस्य से भिन्न कोई सदस्य अपनी पदावधि की कालावधि के दौरान—

(क) परिषद् के लगातार तीन सम्मिलनों से परिषद् की अनुमति के बिना स्वयं अनुपस्थित रहता है; या

(ख) लगातार बारह मास से अधिक की कालावधि के लिये भारत से बाहर होने से अनुपस्थित रहता है; या

(ग) धारा ५ में विनिर्दिष्ट निरर्हताओं में से किसी निरर्हता से ग्रस्त हो जाता है; या

(घ) तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत चिकित्सीय व्यवसायी नहीं रहता है,

तो परिषद् उसका पद रिक्त घोषित करेगी :

गणपूर्ति.

१५. (१) परिषद् के सम्मिलन के लिये गणपूर्ति, परिषद् के सदस्यों की कुल संख्या की एक तिहाई होगी.

(२) यदि किसी समय सम्मिलन में गणपूर्ति नहीं है तो पीठासीन प्राधिकारी उसे ऐसे समय या ऐसी तारीख तक के लिए, जो वह उचित समझे, स्थगित करेगा और ऐसी घोषणा तत्काल करेगा और सम्मिलन के लिये रखे गये कामकाज को पश्चात्वर्ती सम्मिलन पर अग्रनीत करेगा चाहे ऐसे सम्मिलन में गणपूर्ति हो या न हो.

(३) सम्मिलन के लिये नियत किये गये कामकाज से भिन्न कोई भी कामकाज पश्चात्वर्ती सम्मिलनों में नहीं किया जाएगा.

(४) परिषद् के कार्यालय में या सम्मिलन के स्थान पर उस दिन जिसको सम्मिलन स्थगित किया जाए चिपकाई गई स्थगन की ऐसी सूचना पश्चातवर्ती सम्मिलन की पर्याप्त सूचना समझी जाएगी.

बहुमत द्वारा प्रश्नों का विनिश्चय.

१६. इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन अन्यथा उपबंधित के सिवाय, परिषद् के सम्मिलन के समक्ष लाए गए सभी प्रश्न, उपस्थित सदस्यों के बहुमत द्वारा विनिश्चित किए जाएंगे और मतों के बराबर होने की दशा में सम्मिलन की अध्यक्षता करने वाले पीठासीन प्राधिकारी को द्वितीय या निर्णायक मत देने का अधिकार होगा.

कार्यवाहियों के कार्यवृत्त.

१७. (१) परिषद् के प्रत्येक सम्मिलन की कार्यवाहियों के कार्यवृत्त उस प्रयोजन के लिये रखी जाने वाली पुस्तिका में अभिलिखित किए जाएंगे. उसमें उपस्थित परिषद् के सदस्यों के नाम कार्यवृत्त पुस्तिका में दर्ज किए जाएंगे और उन पर पीठासीन प्राधिकारी द्वारा, उसी या ठीक आगामी सम्मिलन में पुष्टिकरण के लिए हस्ताक्षर किए जाएंगे.

(२) परिषद् के प्रत्येक सम्मिलन की कार्यवाहियों के कार्यवृत्तों की एक प्रति उसकी पुष्टिकरण की तारीख से सात दिन के भीतर राज्य सरकार को अग्रेषित की जाएगी.

रिक्तियां आदि कार्यवाहियों को अविधिमान्य नहीं बनाएंगी.

१८. परिषद् का कोई भी कार्य या कार्यवाहियां केवल इस कारण अविधिमान्य नहीं होंगी कि—

(क) परिषद् में कोई स्थान रिक्त है या उसके गठन में कोई त्रुटि है; या

(ख) उसके सदस्य के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति के निर्वाचन या नामनिर्देशन में कोई त्रुटि है; या

(ग) उसकी प्रक्रिया में कोई ऐसी अनियमितता है जो मामले के गुणागुण पर प्रभाव नहीं डालती है.

सम्मिलन की कार्यवाहियों का ठीक और वैध होना.

१९. जब तक प्रतिकूल साबित न हो जाए, जब सम्मिलन के कार्यवृत्तों पर इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार हस्ताक्षर कर दिये गये हों, परिषद् का प्रत्येक सम्मिलन सम्यक् रूप से बुलाया गया समझा जाएगा.

परिषद् के सदस्यों को भत्ते.

२०. (१) परिषद् के सदस्यों को ऐसे यात्रा और अन्य भत्ते प्राप्त होंगे जैसे कि विनियमों द्वारा विहित किए जाएं :

परन्तु परिषद् के ऐसे सदस्य, जो सरकारी कर्मचारी हों, ऐसे भत्ते प्राप्त करने के हकदार नहीं होंगे.

(२) कोई भी सदस्य उपधारा (१) में यथा विनिर्दिष्ट किए गए संदाय से भिन्न किसी भी संदाय का हकदार नहीं होगा.

सह-चिकित्सा में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले किसी भी व्यक्ति को आमंत्रित करने की परिषद् की शक्ति.

२१. (१) परिषद् यदि यह आवश्यक समझे, अपने सम्मिलन में सह-चिकित्सा में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले किसी भी व्यक्ति को किसी विषय पर उसके विचारों को सुनने के लिये आमंत्रित कर सकेगी. ऐसे व्यक्ति को विषय पर चर्चा में भाग लेने का अधिकार होगा किन्तु परिषद् के सम्मिलन में मत देने का अधिकार नहीं होगा.

(२) आमंत्रिती ऐसे भत्ते प्राप्त करने के हकदार होंगे जैसे कि धारा २० में यथा विनिर्दिष्ट हों.

(ञ) अध्यापन एवं अन्य फीस को प्रभारित करने के लिये मानक तथा मार्गदर्शक सिद्धांत नियत करना ;

(ट) शिक्षा के क्षेत्र में किसी सह-चिकित्सीय निकाय या संस्था को चार्टर प्रदान करने के संबंध में राज्य सरकार को सलाह देना ;

(ठ) सह-चिकित्सीय संस्थाओं और सह-चिकित्सीय शिक्षा देने वाले विश्वविद्यालयों में छात्रों के प्रवेश के लिए मार्गदर्शन करना ;

(ड) किसी सह-चिकित्सीय संस्था का निरीक्षण करना या निरीक्षण करवाना ;

(ढ) परीक्षा संचालन करने हेतु स्तर की एकरूपता बनाये रखने के लिये बोर्ड का गठन करना ;

(ण) ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना जो नियमों द्वारा विहित किए जाएं ;

(त) धारा ४ की उपधारा (१) के खण्ड (ग्यारह)के अधीन सदस्यों के निर्वाचन का संचालन.

अध्याय—पांच
सह-चिकित्सीय संस्थाएं और मान्यता

कतिपय दशाओं में सह-चिकित्सीय अर्हता की मान्यता.

२४. जहां इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार राज्य सरकार की पूर्व अनुज्ञा के सिवाय कोई सह-चिकित्सीय संस्था स्थापित की जाती है या कोई सह-चिकित्सीय संस्था कोई नया या उच्चतर पाठ्यक्रम आरम्भ करती है वहां ऐसी सह-चिकित्सीय संस्था के किसी छात्र को अनुदत्त कोई भी सह-चिकित्सीय अर्हता इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए मान्यता प्राप्त सह-चिकित्सीय अर्हता नहीं होगी.

कतिपय विद्यमान सह-चिकित्सीय संस्थाओं के लिए अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए समय.

२५. यदि किसी व्यक्ति ने सह-चिकित्सीय संस्था स्थापित की है या किसी सह-चिकित्सीय संस्था ने नया या उच्चतर पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण आरंभ किया है या प्रवेश क्षमता में वृद्धि की है तो यथास्थिति, ऐसा व्यक्ति या सह-चिकित्सीय संस्था इस अधिनियम के प्रारंभ होने से एक वर्ष की कालावधि के भीतर इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार राज्य सरकार की अनुज्ञा प्राप्त करेगी.

भारत के विश्वविद्यालय या सह-चिकित्सीय संस्था द्वारा अनुदत्त सह-चिकित्सीय अर्हता की मान्यता.

२६. भारतीय चिकित्सा संस्था द्वारा अनुदत्त सह-चिकित्सीय अर्हताएं, जो भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, १९५६ (१९५६ का सं. १०२) की अनुसूची में सम्मिलित है, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए मान्यता प्राप्त सह-चिकित्सीय अर्हताएं होंगी.

उन देशों की जिनके साथ व्यतिकारिता की स्कीम है, सह-चिकित्सीय संस्था द्वारा अनुदत्त सह-चिकित्सीय अर्हता को मान्यता.

२७. (१) भारत के बाहर की आयुर्विज्ञान संस्थाओं द्वारा अनुदत्त सह-चिकित्सीय अर्हताएं जो भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, १९५६ (१९५६ का सं. १०२) की अनुसूची में सम्मिलित है, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए मान्यता प्राप्त सह-चिकित्सीय अर्हताएं होंगी.

(२) राज्य सरकार, परिषद् से परामर्श करने के पश्चात्, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यह निदेश देते हुए अनुसूची को संशोधित कर सकेगी कि उसमें किसी सह-चिकित्सीय अर्हता के संबंध में यह घोषित करते हुए एक प्रविष्टि की जाएगी कि वह मान्यता प्राप्त सह-चिकित्सीय अर्हता तभी होगी जब वह किसी विनिर्दिष्ट तारीख के पूर्व अनुदत्त की जाए.

(३) जहां परिषद् ने ऐसी किसी सह-चिकित्सीय अर्हता की सिफारिश करने से इंकार कर दिया है, जिसकी मान्यता के लिए प्रस्ताव उपधारा (२) में निर्दिष्ट किसी प्राधिकारी द्वारा किया गया है, और वह प्राधिकारी इस निमित्त

(२) परिषद्, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से ऐसे अन्य अधिकारियों तथा सेवकों को नियोजित कर सकेगी जिन्हें वह इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक समझे.

(३) रजिस्ट्रार और अन्य अधिकारियों तथा सेवकों की अर्हताएं, सेवा की शर्तें और वेतनमान ऐसे होंगे जैसे कि परिषद्, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से विनियमों द्वारा अवधारित करे.

(४) परिषद्, रजिस्ट्रार या किसी अन्य अधिकारी से अपने कर्तव्यों के सम्यक् निर्वहन के लिए ऐसी प्रतिभूति की अपेक्षा करेगी और लेगी जैसी कि परिषद् आवश्यक समझे.

(५) परिषद् द्वारा इस धारा के अधीन नियुक्त किया गया रजिस्ट्रार या कोई अन्य अधिकारी या सेवक भारतीय दण्ड संहिता, १८६० (१८६० का सं. ४५) की धारा २१ के अर्थ के अंतर्गत लोक सेवक समझे जाएंगे.

रजिस्ट्रार के कर्तव्य.

३४. (१) रजिस्ट्रार का यह कर्तव्य होगा कि वह इस अधिनियम और परिषद् द्वारा किये गये किसी आदेश के उपबंधों के अनुसार राज्य रजिस्टर रखे, उसे ऐसी रीति में, जैसी कि समय-समय पर विनियमों द्वारा विहित की जाए, पुनरीक्षित करे, उसे राजपत्र में प्रकाशित करे और ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करे जिनका इस अधिनियम और उसके अधीन बनाये गये नियमों तथा विनियमों के अधीन उसके द्वारा निर्वहन किये जाने के लिये उससे अपेक्षा हो या की जाए.

(२) रजिस्ट्रार यह देखेगा कि राज्य रजिस्टर यथासंभव सभी समयों पर सही है और वह समय-समय पर उसमें रजिस्ट्रीकृत सह-चिकित्सा व्यवसायियों के पते या उनकी अर्हताओं में हुए किसी सारवान परिवर्तन को प्रविष्ट कर सकेगा.

(३) रजिस्ट्रार, राज्य रजिस्टर में से रजिस्ट्रीकृत सह-चिकित्सा व्यवसायी का नाम हटा सकेगा जिसकी मृत्यु हो गई हो या जिसका नाम राज्य रजिस्टर में से हटाए जाने के लिये उसे निदेशित किया गया हो या जो सह-चिकित्सा व्यवसायी नहीं रह गया हो.

(४) व्यवसायी से सूचना प्राप्त होने पर यदि परिषद् का यह समाधान हो जाता है कि व्यवसायी ने व्यवसाय करना बन्द नहीं किया है तो परिषद् रजिस्ट्रार को निदेश दे सकेगी कि ऐसे व्यवसायी का नाम राज्य रजिस्टर में पुनः स्थापित करे और रजिस्ट्रार ऐसे निदेश का अनुपालन करेगा.

अध्याय—सात
परिषद् की निधि

परिषद् की निधि.

३५. (१) परिषद् एक निधि स्थापित करेगी जो परिषद् की निधि कहलाएगी.

(२) निम्नलिखित परिषद् की निधि के भाग रूप होंगे या उनका उसमें संदाय किया जाएगा :—

(क) केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा कोई अभिदाय या अनुदान ;

(ख) फीस और जुर्मानों से हुई आय को सम्मिलित करते हुए, परिषद् की समस्त स्रोतों से आय;

(ग) न्यास, संदान, विन्यास और अन्य अनुदान, यदि कोई हो;

(घ) परिषद् द्वारा प्राप्त समस्त अन्य धनराशियां.

अध्याय—आठ
रजिस्ट्रीकरण और राज्य रजिस्टर

रजिस्ट्रीकरण और राज्य रजिस्टर.

३९. (१) प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जो मान्यता प्राप्त अर्हता रखता है, रजिस्ट्रार को ऐसी अर्हता के सबूत प्रस्तुत करने और पांच सौ रुपये से अनधिक ऐसी फीस का संदाय करने पर जो कि विहित की जाए, राज्य रजिस्टर में नामांकन के लिए पात्र होगा और भिन्न-भिन्न अर्हताओं के लिए भिन्न-भिन्न फीस विहित की जा सकेगी.

(२) परिषद्, सह-चिकित्सा व्यवसायियों का एक राज्य रजिस्टर ऐसे प्ररूप में रखवाएगी जैसा कि विनियमों द्वारा विहित किया जाए.

(३) रजिस्ट्रार का यह कर्तव्य होगा कि वह इस अधिनियम के उपबंधों तथा परिषद् द्वारा किए गए किसी आदेश के अनुसार राज्य रजिस्टर रखे और उसे बनाए रखे और समय-समय पर रजिस्टर को ऐसी अन्य रीति में पुनरीक्षित करे और राजपत्र में प्रकाशित कराये जैसी कि विहित की जाए.

(४) ऐसा रजिस्टर, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, १८७२ (१८७२ का संख्यांक १) के अर्थ के अन्तर्गत लोक दस्तावेज समझा जाएगा.

राज्य रजिस्टर से किसी व्यक्ति का नाम प्रविष्ट किए जाने का प्रतिषेध करने या उसमें से हटाए जाने का आदेश देने की परिषद् की शक्ति.

४०. परिषद्, रजिस्ट्रार से निर्देश प्राप्त होने पर या अन्यथा आदेश द्वारा रजिस्टर में किसी ऐसे व्यक्ति का नाम प्रविष्ट किए जाने का प्रतिषेध कर सकेगी या उस रजिस्टर में से किसी ऐसे व्यक्ति का नाम हटाए जाने का आदेश दे सकेगी,—

(क) जिसे किसी दण्ड न्यायालय ने किसी ऐसे अपराध के लिए कारावास से दंडादिष्ट किया है जो परिषद् की राय में उसके चरित्र में कोई ऐसा दोष उपदर्शित करता हो कि जिससे राज्य रजिस्टर में उसका नामांकन किया जाना या राज्य रजिस्टर में उसके नाम का बना रहना अवांछनीय हो जाए ; या

(ख) जिसे परिषद् ने, जांच के पश्चात् परिषद् के सम्मिलन में उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत द्वारा, किसी वृत्तिक प्रसंग में गर्हित आचरण का दोषी पाया हो :

परन्तु इस धारा के अधीन कोई भी आदेश संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिए बिना पारित नहीं किया जाएगा.

राज्य रजिस्टर में परिवर्तन.

४१. (१) परिषद्, संबंधित व्यक्ति को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर देने और उसके आक्षेपों की, यदि कोई हों, जांच करने के पश्चात्, यह आदेश दे सकेगी कि राज्य रजिस्टर में की कोई ऐसी प्रविष्टि, जो परिषद् की राय में, कपटपूर्वक या गलती से की गई है, या करवा दी गई है, रद्द कर दी जाए या संशोधित की जाए.

(२) परिषद् किसी रजिस्ट्रीकृत सह-चिकित्सा व्यवसायी का नाम राज्य रजिस्टर में से सदैव के लिए या किसी विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए हटाए जाने का निदेश उन्हीं कारणों से दे सकेगी जिनके आधार पर परिषद् द्वारा रजिस्ट्रीकरण का धारा ४० के अधीन प्रतिषेध किया जा सकता है.

(३) परिषद् यह निदेश दे सकेगी कि उपधारा (२) के अधीन हटाया गया नाम, ऐसी शर्तों के, यदि कोई हों, जिन्हें परिषद् अधिरोपित करना उचित समझे, अध्यधीन रहते हुए, पुनः स्थापित किया जाए.

जांचों में प्रक्रिया.

४२. इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन किसी जांच के प्रयोजन के लिए, परिषद् या धारा २२की उपधारा (१) के अधीन नियुक्त कोई समिति, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, १८७२ (१८७२ का सं. १) और सिविल प्रक्रिया संहिता, १९०८ (१९०८ का सं. ५) के अर्थ के अंतर्गत न्यायालय समझी जाएगी, और यह लोक सेवक (जांच) अधिनियम,

(च) धारा २० की उपधारा (१) के अधीन परिषद् के सदस्यों को देय यात्रा तथा अन्य भत्ते ;

(छ) (एक) धारा २३ की उपधारा (२) के खण्ड (ख) के अधीन रजिस्ट्रार के विनिश्चय के कारण हुई अपीलों को सुनने और उन्हें विनिश्चित करने की रीति ;

(दो) धारा २३ की उपधारा (२) के खण्ड (ग) के अधीन वृत्तिक आचरण को विनियमित करने के लिये नीति विषयक संहिता ;

(ज) धारा ३३ की उपधारा (३) के अधीन रजिस्ट्रार और अन्य अधिकारियों तथा सेवकों की अर्हताएं, सेवा की शर्तें और वेतनमान ;

(झ) धारा ३४ की उपधारा (१) के अधीन राज्य रजिस्टर के पुनरीक्षण की रीति;

(ञ) धारा ३९ की उपधारा (१) के अधीन राज्य रजिस्टर का प्ररूप ;

(ट) कोई भी अन्य विषय जिसके लिये इस अधिनियम के अधीन विनियमों द्वारा उपबंध किया जा सकता हो.

(२) राज्य सरकार, मंजूरी के लिए विनियम प्राप्त होने पर उन्हें या तो ऐसे उपांतरणों के अध्यधीन रहते हुए, जैसे कि वह उचित समझे, मंजूर कर सकेगी या उन्हें पुनर्विचार के लिए परिषद् को लौटा सकेगी.

(३) समस्त विनियम राजपत्र में प्रकाशित किए जाएंगे.

(४) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, किसी भी विनियम को रद्द कर सकेगी.

अध्याय—दस
प्रकीर्ण

प्रमाण-पत्र को बेईमानी से उपयोग में लाने के लिये शास्ति.

४७. कोई भी व्यक्ति जो—

(क) इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र का बेईमानी से उपयोग करता है ; या

(ख) किसी मिथ्या या कपटपूर्ण घोषणा, प्रमाण-पत्र या व्यपदेशन को, चाहे वह लिखित में हो या अन्यथा, करके या पेश करके अथवा कराकर या पेश कराकर इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करता है या प्राप्त करने का प्रयत्न करता है ; या

(ग) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन जारी किए गए रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र से संबंधित किसी विषय में कोई भी मिथ्या व्यपदेशन जानबूझकर करता है या करवाता है, दोषसिद्धि पर, कारावास से, जो छह मास तक का हो सकेगा या जुर्माने, जो बीस हजार रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से, दंडनीय होगा.

परिषद् द्वारा दी जाने वाली जानकारी.

४८. परिषद् ऐसी रिपोर्ट, अपने ऐसे कार्यवृत्तों की प्रतिलिपियां, अपने ऐसे लेखाओं की संक्षिप्तियां (एक्सट्रेक्ट्स) तथा ऐसी अन्य जानकारी राज्य सरकार को देगी जो राज्य सरकार अपेक्षित करे.

अनुसूची संशोधित करने की शक्ति.

४९. राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, अनुसूची को इस प्रकार संशोधित कर सकेगी कि उसमें पहले विनिर्दिष्ट न किया गया कोई विषय सम्मिलित किया जा सके या उसमें से किसी विषय का लोप किया जा सके या किसी विषय के विवरण को उपान्तरित किया जा सके.

(१३) आर्थोटिक और कॉटेक्ट लेन्स.

(१४) ई.सी.जी. तकनीशियन.

(१५) अल्ट्रा साउन्ड.

(१६) एन्जियोग्राफी.

(१७) शल्य क्रिया कक्ष तकनीशियन.

(१८) मानव पोषण में उपाधि, पत्रोपाधि और प्रमाणपत्र.

(१९) डायलिसिस तकनीशियन.

(२०) इन्शूलेशन चिकित्सा तकनीशियन.

(२१) स्वास्थ्य निरीक्षक पाठ्यक्रम.

(२२) अस्पताल चिकित्सा अभिलेख विज्ञान.

(२३) कंपाउंडर (एलोपैथी, आयुर्वेदिक, यूनानी तथा होम्योपैथी).

(२४) बायोकेमी चिकित्सा पद्धति का कंपाउंडर.

(२५) शपनिक जीव रसायन (क्लीनिकल बायोकेमिस्ट्री)में पत्रोपाधि.

(२६) सूक्ष्म जीव विज्ञान (माइक्रोबायलाजी).

(२७) पैथोलाजी (व्याधिकी).

(२८) आपटोमेटरिक रिफरेक्शन.

(२९) सह-चिकित्सीय नेत्ररोग सहायक.

(३०) परफ्यूजनिस्ट/कार्डीयक सर्जरी तकनीशियन.

(३१) केथ प्रयोगशाला तकनीशियन.

भोपाल, दिनांक 12 जनवरी 2001

क्र. 496-इक्कीस-अ(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद् अधिनियम, 2000 (क्रमांक 1 सन् 2001) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. सिटोके, अतिरिक्त सचिव.

19. Proceeding of meeting to be good and valid.

20. Allowances to members of Council.

21. Power of Council to invite any person having special knowledge or experience in paramedicine.

22. Committees.

CHAPTER—IV
POWERS AND FUNCTIONS OF COUNCIL

23. Powers and functions of Council.

CHAPTER—V
PARAMEDICAL INSTITUTIONS AND RECOGNITION

24. Recognition of Paramedical qualification in certain cases.

25. Time for seeking permission for certain existing Paramedical Institution.

26. Recognition of paramedical qualification granted by University or Paramedical Institution in India.

27. Recognition of Paramedical qualification granted by Paramedical Institution in countries with which there is a scheme of reciprocity.

28. Recognition of Paramedical qualification granted by certain Paramedical institutions whose qualification are not included in the Schedule.

29. Power to require information as to courses of study and examinations.

30. Inspection of Paramedical institution.

31. Withdrawal of recognition.

32. Minimum standards of Paramedical Education.

CHAPTER—VI
REGISTRAR AND OTHER OFFICERS AND SERVANTS

33. Registrar and other officers and servants of Council.

34. Duties of Registrar.

CHAPTER—VII
FUND OF COUNCIL

35. Fund of Council.

36. Objects to which fund of Council shall be applied.

37. Accounts and Audit.

38. Budget.

Definitions.

2. In this Act, unless the context otherwise requires—

(a) "Council" means the Madhya Pradesh Sah Chikitsiy Parishad established under Section 3.

(b) "Paramedical" means any personnel qualified in paramedical subject and who helps in teaching or practice of—

(i) medicine within the meaning of clause (i) of section 2 of the Indian Medical Council Act, 1956 (No. 102 of 1956); or

(ii) medicine in Homoeopathy and Biochemistry within the meaning of clause (d) of section 2 of the Madhya Pradesh Homoeopathy Parishad Adhiniyam, 1976 (No. 19 of 1976); or

(iii) medicine in Ayurvedic System, Naturopathy and Unani system within the meaning of clauses (b) (e) and (i) respectiively of section 2 of the Madhya Pradesh Ayurvedic, Unani Tatha Prakritic Chikitsa Vyavsayi Adhiniyam, 1970 (No. 5 of 1971);

(c) "Paramedical subject" means the subject mentioned in the Schedule;

(d) "Recognised paramedical qualification" means a degree, diploma or certificate in any paramedical subject, granted by any University established by law or any other institution recognised by the State Government in this behalf.

(e) "Registered Paramedical Practitioner" means a person registered under this Act.

(f) "State Register" means a register maintained under this Act and expression "Registered" and "Registration" shall be construed accordingly.

CHAPTER—II

ESTABLISHMENT AND CONSTITUTION OF MADHYA PRADESH PARAMEDICAL COUNCIL

Establishment of Council.

3. (1) The State Government shall, as soon as may be, establish, by notification, a Paramedical Council with effect from such date as may be specified therein.

(2) The Council shall be a body corporate by the name of the Madhya Pradesh Paramedical, Council, and shall have perpetual succession and a common seal with power to acquire and hold, property both movable and immovable and subject to the provisions made under this Act, to transfer any property held by it and to contract and to do all other thing necessary for the purposes of its constitution and may sue and be sued in its corporate name.

Constitution of Council.

4. (1) The Council shall consist of the following members, namely:—

A—Ex-officio

(i) Hon. Minister for Medical Education.

(ii) Director Medical Education, Madhya Pradesh.

(iii) Director Health Services, Madhya Pradesh.

(iv) Director Indiginous System of Medicine, Madhya Pradesh.

(v) Chairman of the Vyavasayik Pariksha Mandal Madhya Pradesh or his nominee not below the rank of Controller.

(2) The nominee of the Chairman of the Vyavasayik Pariksha Mandal, Madhya Pradesh, shall hold office of member of the Council during the pleasure of the aforesaid Chairman.

(3) Notwithstanding the expiration of the term specified under sub-section (1) the outgoing member shall continue in office till the nomination or election, as the case may be, of his successor.

Resignation by nominated or elected member.

7. The nominated or elected member of the Council may at any time resign from his office in such manner as may be prescribed by the regulations.

Disabilities for continuing as member of Council.

8. (1) If any member other than ex-officio member of the Council, during the period of his office—

(a) absents himself from three consecutive meetings of the Council without the permission of the Council; or

(b) is absent out of India for a period exceeding twelve consecutive months; or

(c) becomes subject to any of the disqualifications specified in section 5; or

(d) ceases to be registered medical practitioner under any Act for the time being in force;

the Council shall declare his office as vacant :

Provided that no declaration shall be made under this sub-section unless a reasonable opportunity of being heard is given to the member concerned.

(2) Any member aggrieved by a declaration under sub-section (1) may prefer an appeal to the State Government within ninety days from the date of such declaration and the decision of the State Government thereon shall be final.

Filling of casual vacancies.

9. If a nominated or elected member of Council dies or resigns, or for any other cause whatsoever ceases to be a member, the vacancy, shall be filled, as soon as may be, by nomination or election, as the case may be, and the person so nominated or elected shall hold office for the unexpired term of his predecessor.

President and Vice-President of Council.

10. (1) Hon'ble Minister for Medical Education, Madhya Pradesh, shall be ex-officio President of the Council

(2) Director Medical Education, Madhya Pradesh shall be ex-officio Vice-President of the Council.

(3) The President and Vice-President shall, subject to the provisions of this Act, exercise such powers and perform such duties as may be prescribed by this Act or regulations thereunder.

CHAPTER—III

CONDUCT OF BUSINESS

Convening of meeting.

11. (1) The President of the Council shall call and fix the date of every meeting.

(2) The meeting of the Council shall be either ordinary or special.

(3) The notice of every meeting specifying the time and place thereof and the business to be transacted thereat, shall be despatched to every member fifteen clear days before an ordinary meeting and seven clear days before a special meeting.

19. until the contrary is proved, every meeting of the Council shall be deemed to have been duly convened when the minutes of the meeting have been signed in accordance with the provisions of this Act. **Proceeding of meeting to be good and valid.**

20. (1) The members of the Council shall receive such travelling and other allowances as may be prescribed by regulations : **Allowances of members of Council.**

Provided that the members of the Council who are Government employees shall not be entitled to receive such allowances.

(2) No member shall be entitled to any payment other than the payment as specified in sub-section (1).

21.(1) The Council may, it if thinks necessary, invite any person having special knowledge or experience in paramedicine to its meeting, to hear his views on the subject. Such person shall have right to take part in the discussion on the subject but shall not have the right to vote in the meeting of the Council. **Power of Council to invite any person having special knowledge or experience in paramedicine.**

(2) the invitee shall be entitled to receive such allowances as specified in section 20.

22. (1) The council may appoint, from time to time and for such period, a committee consisting of such number of its members as it may think fit and may refer to such committee for enquiry and report or for opinion any matter for the purposes of this Act. **Committees.**

(2) Every committee appointed under sub-section (1) shall at its first meeting select one of its member to be its Chairman.

(3) The mode of appointment of such committee, the summoning and holding of meetings and the conduct of business of such committee shall be such as may be prescribed by the regulations.

CHAPTER-IV

POWERS AND FUNCTIONS OF COUNCIL

23. (1) Subject to the provisions of this Act and the rules made thereunder, the Council shall exercise such powers and perform such funcitons as may be necessary for carrying out the purposes of this Act. **Powers and functions of Council.**

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing provision, the powers and the functions of the Council shall be—

(a) to maintain the State register of paramedical practitioners;

(b) to hear and decide appeals from the decision of the Registrar in such manner as may be prescribed by regulations;

(c) to prescribe by regulations a code of ethics for regulating the professional conduct of registered paramedical practitioners;

(d) to reprimand a registered paramedical practitioner, to suspend or remove the name from the State Register, or to take such other disciplinary action against him, as may, in the opinion of the Council, be necessary or expedient,

Recognition of paramedical qualification granted by Paramedical Institution in countries with which there is a scheme of reciprocity.

27. (1) The paramedical qualification granted by medical institutions outside India, which are included in the Schedule to the Medical Council Act, 1956 (No. 102 of 1956) shall be recognised paramedical qualifications for the purpose of this Act.

(2) The State Government after consultation with the Council may by notification in the Official Gazette amend the Schedule by directing that an entry be made therein in respect of any paramedical qualification declaring that it shall be recognised paramedical qualification only when granted before a specified date.

(3) Where the Council has refused to recommend any paramedical qualification which has been proposed for recognition by any Authority referred to in sub-section (2) and that Authority applies to the State Government in this behalf, the State Government after considering such application and after obtaining from the Council a report, if any, as to the reasons for any such refusal may by notification in the Official Gazette amend the Schedule so as to include such qualification therein and the provision of sub-section (2) shall apply to such notification.

Recognition of Paramedical qualification granted by certain Paramedical Institutions whose qualification are not included in the Schedule.

28. Any paramedical institution in India, which desires a paramedical qualification granted by it, to be included in the Schedule, may apply to the State Government with such application fee as may be fixed by regulation to have such qualification recognised and the State Government, after consulting the council, may by notification in the Official Gazette, amend the Schedule as to include such qualification therein, and any such notification may also direct that an entry shall be made in the last column of Schedule against such paramedical qualification declaring that it shall be a recognised paramedical qualification only when granted after a specified date.

Power to require information as to courses of study and examinations.

29. Every University or Paramedical Institution in India which grants a recognised paramedical qualification, shall furnish such information as the Council, may, from time to time, require as to the courses of study and examinations to be undergone in order to obtain such qualification, as to the ages at which such courses of study and examinations are required to be undergone and such qualifications conferred and generally as to the requisites for obtaining such qualification.

Inspection of Paramedical Institution.

30. The Council shall cause all Paramedical Institution to be inspected as and when deemed necessary.

Withdrawal of recognition.

31. (1) If it appears to the Council :—

(a) that the courses the study and examination to be undergone in or the proficency required from candidates at any examination held by any University or paramedical institution; or

(b) that the staff, equipment, accommodation, training and other facilities for instruction and training provided in such University or paramedical institution or in any college or other institution affiliated to that University do not conform to the standards prescribed by the Council;

the Council shall take action for the withdrawal of recognition.

(2). Before withdrawal of recognition the Council shall send a show cause notice to the Paramedical Institution or University specifying the period within which the reply shall be submitted.

(b) income of the Council from all sources including income from fees and fines;

(c) trust, donations, endowment and other grants, if any;

(d) all other sums received by the Council.

Objects to which fund of Council shall be applied.

36. The fund of the Council shall be applicable to the following objects, namely:—

(a) to the repayments of debts incurred by the Council for the purposes of this act and the Rules and Regulations made thereunder;

(b) to the expenses of any suit or legal proceedings to which the Council is a party;

(c) to the payment of salaries and allowances to the officers and servants of the Council;

(d) to the payment of allowances to the office bearers of the Council;

(e) to the payment of any expenses incurred by the Council in carrying out the provisions of this Act and the rules and regulations made thereunder;

(f) any other expenses incurred for the promotion and development of paramedical education, reserch and training, declared by the Council to be in the general interest of paramedical profession;

Accounts and Audit.

37. (1) The accounts of the Council shall be prepared before such date and at such intervals and in such manner as may be prescribed.

(2) The accounts of the Council shall be audited by the registered chartered accountant. The audit fee of the chartered accountant shall be fixed by the Council from time to time as per their regulations.

(3) As soon as the accounts of the Council are audited the Council shall send a copy thereof, together with a copy of the report of the Director Medical Education thereon, to the State Government in such manner as may be prescribed.

Budget.

38. (1) The Registar shall cause to be prepared, in such form as may be prescribed, a budget in respect of the financial year next ensuing, showing the estimated receipts and expenditure and shall cause it to be laid before the Council at such time and in such manner as may be prescribed.

(2) Within fifteen days from the date of the meeting in which the budget is passed, it shall be forwarded to the State Government.

(3) If the State Government is of the opinion that provisions of the budget so forwarded to it are not adequate for carrying out the purposes of this Act, it shall return the budget to the Council for such modifications as may be suggested by the State Government.

(4) The Council shall be competent to reappropriate such amounts as may be necessary from one head to another and within such heads or minor heads.

(5) The Council, may as and when required, pass a supplementary budget in such form and by such date as may be prescribed and the provisions of sub-sections (2), (3) and (4) shall apply to such supplementary budget.

Appeal against order of Council.

43. Any person:—

(1) whose application for enrolment in the State register is rejected under section 39 or 41; or

(2) whose entry in the State register is prohibited under section 40; or

(3) whose name, from the state Register is removed, may, within ninety days of order of rejection, prohibition or removal, as the case may be, appeal to the State Government and the decision of the State Government thereon shall be final.

Prohibition on practice except as provided in this Act.

44. (1) Save as provided in this Act, no person shall practice or hold himself out, whether directly or indirectly as practicing habitually for personal gain as a paramedical practitioner within the State.

(2) Any person who contravenes the provisions of sub-section (1) shall be punishable with imprisonment which may extend to six months or with fine which may extend to five thousand rupees or with both.

CHAPTER—IX

RULES AND REGULATIONS

Power to make rules.

45. (1) The State Government may make rules to carry out purposes of this Act.

(2) All rules made under this Act shall be laid on the table of the Legislative Assembly.

Power to make regulations.

46. (1)The Council may with the previous sanction of the State Government and subject to rules made under section 45 make regulations generally to carry out the purposes of this Act, and without prejudice to the generality of foregoing power, such regulations may provide for:—

(a) the management of the property of the Council and the maintenance and audit of its account;

(b) the manner of election of five members from the paramedical practitioners under clause (xi) of sub-section (1) of Section 4;

(c) the resignation by nominated or elected members of the Council;

(d) the powers and duties of the President and Vice President;

(e) the mode of appointment of committees, the summoning and holding of meetings and the conduct of business of such committees;

(f) the travelling and other allowances payable to the members of the council under sub-section (1) of Section 20;

(g) (i) the manner to hear and decide appeals from the decision of the Registrar under clause (b) of sub-section (2) of Section 23;

(ii) the code of ethics for regulating the professional conduct under clause (c) of sub-section (2) of Section 23;

(h) the qualification, the conditions of service and pay scale of the Registrar and other officers and servants under sub-section (3) of Section 33;

SCHEDULE

[*See* Section 2 (c)]

(1) Physiotherapy/Occupational therapy Course.
(2) Speech therapy Course.
(3) Audiologist.
(4) Laboratory Technician (Various types)
(5) X-ray Technician/Radiographer.
(6) B.C.G. Technicians
(7) Cyto Technicians.
(8) Ortho Technicians.
(9) Mould room Technicians.
(10) Gamma Camera Technician.
(11) Orthotic Technician.
(12) Optometrist.
(13) Orthotic and contact lens.
(14) E.C.G. Technicians.
(15) Ultra Sound.
(16) Angiography.
(17) Operation Theatre Technician.
(18) Degree, Diploma and Certificate in Human Nutrition.
(19) Dialysis Technician.
(20) Insulation Therapy Technician.
(21) Health Inspector Course.
(22) Hospital Medical record Science.
(23) Compounder (Allopathy, Ayurvedic, Unani And Homoeopathy)
(24) Compounder in Biochemic System of Medicine.
(25) Diploma in Clinical Biochemistry.
(26) Microbiology.
(27) Pathology.
(28) Optometri refraction.
(29) Paramedical Ophthalmic Assistant.
(30) Perfusionist/Cardiac Surgery Technician.
(31) Cath. Lab. Technician.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2001.

डाक व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति पत्र क्र. भोपाल-एम.पी. नि.पृ.भु./04 भोपाल-2002.

पंजी क्रमांक भोपाल डिवीजन एम. पी. 108/भोपाल/2002.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 496] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 18 अक्टूबर 2002—आश्विन 26, शक 1924

चिकित्सा शिक्षा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 18 अक्टूबर 2002

क्र. एफ. 5-46-2002-पचपन-चिशि-1.—मध्यप्रदेश सह चिकित्सीय परिषद् अधिनियम, 2000 (क्रमांक 1 सन् 2001) की धारा 34 तथा 39 के साथ पठित धारा 45 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद् (रजिस्टर का संधारण, प्रकाशन तथा पुनरीक्षण और अपील) नियम, 2001 है.

(2) ये "मध्यप्रदेश राजपत्र" में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. **परिभाषाएं.**—इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद् अधिनियम, 2000 (क्रमांक 1 सन् 2001);

(ख) "परिषद्" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 3 के अधीन गठित मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद्;

(ग) "प्ररूप" से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न प्ररूप;

(घ) "रजिस्टर" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 34 तथा 39 के अधीन संधारित रजिस्टर;

(ङ) "धारा" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा; और

(च) "वर्ष" से अभिप्रेत है केलेण्डर वर्ष.

7. **फीस का भुगतान करने की रीति.**—अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन भुगतान की जाने के लिए अपेक्षित फीस मनीआर्डर, मांगदेय (डिमांड ड्राफ्ट) द्वारा या नगद में भुगतान की जाएगी. उस दशा में, जबकि फीस का भुगतान नगद में किया गया हो, तो उसके लिए रजिस्ट्रार से एक रसीद अभिप्राप्त की जा सकेगी.

8. **अपील का ज्ञापन.**—(1) अधिनियम के अधीन प्रत्येक अपील—

(क) उस आदेश के, जिसके कि विरुद्ध अपील फाइल की जानी है, संसूचित किए जाने की तारीख से नब्बे दिन के भीतर फाइल की जाएगी;

(ख) फीस रुपये 200.00 (रुपये दो सौ) के भुगतान करने बावत् समाधानप्रद सबूत के साथ होगी;

(ग) लिखित में होगी;

(घ) में अपीलार्थी का नाम तथा पता विनिर्दिष्ट होगा;

(ङ) में उस आदेश की, जिसके कि विरुद्ध अपील फाइल की जाना है, तारीख विनिर्दिष्ट होगी;

(च) में वह तारीख विनिर्दिष्ट होगी जिस पर अपीलार्थी को आदेश संसूचित किया गया था;

(छ) में तथ्यों का स्पष्ट विवरण अन्तर्विष्ट होगा;

(ज) आवेदित अनुतोष संक्षेप में कथित होगा; और

(झ) अपीलार्थी द्वारा निम्नलिखित प्ररूप में हस्ताक्षरित तथा सत्यापित की जाएगी, अर्थात्:—

"मैं ..... उपरोक्त अपील के ज्ञापन में नामित अपीलार्थी, एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि इसमें जो भी कथित किया गया है वह मेरे सर्वोत्तम ज्ञान तथा विश्वास से सही है."

हस्ताक्षर

(2) अपील के ज्ञापन के साथ उस आदेश की, जिसके कि विरुद्ध अपील की गई है, अभिप्रमाणिकृत प्रति संलग्न होगी जब तक कि अपीलार्थी, अपील प्रस्तुत किए जाने के समय, अपील प्राधिकारी का समाधान न कर दे कि ऐसे लोप के लिए पर्याप्त कारण है, उस दशा में वह ऐसे समय के भीतर फाइल की जाएगी, जैसा कि उक्त प्राधिकारी द्वारा नियत किया जाए.

(3) अपील का ज्ञापन दो प्रतियों में होगा तथा वह या तो अपीलार्थी अथवा उसके अभिकर्ता द्वारा अपील प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा, या ऐसे प्राधिकारी को रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजा जाएगा. जब अपील, अपीलार्थी द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी अभिकर्ता द्वारा प्रस्तुत की जाए, तब उसके साथ उसे इस रूप में उसे नियुक्त करने वाले प्राधिकारी का सम्यक् रूप से स्टांपित पत्र संलग्न होगा.

9. **अपील का संक्षिप्ततः नामंजूर किया जाना.**—(1) यदि अपील का ज्ञापन नियम 8 की अपेक्षाओं में से समस्त या किसी अपेक्षा का पालन नहीं करता है, तो अपील संक्षिप्ततः नामंजूर की जा सकेगी :

परन्तु इस उप नियम के अधीन कोई भी अपील संक्षिप्ततः तब तक नामंजूर नहीं की जाएगी जब तक कि अपीलार्थी को अपील के ऐसे ज्ञापन में इस प्रकार संशोधन करने का, जिससे कि वह नियमों की अपेक्षाओं के अनुरूप हो जाए, ऐसा अवसर, जैसा कि अपील प्राधिकारी उचित समझे, न दे दिया जाए.

(2) कोई अपील ऐसे किन्हीं अन्य आधारों पर भी संक्षिप्ततः नामंजूर की जा सकेगी जो अपील प्राधिकारी द्वारा लेखबद्ध किये जाएंगे:

प्ररूप-दो

नामांकन के लिए आवेदन-पत्र का प्ररूप

(विनियम 5 देखिए)

प्रति,

रजिस्ट्रार,
मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद्,
भोपाल.

महोदय,

मैं, मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद् अधिनियम, 2000 (क्रमांक 1 सन् 2001) की धारा 39 के अधीन संधारित सह-चिकित्सीय व्यवसायियों के राज्य रजिस्टर में मेरा नाम नामांकित किए जाने के लिए निवेदन करता हूं. कृपया मुझे नामांकन का प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाए.

2. नामांकन के लिए आवश्यक जानकारी नीचे दी गई है:—

उपाधियों, पत्रोपाधियों, प्रमाण-पत्रों तथा शंसापत्रों की राजपत्रित अधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से अभिप्रमाणित प्रतियां इसके साथ संलग्न हैं.

3. रजिस्ट्रीकरण फीस के रूप में रुपये 400.00 मनीआर्डर / बैंक ड्राफ्ट क्रमांक . . . . . तारीख . . . . . द्वारा भेज दिए गए हैं.

1. नाम (बड़े अक्षरों में पूर्ण)
2. पिता/पति का नाम
3. पता
4. जन्म तारीख तथा आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख पर आयु
5. व्यवसाय का स्थान :
   (क) शहर अथवा ग्राम
   (ख) डाकघर
   (ग) जिला
6. अर्हताएं तथा उन्हें प्राप्त करने की तारीख
7. उस महाविद्यालय या संस्था का नाम, जहां से उसने परीक्षा उत्तीर्ण की हो
8. वह तारीख जिससे आवेदक ने व्यवसाय प्रारंभ किया हो.

क्र. एफ. 5-46-2002-पचपन-चिशि.-1.—मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद् अधिनियम, 2000 (क्रमांक 1 सन् 2001) की धारा 37 तथा 38 के साथ पठित धारा 45 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

नियम

1. संक्षिप्त नाम.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद् (लेखा, संपरीक्षा तथा बजट) नियम, 2001 है.

(2) ये ''मध्यप्रदेश राजपत्र'' में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. परिभाषाएं.—इन नियमों में जब कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) ''अधिनियम'' से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद् अधिनियम, 2000 (क्रमांक 1 सन् 2001);

(ख) ''परिषद्'' से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद्;

(ग) ''सरकार'' से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश सरकार;

(घ) ''अध्यक्ष'' से अभिप्रेत है परिषद् का अध्यक्ष; और;

(ङ) ''रजिस्ट्रार'' से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 33 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किया गया परिषद् का रजिस्ट्रार;

3. लेखा पुस्तकों का संधारण.—रजिस्ट्रार निम्नलिखित पुस्तकें तथा रजिस्टर संधारित करेगा, अर्थात्,—

(1) रोकड़ बही;

(2) खाता;

(3) आवक-जावक रजिस्टर जिसमें डाक संबंधी लेखा सम्मिलित है;

(4) अनुपयोजयस्टाक रजिस्टर;

(5) मुद्रित प्रमाण-पत्र के लिए स्टाक रजिस्टर;

(6) रसीद पुस्तकें;

(7) अनुदान के रजिस्टर;

(8) व्हाउचर नस्तियां;

(9) उपस्थिति रजिस्टर;

(10) अवकाश लेखाओं का रजिस्टर;

(11) परिषद् की अंशदायी भविष्य निधि के संधारण के लिए अपेक्षित रजिस्टर;

(12) सेवा पुस्तकें और;

(13) ऐसे अन्य रजिस्टर जो कि आवश्यक हों.

14. (1) रजिस्ट्रीकृत चार्टर्ड अकाउंटेंट से संपरीक्षा रिपोर्ट तथा संपरीक्षा प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर, परिषद् कोई विलंब किए बिना उसे संचालक, चिकित्सीय शिक्षा को उसकी टीका-टिप्पणी तथा रिपोर्ट के लिए अग्रेषित करेगी.

(2) संचालक, चिकित्सा शिक्षा, संपरीक्षा रिपोर्ट प्राप्त होने से पन्द्रह दिन के भीतर परिषद् को अपनी रिपोर्ट के साथ संपरीक्षा रिपोर्ट सरकार को अग्रेषित किए जाने के लिए वापिस कर देगा.

15. संचालक चिकित्सा शिक्षा से रिपोर्ट प्राप्त होने से तीन दिन के भीतर रजिस्ट्रार उक्त रिपोर्ट के साथ संपरीक्षा रिपोर्ट तथा संपरीक्षा प्रमाण-पत्र की प्रतियां अवलोकनार्थ तथा ऐसी कार्रवाई के लिए, जैसी की सरकार द्वारा उचित समझी जाए, सरकार को एक सीलबंद लिफाफे में भेजेगा.

16. परिषद् समय-समय पर उसके द्वारा नियत की गई संपरीक्षा फीस का भुगतान करेगी.

17. प्रत्येक वर्ष सितम्बर के माह में रजिस्ट्रार द्वारा, कार्यपालक समिति के निदेशों के अधीन क्रमशः प्ररूप-1 तथा प्ररूप-2 में आगामी 1 अप्रैल से प्रारंभ होने वाले अगले वित्तीय वर्ष के लिए परिषद् की आय तथा व्यय का अनंतिम प्राक्कलन तैयार किया जाएगा तथा परिषद् के सम्मुख विचारार्थ और मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया जाएगा.

18. ऐसे प्राक्कलन में परिषद् के उत्तरदायित्वों को पूरा करने तथा उसके उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने के लिए उपबंध होंगे. उसमें उसकी आमदनी की तरफ सामान्यतः प्रत्याशित समस्त आमदनी के अलावा ऐसे अनुदान, भी जैसे कि सरकार आवंटित करे तथा रजिस्ट्रीकरण और अन्य स्रोतों से प्राप्त होने वाली समस्त फीस सम्मिलित होगी.

19. परिषद् अपनी अगली बैठक में उसे इस प्रकार प्रस्तुत किए गए प्राक्कलनों पर विचार करेगी तथा उसे या तो किसी उपान्तरण के बिना या ऐसे उपांतरणों सहित, जैसे कि उचित समझे जाएं, मंजूर करेगी.

20. प्रत्येक वर्ष दिसम्बर के माह में या उसके पश्चात् वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व कार्यपालक समिति बजट संबंधी स्थिति का पुर्नविलोकन करेगी और यदि आवश्यक हुआ, तो एक अनुपूरक प्राक्कलन तैयार करने तथा उसे उसी रीति में विचारार्थ तथा अनुमोदनार्थ रखने के लिए रजिस्ट्रार को निदेश देगी मानों कि वह एक मूल प्राक्कलन हो.

21. परिषद् द्वारा ऐसा कोई भी व्यय उपगत नहीं किया जाएगा जिसके संबंध में बजट में या अनुपूरक या पुनरीक्षित बजट प्राक्कलनों में कोई उपबंध न हो.

प्ररूप-1

(नियम 17 देखिए)

मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद्, भोपाल

. . . . . वित्तीय वर्ष के लिए प्राप्तियों का बजट प्राक्कलन

सरल क्रमांक	लेखा शीर्ष	31 मार्च 200. . को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष की वास्तविक रकम	वर्ष 200 . .-200 . के लिए मंजूर प्राक्कलन	वर्ष 200 .-200 . . के लिए पुनरीक्षित प्राक्कलन	वर्ष 200 .-200. के लिए प्रस्तावित प्राक्कलन	परिषद् द्वारा वर्ष 200 -200 के लिए मंजूर प्राक्कलन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

(घ) "रिटर्निंग अधिकारी" से अभिप्रेत है परिषद् के सदस्यों के निर्वाचनों के प्रयोजन के लिए परिषद् द्वारा नियुक्त किया गया अधिकारी.

3. रिटर्निंग अधिकारी, परिषद् के रजिस्ट्रार से, अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (ग्यारह) के प्रयोजन के लिए . . . .कालावधि के भीतर नामांकित सह-चिकित्सीय व्यवसायियों की एक सूची हिन्दी में देवनागरी लिपि में बनवाएगा. ऐसी सूची प्ररूप-एक में तैयार की जाएगी तथा वह मतदाता सूची कहलाएगी.

4. (1) इस प्रकार तैयार की गई मतदाता सूची परिषद् द्वारा "मध्यप्रदेश राजपत्र" में प्रकाशित की जाएगी और इस प्रकार प्रकाशित की गई सूची, परिषद् के कार्यालय के सूचना पटल पर एक ऐसी सूचना —

(क) जिसके द्वारा उसके संबंध में आपत्तियां तथा उसके बारे में दावे आमंत्रित करते हुये उन्हें परिषद् के रजिस्ट्रार को सूचना की तारीख से 30 दिन के भीतर प्रस्तुत किये जाने; और

(ख) परिषद् के रजिस्ट्रार द्वारा ऐसी आपत्तियों तथा दावों, यदि कोई हों, की सुनवाई के लिए तारीख तथा समय नियत करते हुये प्रदर्शित की जायेगी.

(2) खण्ड (1) में निर्दिष्ट सूचना की तारीख से ऐसी सूची, नामांकित सह-चिकित्सीय व्यवसायियों तथा उक्त व्यवसाय से संबंधित अन्य व्यक्तियों द्वारा परिषद् के कार्यालय में ऐसे दिनों पर कार्यालय समय के दौरान निःशुल्क निरीक्षण के लिए खुली रहेगी.

5. (1) ऐसा कोई व्यक्ति, जिसका नाम मतदाता सूची में प्रविष्ट नहीं किया गया है या गलत स्थान में या गलत विशिष्टियों सहित प्रविष्ट किया गया है या ऐसा कोई व्यक्ति, जिसका नाम सूची में प्रविष्ट किया गया है और जो अपने स्वयं के नाम को या किसी अन्य व्यक्ति के नाम को उस सूची में सम्मिलित किए जाने के बारे में आपत्ति करता हो, तो वह विनियम 4 के खण्ड (1) के अधीन सूचना की तारीख से तीसवें दिन 3 बजे अपरान्ह तक, लिखित में एक आवेदन-पत्र परिषद् के रजिस्ट्रार को परिदत्त करते हुए दावा या आपत्ति कर सकेगा तथा उस समय के पश्चात् प्राप्त कोई भी दावा या आपत्ति ग्रहण नहीं की जाएगी.

(2) ऐसे दावे या आपत्ति के साथ ऐसे दस्तावेज संलग्न होंगे, जिन पर दावेदार या आपत्तिकर्ता विश्वास करता है.

6. (1) रजिस्ट्रार, दावों तथा आपत्तियों के बारे में ऐसी संक्षिप्त जांच करने के पश्चात्, जैसा कि वह उचित समझे, अपना निश्चय अभिलिखित करेगा.

(2) इस विनियम के अधीन किसी कार्यवाही में किसी भी व्यक्ति का प्रतिनिधित्व किसी विधि व्यवसायी द्वारा नहीं किया जाएगा.

(3) रजिस्ट्रार का विनिश्चय अंतिम होगा तथा मतदाता सूची ऐसे विनिश्चय के अनुसार संशोधित की जाएगी.

(4) इस प्रकार संशोधित की गई मतदाता सूची अंतिम होगी तथा उसकी एक प्रमाणित प्रति परिषद् के कार्यालय में अभिलेख हेतु रखी जाएगी.

7. प्रत्येक नामांकित सह-चिकित्सीय व्यवसायी को रु. दस फीस का भुगतान करने पर विनियम 6 के खण्ड (4) में निर्दिष्ट मतदाता सूची का निरीक्षण करने का अधिकार होगा तथा उसकी अभिप्रमाणित प्रति उस फीस का भुगतान करने पर, जो कि राजस्व अभिलेखों की प्रतियां प्राप्त करने के लिए विहित की गई है, किसी आवेदक को जारी की जा सकेगी.

8. (1) विनियम 6 के खण्ड (4) में निर्दिष्ट मतदाता-सूची उस समय तक प्रवृत्त रहेगी, जब तक कि वह खण्ड (2) के अनुसार पुनरीक्षित न की जाए.

(2) जब कभी सामान्य निर्वाचन होना हो, तब मतदाता सूची पुनरीक्षित की जाएगी तथा आदिनांक बनाई जाएगी और विनियम 4, 5 तथा 6 के उपबंध ऐसे पुनरीक्षण को लागू होंगे.

14. (1) रिटर्निंग अधिकारी द्वारा नामनिर्देशन-पत्रों की संवीक्षा के लिए नियत की गई तारीख तथा समय पर प्रत्येक अभ्यर्थी और उसका प्रस्तावक तथा समर्थक रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में उपस्थित रह सकेंगे जो उन्हें पूर्वोक्तानुसार उसके द्वारा प्राप्त समस्त अभ्यर्थियों के नामनिर्देशन-पत्रों की जांच करने के लिए अनुज्ञात करेगा.

(2) रिटर्निंग अधिकारी तब नामनिर्देशन-पत्रों की जांच करेगा तथा उन समस्त आपत्तियों को विनिश्चित करेगा, जो कि किसी नामांकन-पत्र के संबंध में प्रस्तुत की जाएं और या तो ऐसी आपत्ति पर स्वप्रेरणा से, ऐसी संक्षिप्त जांच, यदि कोई हो, के पश्चात्, जैसा कि वह आवश्यक समझे, निम्नलिखित आधारों में से किसी आधार पर नामनिर्देशन-पत्र अस्वीकार कर सकेगा, अर्थात :—

(क) अभ्यर्थी अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन किसी स्थान को भरने के लिए चुने जाने हेतु निरर्हित है;

(ख) प्रस्तावक या समर्थक किसी नामनिर्देशन-पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए निरर्हित है;

(ग) नामनिर्देशन-पत्र पर अभ्यर्थी या प्रस्तावक के हस्ताक्षर वास्तविक नहीं हैं; और

(घ) नामनिर्देशन-पत्र की संवीक्षा की तारीख पर अधिनियम के अधीन संधारित राज्य रजिस्टर में अभ्यर्थी का नाम विद्यमान नहीं है और यह कि वह मध्यप्रदेश का निवासी नहीं है.

15. (1) अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (ग्यारह) के अधीन किसी निर्वाचन की दशा में, यदि निर्वाचन लड़ने वाले सम्यक् रूप से नामनिर्देशित किए गए अभ्यर्थियों की संख्या पांच से अधिक न हो अर्थात् उक्त उपखंड के अधीन निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की संख्या ही हो, तो रिटर्निंग अधिकारी तत्काल ऐसे अभ्यर्थियों को निर्वाचित घोषित करेगा.

(2) यदि ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या पांच से अधिक हो, तो रिटर्निंग अधिकारी तत्काल उनके नाम तथा पते मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित करेगा तथा मतपत्र में, जो कि प्ररूप तीन में होगा, उनके नाम प्रविष्ट करवाएगा.

(3) सम्यक् रूप से नामनिर्देशित किया गया कोई भी अभ्यर्थी, मध्यप्रदेश राजपत्र में उसका नाम प्रकाशित होने के सात दिन के भीतर, रिटर्निंग अधिकारी को एक लिखित तथा हस्ताक्षरित नाम वापस लेने संबंधी पत्र भेजकर अपनी अभ्यर्थिता वापिस ले सकेगा और उसके लिए यह अनुज्ञेय नहीं होगा कि वह बाद में इस प्रकार नाम वापिस लेने वाले पत्र को रद्द कर दे.

(4) नाम वापिस लेने संबंधी ऐसी सूचना की प्राप्ति पर, रिटर्निंग अधिकारी, नाम वापस लेने बाबत् ऐसे तथ्य को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित करेगा.

(5) निर्वाचन की दशा में, रिटर्निंग अधिकारी निर्वाचन के लिए नियत तारीख से तीस दिन पूर्व, समस्त मतदाताओं को रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा एक सूचना भेजेगा जिसके साथ प्ररूप-चार में एक घोषणा-पत्र तथा प्ररूप-तीन में एक मतपत्र होगा जिसमें समस्त अभ्यर्थियों के नाम हिन्दी में वर्णक्रमानुसार देवनागरी लिपि में मुद्रित होंगे. रिटर्निंग अधिकारी उपरोक्त सामग्री के साथ समस्त मतदाताओं को प्रारूप-पांच में निर्वाचन के लिए अनुदेश भी भेजेगा, जिसके साथ ऐसा एक स्वयं का पता लिखा हुआ लिफाफा भी होगा जिस पर "मत-पत्र लिफाफा" मुद्रित होगा जो मत-पत्र वापस करने के लिए होगा. उसके साथ रिटर्निंग अधिकारी को सम्यक रूप से संबोधित एक अतिरिक्त लिफाफा भी होगा जो उक्त लिफाफे को उसमें रखने के लिए होगा जो या तो डाक द्वारा या व्यक्तिगत रूप से परिदान करने के लिए होगा.

(6) खण्ड (5) में निर्दिष्ट अन्य सामग्री के साथ एक मत-पत्र भी ऐसे किसी निर्वाचक को प्रदाय किया जाएगा, जो निर्वाचन के लिए नियत तारीख के पूर्व रिटर्निंग अधिकारी को उस हेतु आवेदन करे परंतु यह तब जब कि रिटर्निंग अधिकारी का यह समाधान हो जाए कि उसे उस समय तक मतपत्र प्रदाय नहीं किया गया है.

(7) ऐसा निर्वाचक जिसने यथास्थिति मतपत्र तथा अन्य सामग्री डाक द्वारा प्राप्त न की हो या जिसने प्राप्ति के पश्चात् उन्हें खो दिया है या जिसने रिटर्निंग अधिकारी को उक्त मतपत्र भेजने के पूर्व अवधानता के कारण खराब कर दिया है, निर्वाचन के लिए नियत तारीख से सात दिन पूर्व मतपत्र पुनः जारी करने के लिए ऐसी घोषणा के साथ, जैसी कि आवश्यक हो, लिखित में निवेदन कर सकेगा. वह खराब मतपत्र ऐसे उक्त निवेदन के साथ रिटर्निंग अधिकारी को लौटायेगा तथा रिटर्निंग अधिकारी, दूसरा मतपत्र जारी करने से पूर्व ऐसे मतपत्रों को रद्द करेगा.

20. (1) रिटर्निंग अधिकारी, मतपत्रों की संवीक्षा तथा गणना के लिए नियत दिन पर एवं नियत समय पर स्वयं उपस्थित रहेगा :

परन्तु यह कि इस प्रयोजन के लिए नियत किया गया दिन किसी भी दशा में निर्वाचन की तारीख से तीन दिन के पश्चात् का नहीं होगा.

(2) मतपत्र रखे समस्त लिफाफे, सिवाय उन लिफाफों के जो विनियम 16 के अधीन अस्वीकृत कर दिए गए है, खोले जाएंगे तथा समस्त मतपत्र बाहर निकालकर आपस में मिला दिए जाएंगे और संवीक्षा करने के पश्चात् गणना की जाएगी.

(3) मतपत्र अविधिमान्य होगा —

(क) यदि उस पर रिटर्निंग अधिकारी के हस्ताक्षर न हों; या

(ख) यदि उस पर मतदाता के हस्ताक्षर हैं या ऐसा कोई चिन्ह या लिखावट है जिसके द्वारा मतदाता को पहचाना जा सकता है; या

(ग) यदि उसमें किसी अभ्यर्थी के नाम के सामने मताधिकार का प्रयोग किए जाने बाबत् गुणित चिन्ह '×' न हो; या

(घ) यदि उसमें पांच से अधिक अभ्यर्थियों के नाम के सामने चिन्ह '×' हो या यदि मतपत्र में ऐसे स्थान पर '×' का चिन्ह लगा हो, जिससे कि यह शंकास्पद हो जाए कि दो अभ्यर्थियों में से किस अभ्यर्थी को मत दिया जाना आशयित था.

21. (1) मतगणना की प्रक्रिया पर नजर रखने के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रह सकेगा या उसके द्वारा लिखित सम्यक रूप से प्राधिकृत किए गए किसी प्रतिनिधि को भेज सकेगा.

(2) रिटर्निंग अधिकारी, यदि अपेक्षित किया जाए, तो अभ्यर्थियों या उनके प्रतिनिधियों को मतपत्र दिखाएगा.

(3) यदि किसी मतपत्र के बारे में इस आधार पर आपत्ति की जाए कि वह उसमें दिए गए अनुदेशों का पालन नहीं करता है या रिटर्निंग अधिकारी द्वारा कोई मतपत्र अस्वीकार कर दिया गया है, तो वह आपत्ति रिटर्निंग अधिकारी द्वारा तत्काल ही विनिश्चित की जाएगी सका विनिश्चय विनियम 23 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए अंतिम होगा.

(4) रिटर्निंग अधिकारी, मतपत्रों की संवीक्षा करने तथा उनकी गणना करने के प्रयोजन के लिए उतनी संख्या में राजपत्रित अधिकारी युक्त कर सकेगा, जैसा कि वह आवश्यक समझे.

22. (1) जब मतों की गणना पूर्ण कर ली गई हो, तब रिटर्निंग अधिकारी निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की एक सूची तत्काल तैयार करेगा तथा उनके नामों के सामने उनके द्वारा प्राप्त किए गए विधिमान्य मतों की संख्या अभिलिखित करेगा तथा उनमें से ऐसे अभ्यर्थियों निर्वाचित घोषित करेगा जिन्होंने अवरोही क्रम में सबसे बड़ी संख्या में वैध मत प्राप्त किए हैं.

(2) जब किन्ही अभ्यर्थियों के बीच में बराबर-बराबर मत हों और एक मत के जुड़ने से कोई भी उम्मीदवार निर्वाचित घोषित किए ने का हकदार हो जाए, तब ऐसे अभ्यर्थी का अवधारण, जिसे ऐसा अतिरिक्त मत दिया जाना समझा जाये, लॉट डालकर किया जाएगा रिटर्निंग अधिकारी द्वारा ऐसी रीति में निकाला जाएगा जैसा कि वह अवधारित करे.

23. मतगणना पूरी हो जाने पर तथा रिटर्निंग अधिकारी द्वारा परिणाम घोषित कर दिए जाने के पश्चात् वह मतपत्रों तथा निर्वाचन से धित अन्य समस्त दस्तावेजों को सीलबंद करेगा और उसे छह मास की न्यूनतम कालावधि के लिए या उसके पश्चात् ऐसे समय के लिए, ा कि वह उचित समझे, रखे रहेगा और उसके पश्चात् उन्हें नष्ट करवा देगा.

24. रिटर्निंग अधिकारी निर्वाचन का परिणाम परिषद् को तथा सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग को संसूचित करेगा तत्पश्चात् उसे मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित करेगा.

10. समर्थक के हस्ताक्षर .....

11. समर्थक का रजिस्ट्रीकरण क्रमांक .....

12. समर्थक के निवास का पता .....

अभ्यर्थी का घोषणा-पत्र

मैं, एतद्द्वारा, परिषद् के सदस्य के निर्वाचन के लिए मेरी अभ्यर्थिता स्वीकार करता हूं.

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

नामनिर्देशन पत्र ..... को ..... बजे प्राप्त हुआ.

रिटर्निंग अधिकारी के हस्ताक्षर

अनुदेश

1. ऐसा नामनिर्देशन-पत्र जो ..... को या उसके पूर्व ..... तक (स्थान) ..... पर प्राप्त न हो, अस्वीकृत कर दिया जाएगा.

2. प्रस्तावक तथा समर्थक के नाम तथा उनके निवास के वही पते लिखे जाएं, जो कि परिषद् द्वारा संधारित राज्य रजिस्टर में अभिलिखित किए गए हो.

प्ररूप-तीन

(विनियम 11 का खंड (ख) देखिए)

मतपत्र

1. सरल क्रमांक .....

2. मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद् .....

3. निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की संख्या ..... पांच

सरल क्रमांक (1)	अभ्यर्थी का नाम तथा उसका पता (2)	मतदान का चिन्ह (3)
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		

रिटर्निंग अधिकारी के हस्ताक्षर

(ग) मतपत्र को उस लिफाफे में रखें जो कि उस प्रयोजन के लिए आशयित है और उक्त लिफाफा बंद करें; और

(घ) खण्ड (ग) में निर्दिष्ट लिफाफे को घोषणा-पत्र के साथ पूर्व में भेजे गए एक बड़े लिफाफे में रखें जो कि रिटर्निंग अधिकारी को संबोधित है और उसे घोषणा-पत्र के साथ या तो डाक द्वारा भेजे या व्यक्तिगत रूप से रिटर्निंग अधिकारी को ..... को पांच बजे अपरान्ह तक या उसके पूर्व निश्चित रूप से परिदत्त करें.

2. मतपत्र अस्वीकृत हो जाएगा, यदि —

(क) वह लिफाफा जिसमें ऐसा लिफाफा अंतर्विष्ट है, जो मतपत्र के लिए आशयित है, निर्वाचन के लिए नियत तारीख, समय तथा स्थान पर या तो डाक द्वारा या व्यक्तिगत रूप से परिदत्त नहीं किया जाए; या

(ख) बाह्य लिफाफे में ऐसा घोषणा-पत्र अंतर्विष्ट न हो, जो कि सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित है; या

(ग) प्राप्त घोषणा-पत्र उस प्ररूप में, जो कि मतदाता को रिटर्निंग अधिकारी द्वारा भेजा गया था, न होकर किसी अन्य प्ररूप में है; या

(घ) मतपत्र उस लिफाफे में नहीं रखा गया है, जो कि उस प्रयोजन के लिए आशयित है तथा वह बाह्य लिफाफे में प्राप्त हुआ है; या

(ङ) बाह्य लिफाफे में एक से अधिक मतपत्र या घोषणा-पत्र या दोनों ही भेजे गए हैं; या

(च) मतदाता ने मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद् में उसके रजिस्ट्रीकरण क्रमांक के बारे में मतपत्र पर प्रविष्टि करने में चूक की है.

3. मतपत्र अविधिमान्य होगा, यदि —

(क) उस पर रिटर्निंग अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं हैं; या

(ख) उस पर मतदाता के हस्ताक्षर हैं या ऐसा कोई चिन्ह या लिखावट है जिसके द्वारा मतदाता की पहिचान की जा सकती है; या

(ग) उसमें उपयुक्त स्थान पर '×' चिन्ह नहीं है; या

(घ) उसमें निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों में से पांच से अधिक के नाम के सामने '×' चिन्ह है; या

(ङ) उसमें '×' चिन्ह ऐसे स्थान पर है, जिससे यह शंकास्पद हो जाता है कि दो अभ्यर्थियों में से किस अभ्यर्थी को मत देना आशयित था.

4. यदि मतपत्र तथा अन्य संलग्न-पत्रों के संबंध में अनवधानता के कारण ऐसी रीति में कोई कार्यवाही की गई है जिससे कि सुविधाजनक रूप से उनका उपयोग नहीं किया जा सकता, तो निर्वाचन के लिए नियत तारीख से सात दिन पूर्व वे रिटर्निंग अधिकारी को इस लिखित निवेदन के साथ वापिस किए जा सकते हैं कि उन्हें पुनः जारी किया जाय तथा उनके बदले में रिटर्निंग अधिकारी, यदि उसका मतदाता द्वारा दिए गए ब्यौरेवार कारण से समाधान हो जाए, एक नया मतपत्र अन्य दस्तावेजों के साथ जारी कर सकेगा.

5. मतपत्रों की संवीक्षा तथा गणना के समय अभ्यर्थियों तथा उनके प्रतिनिधियों तथा उनके प्रतिनिधियों से भिन्न किसी भी व्यक्ति को रिटर्निंग अधिकारी द्वारा अनुज्ञात नहीं किया जाएगा. तथापि, रिटर्निंग अधिकारी उन अधिकारियों तथा सेवकों को, जो कि इस निमित्त उसकी सहायता के लिए नियुक्त किए गए हैं, अनुज्ञात कर सकेगा.

परिषद का अध्यक्ष

करेगा. ऐसी कार्यसूची तैयार करने में, परिषद् के सदस्यों से प्राप्त प्रस्तावों की सूचनायें, यदि कोई हो, सम्मिलित करेगा. प्रत्येक बैठक की सूचना रजिस्ट्रार द्वारा यथास्थिति, परिषद् या समिति के समस्त सदस्यों को रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजी जाएगी. ऐसी सूचना में बैठक की तारीख, समय तथा स्थान और ऐसी बैठक में संपादित किए जाने वाले कामकाज की कार्यसूची कथित होगी.

6. (1) कोई भी प्रस्ताव ग्राह्य नहीं होगा —

(क) यदि वह विषय, जिससे कि वह संबंधित है, परिषद् या समिति के कृत्यों की परिधि के अंतर्गत नहीं है; या

(ख) यदि वह सारभूत रूप से किसी संकल्प या संशोधन के रूप में वही प्रश्न उपस्थित करता है जो कि उस बैठक में, जिसमें कि उसे एक नए संकल्प के रूप में लाने की वांछा की गई है, छह मास के भीतर लाया गया हो और या तो विनिश्चित किया गया हो या वापस ले लिया गया हो :

परंतु यह कि इन विनियमों में की कोई भी बात उस प्रयोजन के लिए बुलाई गई परिषद् की विशेष बैठक में ऐसे प्रस्ताव को ग्राह्य करने या परिषद् की किसी बैठक में किसी ऐसे विषय पर, जो कि राज्य सरकार द्वारा परिषद् को निर्दिष्ट किया गया हो, आगे विचार-विमर्श करने से प्रतिषिद्ध नहीं करेगी; या

(ग) यदि वह स्पष्टत: तथा संक्षिप्तत: अभिव्यक्त न किया गया हो या उसमें एक से अधिक विचारार्थ विषय उठाये गये हैं; या

(घ) यदि उसमें तर्क, अनुमान, व्यंगात्मक अभिव्यक्ति या अपमानजनक कथन अंतर्विष्ट हो या वह तुच्छ हो या यदि वह कोई संशोधन हो तो वह मूल प्रस्ताव का केवल नकारात्मक स्वरूप का हो.

(2) अध्यक्ष ऐसे किसी प्रस्ताव या संशोधन को, जो कि उसकी राय में, खण्ड (1) के अधीन अग्राह्य है, नामंजूर कर देगा.

(3) जब अध्यक्ष किसी प्रस्ताव को नामंजूर कर दे या संशोधित कर दे, तब रजिस्ट्रार उस सदस्य को, जिसने प्रस्ताव की सूचना दी है यथास्थिति, नामंजूर किये जाने यावत् आदेश या उस स्वरूप की सूचना देगा जिसमें प्रस्ताव संशोधित किया गया है.

7. कार्यपालन समिति की बैठक में, तीन सदस्यों की उपस्थिति से तथा अन्य समिति की बैठकों में तीन सदस्यीय समिति के लिये एक सदस्य की उपस्थिति से, चार से छह सदस्यीय समिति के लिये, दो सदस्यों की उपस्थिति से तथा सात से नौ सदस्यीय समिति के लिये, तीन सदस्यों की उपस्थिति से गणपूर्ति होगी.

8. (1) किसी समिति की कोई बैठक प्रारंभ नही की जाएगी या चालू नहीं रखी जाएगी, यदि अपेक्षित गणपूर्ति के लिये अपेक्षित सदस्य उपस्थित न हों. यदि कोई बैठक करने के लिये नियत समय से 30 (तीस) मिनट के दौरान, उपस्थित सदस्यों की संख्या गणपूर्ति के बराबर न हो तो वह बैठक स्थगित हो जाएगी तथा वह स्थगित बैठक उसी स्थान पर और ऐसे समय पर तथा उसी दिन या दूसरे दिन, या किसी अन्य दिन की जाएगी, जैसा कि सभापति द्वारा नियत किया जाए.

(2) यदि , स्थगित बैठक से भिन्न किसी बैठक के दौरान किसी भी समय अध्यक्ष/सभापति यह पाता है कि अपेक्षित गणपूर्ति करने वाले सदस्य उपस्थित नहीं है, तो वह या तो गणपूर्ति होने तक उस बैठक को निलंबित करेगा या दूसरे दिन के लिये बैठक को स्थगित करेगा.

(3) किसी भी बैठक को ऐसे प्रस्ताव द्वारा, जो यथास्थिति बैठक में उपस्थित सदस्यों के बहुमत से किसी भी समय प्रस्तुत तथा पारित किया गया हो या अध्यक्ष/सभापति द्वारा किसी भी समय स्थगित किया जा सकेगा यदि उसकी राय में यह आवश्यक है कि बैठक को भविष्य में किसी तारीख के लिये या उसी दिन किसी समय के लिये स्थगित किया जाए.

(4) किसी भी स्थगित बैठक के लिये कोई गणपूर्ति या कोई सूचना आवश्यक नहीं होगी. यदि बैठक किसी भविष्यकालीन दिन के लिये स्थगित की गई है और यदि समय अनुज्ञात करता है, तो रजिस्ट्रार उन सदस्यों को, जो उपस्थित नहीं थे, स्थगित बैठक की तारीख,

14. किसी भी प्रस्ताव को शब्दों के—

(क) लोप, अंत:स्थापन या जोड़े जाने के द्वारा; या

(ख) किन्हीं मूल शब्दों के स्थान पर शब्दों के प्रतिस्थापन द्वारा,

संशोधित किया जा सकेगा.

15. जब कोई प्रस्ताव या संशोधन लाया गया हो तथा उसका समर्थन किया गया हो, तो प्रस्ताव लाने वाले तथा समर्थन करने वाले सदस्य से भिन्न कोई सदस्य यथास्थिति, उस प्रस्ताव या संशोधन के बारे में उस क्रम में बोल सकेगा, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दे :

परन्तु यह कि किसी प्रस्ताव या संशोधन का समर्थन, अध्यक्ष की अनुमति से यथास्थिति प्रस्ताव या संशोधन का समर्थन करने तक स्वयं को सीमित रखेगा तथा वाद-विवाद के किसी पश्चात्वर्ती प्रक्रम पर उसके बारे में बोल सकेगा.

16. अध्यक्ष, वाद-विवाद के दौरान किसी भी समय, चर्चा में सदस्यों की सहायता करने के लिये किसी बिन्दु को स्पष्ट करने हेतु कोई आपत्ति उठा सकेगा, या कोई सुझाव या जानकारी दे सकेगा.

17. (1) मूल प्रस्ताव का प्रस्तावक और यदि अध्यक्ष द्वारा अनुज्ञात किया गया हो, तो किसी संशोधन का प्रस्तावक अंतिम उत्तर देने के अधिकार का हकदार होगा. अन्य कोई भी सदस्य सिवाय अध्यक्ष की अनुज्ञा के किसी भी प्रस्ताव पर एक बार से अधिक नहीं बोलेगा :

परंतु यह और कि कोई भी सदस्य वाद-विवाद के किसी भी प्रक्रम पर व्यवस्था का प्रश्न उठा सकेगा, किन्तु उस बिन्दु पर कोई भाषण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा :

परंतु यह और कि वह सदस्य, जो प्रस्ताव पर बोल चुका है, उस प्रस्ताव के ऐसे किसी संशोधन पर, जो बाद में लाया गया है, पुन: बोल सकेगा.

(2) कोई भी सदस्य, सिवाय अध्यक्ष की अनुमति के, अध्यक्ष द्वारा नियत किए गए समय से अधिक समय तक नहीं बोलेगा.

(3) कोई भी भाषण, प्रस्ताव की विषय-वस्तु या उसमें किए जाने वाले संशोधन की विषय-वस्तु तक ही सीमित रहेगा.

(4) ऐसा कोई सदस्य, जो परिषद् या समिति के समक्ष किसी विषय पर कोई भाषण करे या कोई संप्रेषण करने की वांछा करे, भाषण करेगा और अध्यक्ष / सभापति को संबोधित करेगा.

(5) यदि किसी समय अध्यक्ष अपने स्थान पर खड़ा हो जाए तो बोलने वाला सदस्य तत्काल अपना स्थान ग्रहण कर लेगा.

18. (1) जब किसी प्रस्ताव या संशोधन पर वाद-विवाद चल रहा हो, तो उसके संबंध में निम्नलिखित से भिन्न कोई प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा —

(क) यथास्थिति, प्रस्ताव का या संशोधन का कोई संशोधन;

(ख) प्रस्ताव या संशोधन पर वाद-विवाद को या तो किसी विनिर्दिष्ट तारीख के लिए या अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने के लिए कोई प्रस्ताव;

(ग) वाद-विवाद की समाप्ति के लिए, अर्थात् इस बात के लिए प्रस्ताव कि अब प्रश्न रखा जाए;

(4) कार्यवृत्त, यदि वे परिषद् या समिति को उसी बैठक में या अगली बैठक में पढ़कर सुनाए जाते है तथा उन्हें सही होना स्वीकृत किया जाता है और यदि अध्यक्ष/सभापति इस टिप्पणी के साथ उन पर हस्ताक्षर कर देते हैं कि वे यथास्थिति, परिषद् या समिति को पढ़कर सुनाए गए थे तथा सही पाए गए थे, तो यह समझा जाएगा कि उनकी पुष्टि कर दी गई है.

25. परिषद् के कार्यवृत्त, उनकी पुष्टि किए जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, पन्नों (शीट) पर लिखे जाएंगे तथा उस पुस्तक (वाल्यूम) में, जो स्थायी रूप से परिरक्षित की जाएगी, अंत:स्थापित किए जाने के लिए लगातार पृष्ठांकित किए जाएंगे. ऐसी पुस्तक की एक प्रति परिषद् के प्रत्येक सदस्य को नि:शुल्क प्रदाय की जाएगी. उसकी प्रतियां जनता को ऐसी कीमत पर, जो कि परिषद् द्वारा नियत की जाए, विक्रय की जा सकेंगी.

26. परिषद् के सदस्यों के लिए यथाशक्य संभव, किसी बैठक में व्यक्त किए गए मतों तथा वाद-विवाद की रिपोर्ट को ऐसी रीति में जैसा भी संभव हो, सही रखा जाएगा. बैठक की विस्तृत कार्यवाही, जो कि गोपनीय समझी जाएगी, कार्यालय में रजिस्ट्रार के पास रखी जाएगी तथा अध्यक्ष की अनुमति के अध्यधीन रहते हुए निरीक्षण किए जाने हेतु सदस्यों के लिए खुली रहेगी. बंद कमरे की कार्यवाहियों की कोई प्रति प्रदाय नहीं की जाएगी किन्तु सदस्य द्वारा उसका केवल निरीक्षण किया जा सकेगा.

परिषद का अध्यक्ष

क्र. एफ. 5-46-2002-पचपन-चिशि-1.—मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद् अधिनियम, 2000 (क्रमांक 1 सन् 2001) की धारा 20 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 46 की उपधारा (1) के खंड (च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद्, राज्य सरकार की पूर्व अनुज्ञा से, एतद्द्वारा, निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :—

विनियम

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.—(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद्, सदस्य (यात्रा तथा अन्य भत्ते) विनियम, 2001 है.

(2) वे मध्यप्रदेश राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे.

2. परिभाषाएं.—इन विनियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद् अधिनियम, 2001 (क्रमांक 1 सन् 2001); और

(ख) "परिषद्" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 3 के अधीन गठित मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद्; और

(ग) "सदस्य" से अभिप्रेत है ऐसे सदस्यों को छोड़कर, जो सरकारी कर्मचारी है, परिषद् के सदस्य.

3. यात्रा तथा दैनिक भत्ता.—परिषद् के सदस्य परिषद् के कार्य के संपादन के लिए अपने कर्तव्यों के निर्वहन के संबंध में उनके द्वारा की गई यात्रा के लिए, राज्य सरकार के "क" श्रेणी के अधिकारियों के लिए अनुज्ञेय दरों के बराबर यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता पाने के हकदार होंगे.

4. (1) बैठक के स्थान पर निवास करने वाले सदस्य को वाहन व्यय की पूर्ति करने के लिए केवल रु. 100/- प्रतिदिन की दर से वाहन भत्ता दिया जाएगा.

(2) ऐसे सदस्य को, उस सदस्य को सम्मिलित करते हुए, जो बैठक के स्थान पर निवास करता है, ऐसे प्रत्येक दिन या उसके किसी भाग के लिए, जिस पर कि वह परिषद् की या उसकी समितियों में से किसी समिति की बैठक में उपस्थित रहता है, रु. 150/- प्रतिदिन की दर से बैठक भत्ते का भुगतान किया जाएगा :

परंतु यदि कोई सदस्य एक ही दिन से अधिक बैठकों में उपस्थित रहता है, तो भत्ता केवल एक बैठक के लिए ही देय होगा.

केवल रु. . . . . के	श्री/श्रीमती/डॉ.	रु. . . . . (रु. . . . .
भुगतान के लिए पारित	को (तारीख . . . . . पर	. . . . .)केवल
(रु. . . . . केवल)	रु. . . . . (. . . . .)	की राशि प्राप्त की गई
	का भुगतान किया गया तथा	
कोषालय रजिस्ट्रार	रोकड बही के पृ. क्र. . . . . पर	
भुगतान करें रु.	प्रविष्टि की गई.	तारीख प्राप्तिकर्ता
(रु. . . . . केवल)		

अध्यक्ष
मध्यप्रदेश सह चिकित्सीय परिषद्,
भोपाल.

क्र. एफ. 5-46-2002-पचपन-चिशि-1.—मध्यप्रदेश सह चिकित्सीय परिषद् अधिनियम, 2000 (क्रमांक 1 सन् 2001) की धारा 7 के साथ पठित धारा 46 की उपधारा (1) के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद्, राज्य सरकार की पूर्व अनुज्ञा से, एतद्द्वारा, निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :--

विनियम

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.—(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद्, नाम निर्देशित या निर्वाचित सदस्यों द्वारा त्यागपत्र का दिया जाना विनियम, 2001 है.

(2) ये मध्यप्रदेश राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. परिभाषाएं.—इन विनियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) ''अधिनियम'' से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद् अधिनियम, 2000 (क्रमांक 1 सन् 2001);

(ख) ''परिषद्'' से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा-3 के अधीन गठित मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद्; और

(ग) ''प्रारूप'' से अभिप्रेत है इन विनियमों के संलग्न प्ररूप; और

(घ) ''रजिस्ट्रार'' रजिस्ट्रार से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 33 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किया गया रजिस्ट्रार;

3. त्याग-पत्र दिया जाना.—(1) परिषद् का नाम-निर्देशित या निर्वाचित ऐसा कोई भी सदस्य, जो अपने पद से त्याग-पत्र देने की वांछा करता है, प्ररूप ''क'' में उसके द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित लिखित में अपना त्याग-पत्र परिषद् के अध्यक्ष को या तो स्वयं या इस निमित्त उसके द्वारा लिखित में प्राधिकृत किसी प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करेगा.

(2) त्यागपत्र प्राप्त होने पर, रजिस्ट्रार वह तारीख तथा वह समय, जिस पर कि उसे त्यागपत्र दिया गया है, लिखेगा तथा प्ररूप (ख) में उसकी एक रसीद प्रदान करेगा.

4. त्याग-पत्र स्वीकार किया जाना.—(1) खंड (3) के अधीन त्याग-पत्र प्राप्त होने पर, रजिस्ट्रार ऐसे त्याग-पत्र की एक प्रति तत्काल ही सरकार को सूचना के लिए अग्रेषित करेगा.

(2) नाम-निर्देशित या निर्वाचित सदस्य के त्याग-पत्र पर परिषद् द्वारा आगामी बैठक में विचार किया जाएगा.

(3) बैठक की सूचना समस्त सदस्यों को, जिसमें वह सदस्य सम्मिलित है, जिसने त्याग-पत्र प्रस्तुत किया है, दी जाएगी.

क्र. एफ. 5-46-2002-पचपन-चिशि-1.—मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद् अधिनियम, 2000 (क्रमांक 1 सन् 2001) की धारा 33 की उपधारा (3) के साथ पठित धारा 46 के खंड (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद्, राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से, एतद्द्वारा, निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :—

विनियम

1. **संक्षिप्त नाम.**—इन विनियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद्, (भरती तथा सेवा की शर्तें) विनियम, 2001 है.

2. **परिभाषाएं.**—इन विनियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) ''अधिनियम'' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद् अधिनियम, 2000 (क्रमांक 1 सन् 2001);

(ख) ''अनुशासनिक प्राधिकारी'' से अभिप्रेत है वह सक्षम प्राधिकारी जिसे इन विनियमों में निर्दिष्ट शास्तियां अधिरोपित करने की शक्तियां है;

(ग) ''कर्मचारी'' से अभिप्रेत है, ''परिषद् के कर्मचारी'';

(घ) ''सरकार'' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश सरकार;

(ङ) ''सरकारी सेवक'' से अभिप्रेत है सरकारी सेवा में कोई सिविल पद धारण करने वाला कर्मचारी या जो सरकारी सेवा से परिषद् में प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया गया है;

(च) ''अधिकारी'' से अभिप्रेत है अनुसूची-एक में प्रथम वर्ग तथा द्वितीय वर्ग के रूप में वर्गीकृत वह व्यक्ति जो किसी भी नाम से कहा जाता हो;

(छ) ''पदोन्नति समिति'' से अभिप्रेत है परिषद् द्वारा समय-समय पर गठित की गई समिति;

(ज) ''पद'' से अभिप्रेत है अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट कोई पद;

(झ) ''रजिस्ट्रार'' से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 33 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किया गया परिषद् का रजिस्ट्रार;

(ञ) ''धारा'' से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा;

(ट) ''चयन समिति'' से अभिप्रेत है सेवा में अभ्यर्थियों की सीधी भर्ती करने के प्रयोजन के लिए गठित समिति;

(ठ) ''सेवा'' से अभिप्रेत है इन विनियमों के विनियम 4 के अधीन गठित मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद् सेवा;

(ड) ''अनुसूची'' से अभिप्रेत है इन विनियमों से संलग्न अनुसूची;

(ढ) ''अनुसूचित जाति'' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन अनुसूचित जाति के रूप में विनिर्दिष्ट कोई जाति, मूलवंश या जनजाति या किसी जाति, मूलवंश या जनजाति का कोई भाग या समूह;

(ग) उस अभ्यर्थी के संबंध में भी जो सरकारी कर्मचारी है अथवा रहा है, नीचे विनिर्दिष्ट की गई सीमाओं तक तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए उच्चतर आयु में भी शिथिलता दी जाएगी :—

(एक) वह अभ्यर्थी, जो स्थायी या अस्थायी सरकारी कर्मचारी है, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए, यह रियायत आकस्मिकता निधि से भुगतान पाने वाले कर्मचारियों, कार्यभारित कर्मचारियों तथा परियोजना क्रियान्वयन समितियों में कार्य कर रहे कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी.

(दो) उस अभ्यर्थी को, जो छंटनी किया गया सरकारी कर्मचारी है, अधिकतम 7 वर्ष तक की सीमा के अधीन रहते हुए, उसके द्वारा पूर्व में की गई समस्त अस्थायी सेवाओं की कालावधि अपनी आयु में से घटाने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, भले ही वह एक से अधिक दौर में की गई हो :

परन्तु इस प्रकार पारिणामिक आयु उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो.

स्पष्टीकरण.—अभिव्यक्ति ''छटनी किया गया शासकीय सेवक'' से द्योतन ऐसे व्यक्ति से है जो छह माह से अन्यून ऐसी लगातार अवधि के लिए इस राज्य की अस्थायी शासकीय सेवा में था तथा जो रोजगार कार्यालय में उसके रजिस्ट्रीकरण की तारीख या परिषद् की सेवा में नियोजन के लिए अन्यथा आवेदन देने की तारीख के तीन से अनधिक वर्ष पूर्व में स्थापना में की गई कमी के कारण सेवामुक्त किया गया था.

(तीन) उस अभ्यर्थी को, जो भूतपूर्व सैनिक है, उसके द्वारा पूर्व में की गई प्रतिरक्ष की समस्त सेवा की अवधि को अपनी आयु में से घटाने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, बशर्ते कि पारिणामिक आयु, उच्चतर आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो.

स्पष्टीकरण.—अभव्यक्ति ''भूतपूर्व सैनिक'' से द्योतन ऐसे व्यक्ति से है, जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी प्रवर्ग का है तथा जो 6 माह की लगातार कालावधि के लिए भारत सरकार के अधीन नियोजित था तथा जो मितव्ययिता इकाई की सिफारिश के परिणामस्वरुप किसी रोजगार कार्यालय में उसके रजिस्ट्रेशन की तारीख से या परिषद् की सेवा में नियोजन के लिए अन्यथा आवेदन देने की तारीख के पूर्व 3 वर्ष से अनधिक कालावधि में स्थापना में सामान्य कमी के कारण छंटनी किया गया था या अतिरिक्त घोषित किया गया था :—

(1) वह भूतपूर्व सैनिक, जो मस्टरिंग आऊट रियायतों के अधीन निर्मुक्त किया गया था;

(2) वह भूतपूर्व सैनिक, जो दूसरी बार भरती किया गया था तथा

''(क) अल्पकालिक नियोजन के पूर्ण होने पर,

(ख) भरती की शर्तों को पूरी करने पर, सेवोन्मुक्त किया गया था '';

(3) वह मद्रास सिविल इकाई का भूतपूर्व कर्मिक था;

(4) वे अधिकारी, (सैनिक तथा सिविल) जो अपनी-अपनी संविदा के पूर्ण होने पर सेवोन्मुक्त किए गए है (जिसमें अल्पकालिक सेवा के नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी सम्मिलित है);

(5) वे अधिकारी, जो छुट्टी के कारण हुई रिक्तियों के विरुद्ध निरंतर 6 माह से अधिक समय तक कार्य करने के पश्चात् सेवोन्मुक्त किए गए हैं;

(6) वे भूतपूर्व सैनिक जो अशक्तता के कारण सेवा से हटाए गए हैं;

(3) फीस.—अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विहित फीस का संदाय करना होगा.

9. निरर्हताएं.—(1) किसी भी अभ्यर्थी द्वारा अपनी अभ्यर्थिता हेतु किसी भी साधन से समर्थन प्राप्त करने के लिए किए गए किसी भी प्रयास के कारण नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उस अभ्यर्थी को चयन हेतु निरर्हित ठहराया जा सकेगा.

(2) ऐसा कोई भी अभ्यर्थी, जिसके एक से अधिक जीवित पति/पत्नी हैं या जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है, जिसका पूर्व से ही पति/पत्नी है, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि नियुक्ति प्राधिकारी का इस बाबत समाधान हो जाए कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है, तो वह ऐसे किसी भी अभ्यर्थी को इस खण्ड उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा.

(3) कोई भी अभ्यर्थी सेवा में के किसी भी पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा,—

(क) यदि वह किसी प्राधिकारी, सरकारी या स्थानीय प्राधिकारी की सेवा से दुराचरण के कारण पदच्युत किया गया है;

(ख) यदि वह ऐसे अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया है जिसमें नैतिक अधमता अंतर्ग्रस्त है.

(4) कोई भी अभ्यर्थी सेवा में किसी भी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक कि वह चिकित्सीय परीक्षा के पश्चात् मानसिक तथा शारीरिक रूप में योग्य न पाया जाए तथा ऐसे मानसिक या शारीरिक दोष से मुक्त न पाया जाए, जिसके कि सेवा में या पद पर उसके कर्तव्यों का निर्वहन प्रभावित होने की संभावना है.

10. अभ्यर्थी की पात्रता के बारे में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा.—चयन के लिए किसी अभ्यर्थी की पात्रता या अन्यथा के बारे में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा तथा ऐसे कोई भी अभ्यर्थी को साक्षात्कार में प्रवेश नहीं दिया जाएगा जिसे उसके द्वारा प्रवेश-पत्र जारी न किया गया हो.

11. चयन द्वारा सीधी भरती.—(1) सेवा में भरती के लिए चयन ऐसे अन्तराल पर किया जाएगा जैसा कि परिषद् समय-समय पर अवधारित करे.

(2) सेवा में सम्मिलित पदों के लिए अभ्यर्थियों का चयन, चयन समिति द्वारा उनसे साक्षात्कार लेकर किया जाएगा. समिति में कम से कम तीन सदस्य होंगे जो परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जायेंगे.

(3) सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण के उपबंध सेवा के लिए भी लागू होंगे.

12. नियुक्ति के लिए चयन किए गए अभ्यर्थियों की सूची.—(1) चयन समिति, सम्यक् रूप से चयनित अभ्यर्थियों की सूची उस योग्यताक्रम में तैयार करेगी जो ऐसे स्तर से अर्हित है, जैसा परिषद् अवधारित करे.

(2) उपलब्ध रिक्तियों पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों के नामों पर उसी क्रम में विचार किया जाएगा जिसमें उनके नाम सूची में दिए गए हैं.

(3) सूची में किसी अभ्यर्थी के नाम के सम्मिलित होने से ही उसे तब तक नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं मिल जाता जब तक कि परिषद् का ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसी वह आवश्यक समझे, यह समाधान न हो जाए कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है.

13. पदोन्नति द्वारा नियुक्ति.—(1) पात्र अभ्यर्थियों की पदोन्नति हेतु प्रारंभिक चयन करने के लिए परिषद् द्वारा एक समिति गठित की जाएगी.

17. **चयन सूची से सेवा में नियुक्ति.**—(1) चयन सूची में सम्मिलित व्यक्तियों को सेवा के केडर में धारित पदों पर नियुक्तियां उस क्रम में होंगी जिस क्रम में ऐसे कर्मचारियों के नाम चयन सूची में हैं:

परन्तु जहां प्रशासनिक आवश्यकताओं से ऐसा अपेक्षित हैं, वहां ऐसा कोई व्यक्ति, जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित नहीं है या जो चयन सूची में दिए गए क्रम में अगला नहीं है, यदि परिषद् का यह समाधान हो जाए कि रिक्त 3 माह से अधिक समय तक नहीं रहेगी, सेवा में नियुक्त किया जा सकेगा.

(2) सामान्यतया किसी ऐसे व्यक्ति की, जिसका कि नाम सेवा हेतु चयन सूची में सम्मिलित हैं, नियुक्ति के लिए तब तक समिति से परामर्श करना आवश्यक नहीं होगा जब तक कि चयन सूची में उसका नाम सम्मिलित किए जाने तथा प्रस्तावित नियुक्ति के दिनांक के बीच की कालावधि के दौरान, उस के कार्य में ऐसी गिरावट आती है, जो कि परिषद् की राय में इस प्रकार की है जो उसे सेवा में नियुक्त किए जाने के लिए अनुपयुक्त बनाती है.

18. **नियुक्ति की विशेष शक्ति.**—इन विनियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए, परिषद् का अध्यक्ष, परिषद् के किसी मृत सेवक के आश्रित को सरकार की नीति के अनुसार उस दशा में नियुक्त कर सकेगा, जब कि किसी कर्मचारी की मृत्यु परिषद् की सेवा के दौरान हुई हो बशर्ते कि आश्रित व्यक्ति उस पद के लिए विहित न्यूनतम अर्हताएं धारण करता हो. इस प्रयोजन के लिए परिवार का वही अर्थ होगा जो कि राज्य सरकार के फण्डामेंटल रूल्स में उसे दिया गया है.

19. **परिवीक्षा.**—(1) सेवा में सीधी भरती किया गया प्रत्येक व्यक्ति निम्नलिखित के प्रस्तुत किए जाने के अधीन रहते हुए दो वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाएगा,—

(क) मुख्य चिकित्सा अधिकारी/जिला स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित उपयुक्तता संबंधी चिकित्सीय प्रमाण-पत्र.

(ख) कम से कम दो रेफरी के नाम, उसके चरित्र तथा पूर्ववृत्तों के संबंध में जिन्हें किसी शंका की दशा में, निर्देश किया जा सकेगा. पूर्ववृत्तों का सत्यापन पुलिस द्वारा किया जाएगा.

(2) नियुक्ति प्राधिकारी लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से परिवीक्षा की कालावधि को कुल मिलाकर एक वर्ष से अनधिक कालावधि के लिए बढ़ा सकेगा.

(3) यदि परिवीक्षा की कालावधि के दौरान किसी भी समय यह पाया जाय कि सीधी भरती किए गए व्यक्ति द्वारा, उसे दिए गए अवसर का पर्याप्त लाभ नहीं उठाया गया है या, यह कि वह, उससे अपेक्षित स्तर तक समाधान करने में असफल रहा है, तो कोई कारण बताए बिना उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी.

(4) वह व्यक्ति, जिसकी सेवाएं परिवीक्षा कालावधि के दौरान समाप्त कर दी गई हैं, किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा.

20. **परिवीक्षाधीन व्यक्ति का स्थायीकरण.**—परिवीक्षा कालावधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर, परिवीक्षाधीन व्यक्ति सेवा में या उस पद पर, जिस पर वह नियुक्त किया गया है, स्थायी किया जाएगा. तथापि, यदि स्थायी किये जाने के लिये स्थायी पद उपलब्ध न हो, तो परिवीक्षाधीन व्यक्ति को आगामी आदेशों तक अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाएगा. स्थायी पद उपलब्ध होने पर वह अपने क्रम में उस पद पर स्थायी किया जाएगा.

21. **पदक्रम सूची.**—सेवा के लिए एक सम्मिलित पदक्रम सूची बनाए रखी जाएगी जिसमें सेवा में सम्मिलित पदों को धारण करने वाले सभी कर्मचारियों को वरिष्ठता के क्रम में क्रमांकित किया जाएगा.

22. **वरिष्ठता का अवधारण.**—सीधी भर्ती द्वारा तथा पदोन्नति द्वारा और स्थानापन्न रूप से नियुक्त किए गए सेवा कर्मचारियों की या सेवा के विभिन्न केडर की या सेवा के पद समूह की वरिष्ठता मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 12 में अधिकथित सिद्धांतों के अनुसार अवधारित की जाएगी.

(4) खण्ड (1) में कथित उधारों तथा अग्रिमों की मंजूरी अध्यक्ष या ऐसे अधिकारी द्वारा की जाएगी जिसे इस निमित्त अध्यक्ष द्वारा शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हों या की जाए.

29. **वाहन भत्ता.**—(1) परिषद् के कर्मचारियों को वाहन भत्ता समय-समय पर यथा संशोधित वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक 1204/1896/आर-1/तीन, दिनांक 17 सितम्बर 1980 के निर्बन्धनों के अनुसार अनुज्ञेय होगा.

(2) खण्ड (1) में किसी बात के होते हुए भी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी ऐसा वाहन भत्ता का हकदार होगा जैसा कि परिषद् द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाय, परन्तु यह तब जब कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी कार रखता हो.

(3) मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पक्ष में वाहन भत्तें का आहरण नीचे विहित किए गए प्रमाण-पत्र के प्रस्तुत करने पर किया जाएगा.

"वाहन भत्तें के लिए प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैं पेट्रोल/डीजल द्वारा चलित वाहन क्रमांक . . . . . कार/स्कूटर/मोटर सायकल का चालू हालत में संधारण करता हूं तथा माह . . . . . के दौरान मेरे पदीय कर्त्तव्यों का पालन करने के लिए मैंने उसका उपयोग किया है.

तारीख . . . . . पदाभिधान सहित हस्ताक्षर"

30. **अवकाश.**—(1) अवकाश के संबंध में सेवा के सदस्य खण्ड (2) के अध्यधीन रहते हुए मध्यप्रदेश सिविल सर्विस (लीव) रूल्स, 1977, जैसे कि वे सरकारी सेवकों को लागू होते हैं, द्वारा शासित होंगे.

(2) सेवा के सदस्यों को आकस्मिक अवकाश या कोई अन्य अवकाश प्रदान करने की शक्ति रजिस्ट्रार में निहित होगी तथा रजिस्ट्रार के मामले में परिषद् के अध्यक्ष में निहित होंगी.

31. **अवकाश का नगदीकरण.**—सेवा के सदस्य सेवा निवृत्ति के समय अवकाश के नगदीकरण को सम्मिलित करते हुए अवकाश के नगदीकरण के संबंध में राज्य सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए जारी किए गए आदेशों द्वारा शासित होंगे.

32. **अवकाश यात्रा रियायत.**—सेवा के अधिकारी तथा सेवक, राज्य सरकार के समान श्रेणी के कर्मचारियों को उपलब्ध अवकाश यात्रा रियायत के सदृश अवकाश यात्रा रियायत पाने के हकदार होंगे.

33. **उपादान (ग्रेच्युटी).**—ग्रेच्युटी एक्ट, 1972 के उपबन्ध परिषद् के समस्त अधिकारियों तथा सेवकों को लागू होंगे.

34. **अनुग्रहपूर्वक भुगतान (एक्सग्रेशिया पेमेंट).**—अनुग्रहपूर्वक भुगतान ऐसी दरों पर किया जाएगा जैसी कि राज्य सरकार द्वारा सरकारी सेवकों के मामलों को लागू रीति में समय-समय पर मंजूर की जाए.

35. **समूह बीमा योजना.**—परिषद् के अधिकारियों तथा सेवकों के विकल्प पर समूह बीमा योजना परिषद् सेवा को लागू होगी.

36. **यात्रा भत्ता, आवास भत्ता इत्यादि.**—(1) राज्य सरकार के कर्मचारियों को समय-समय पर लागू यात्रा भत्ता सेवा के सदस्यों को लागू होगा. तथापि, उन मामलों में, जहां परिस्थितियां यह अपेक्षित करें कि प्रशासकीय आवश्यकता के लिए राज्य के भीतर या बाहर यात्रा आवश्यक हो, वहां परिषद् ऐसी दरों पर यात्रा, आवास तथा बोर्डिंग व्यय मंजूर कर सकेगी, जो कि परिषद् के अधिकारी या सेवक द्वारा उपगत किये गये व्ययों की प्रतिपूर्ति युक्तियुक्त रूप से कर सके परन्तु यह तब, जबकि उसके द्वारा इस निमित्तों उपगत किये गये व्ययों की मूल रसीदें उसके दावे के साथ प्रस्तुत की जायं.

(2) यदि परिषद् के अधिकारियों द्वारा यात्रा अपनी स्वयं की कार द्वारा की गई हो, तो उन्हें सरकारी अधिकारियों को लागू दर से सड़क मील भत्ता (रोड माइलेज) का भुगतान किया जाएगा.

(ख)	तृतीय वर्ग तथा चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों के बारे में	प्रमुख दण्ड	परिषद्
(ग)	प्रथम वर्ग तथा द्वितीय वर्ग अधिकारियों के बारे में	लघु/प्रमुख दण्ड	परिषद्

41. नियमों, आदेशों तथा अनुदेशों का लागू होगा.—इन विनियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, सेवा संबंधी विषयों के बारे में मध्यप्रदेश फण्डामेंटल रूल्स, फायनेंशियल कोड तथा जनरल बुक सर्क्युलर्स के समय-समय पर यथा संशोधित उपबन्ध सेवा के सदस्यों को लागू होंगे.

42. पदत्याग तथा सेवा समाप्ति.—सेवा के उन सदस्यों को, जो अस्थायी आधार पर नियुक्त किए गए हैं, उभय पक्ष की ओर से एक माह की सूचना देकर या उसके बदले एक माह के वेतन तथा भत्तों का भुगतान करने पर सेवा से पदत्याग करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा या उनकी सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी. सेवा के स्थायी सदस्य तीन माह की सूचना देकर या उसके बदले ऐसी रकम का भुगतान करने पर, जो कि तीन माह के वेतन तथा भत्तों के समतुल्य हो, या जिस अवधि के लिए सूचना कम हो, उसके लिये ऐसी रकम का भुगतान करने पर सेवा से पदत्याग कर सकेंगे.

43. शक्तियों का प्रत्यायोजन.—परिषद् या अध्यक्ष, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा रजिस्ट्रार को, सिवाय विनियम 7 के अधीन नियुक्ति करने बाबत् शक्ति के अपनी शक्तियां प्रत्यायोजित कर सकेंगे.

44. निर्वचन.—यदि इन विनियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत होता है, तो वह सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा जिसका कि उस पर विनिश्चिय अंतिम होगा.

45. शिथिलीकरण.—इन विनियमों की किसी बात का इस प्रकार अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह ऐसे व्यक्ति के मामले में, जिसे ये विनियम लागू होते हैं, परिषद् को ऐसी रीति में, जो कि उसे औचित्यपूर्ण तथा साध्यापूर्ण प्रतीत हों, कोई कार्यवाही करने बाबत् शक्ति योजित करती है या कम करती है:

परन्तु किसी मामले में, ऐसी रीति में कार्यवाही नहीं की जायेगी जो इन विनियमों में उपबंधित से कम अनुकूल हो.

अनुसूची-एक

(विनियम 5 देखिए)

सेवा में सम्मिलित पदों का वर्गीकरण, वेतनमान तथा संख्या

क्रमांक	सेवा में सम्मिलित पदों का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		परिषद् द्वारा भरा जाए		

परिषद्, राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से, एतद्द्वारा, निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात्:—

विनियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.**—(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद् (व्यवसायिक आचरण विनियमित करने के लिए आचार संहिता) विनियम, 2001 है.

(2) वे विनियम मध्यप्रदेश राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. **परिभाषाएं.**—इन विनियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद् अधिनियम, 2000 (क्रमांक एक सन् 2001);

(ख) "परिषद्" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 3 के अधीन स्थापित मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद्;

(ग) "रजिस्ट्रार" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 33 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त रजिस्ट्रार.

3. **घोषणा.**—अधिनियम की धारा 39 के अधीन नामांकन के समय प्रत्येक आवेदक इन विनियमों से संलग्न प्ररूप में लिखित एवं हस्ताक्षरित एक घोषणा-पत्र रजिस्ट्रार को प्रस्तुत करेगा.

4. **व्यवसाय का आदर.**—सह-चिकित्सीय व्यवसायी अपने व्यवसाय का प्रारंभ करते समय व्यवसायिक शिष्ट आचरण के सिद्धान्तों के अनुरूप तथा सभ्य पुरुष के रूप में आचरण करने की बाध्यता उपगत करता है. उसे अपने सहकर्मियों के बारे में समुचित गर्व की भावना सजोनी चाहिए तथा उन्हें अपने न तो किसी कार्य द्वारा तथा शब्दों द्वारा उनकी उपेक्षा करनी चाहिए.

5. **चरित्र तथा सदाचार का स्तर.**—चिकित्सा व्यवसाय उच्चतम प्रकार के चरित्र तथा सदाचार की अपने सदस्यों से अपेक्षा करता है तथा ऐसे स्तर को प्राप्त करना प्रत्येक व्यवसायी का न केवल व्यवसाय के प्रति बल्कि समान रूप से जनता के प्रति कर्तव्य है.

6. **सेवा के लिए पारिश्रमिक.**—किसी सह-चिकित्सीय व्यवसायी को उस समुदाय में, जहां वह व्यवसाय कर रहा है, व्यवसायिक सेवाओं के लिए प्रत्युपकार में, उतनी ही समरूपता से जुड़ना, जैसा कि परिवर्तनशील परिस्थितियां अनुज्ञात करें, एक गर्व का विषय समझना चाहिए.

7. **सह-चिकित्सीय व्यवसायियों का कार्यक्षेत्र.**—सह-चिकित्सीय व्यवसायी का कार्य, रोग निदान शास्त्र (पेथालॉजी) के भारसाधक द्वारा या अन्य सह-चिकित्सीय संस्थाओं द्वारा उसे सौंपे गए काम तक ही सीमित है. जांच या काम के पूर्ण होने पर, उसके बारे में किसी को अपनी राय या निष्कर्ष देने की उससे अपेक्षा नहीं की जाती है.

8. **रोगी के साथ व्यभिचार या अनुचित आचरण या साहचर्य.**—ऐसा कोई भी सह-चिकित्सीय व्यवसायी, जो किसी रोगी के साथ व्यभिचार करने या अनुचित व्यवहार करने या अनुचित साहचर्य द्वारा अपनी व्यवसायिक स्थिति का दुरूपयोग करता है, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) में यथा उपबंधित अनुशासनिक कार्यवाही के दायित्वाधीन होगा.

प्ररूप

(विनियम 3 देखिए)

घोषणाएं

1. मैं सत्य निष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं मानवता की सेवा में अपना जीवन अर्पित कर दूंगा;
2. मैं अपने शिक्षकों को वह आदर तथा कृतज्ञता दूंगा जो कि उन्हें दिया जाना चाहिये;

(घ) "रजिस्ट्रार" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 33 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त रजिस्ट्रार.

3. **संपत्ति का अर्जन.**—परिषद् अधिनियम के प्रयोजनों के लिए क्रय, दान या पट्टे द्वारा संपत्ति अर्जित कर सकेगी.

4. **स्थावर संपत्ति का रजिस्टर.**—परिषद् उसमें निहित तथा उसके स्वामित्व की स्थावर संपत्ति का एक रजिस्टर इन विनियमों से संलग्न प्ररूप में संधारित करेगी.

5. **संपत्ति का अनुरक्षण.**—रजिस्ट्रार संपत्ति का अनुरक्षण तथा रखरखाव करेगा तथा उसके लेखे पृथक से रखेगा.

6. **क्रय तथा दान या संदान का स्वीकार किया जाना.**—परिषद् ऐसी जंगम संपत्ति भी जो अपेक्षित हो, क्रय कर सकेगी तथा उसका दान या संदान स्वीकार कर सकेगी और परिषद् के स्टाक रजिस्टर में उसकी प्रविष्टि करवाएगी.

7. **स्थावर संपत्ति अंतरण.**—परिषद् इस आशय का एक संकल्प पारित कर सकेगी कि ऐसी कोई स्थावर संपत्ति, जिसकी उसे निकट भविष्य में आवश्यकता नहीं है, अंतरित कर दी जाए और वह विक्रय या पट्टे द्वारा अंतरित की जा सकेगी.

8. **लोक नीलाम द्वारा अंतरण.**—स्थावर संपत्ति का विक्रय या पट्टे द्वारा कोई अंतरण लोक-नीलाम द्वारा ही किया जाएगा, अन्यथा नहीं :

परंतु यदि परिषद् की राय है कि ऐसी संपत्ति का लोक-नीलाम द्वारा अंतरण किया जाना वांछनीय नहीं है, तो वह राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से, लोक-नीलाम के बिना ऐसा अंतरण कर सकेगी.

9. **नीलाम का संचालन.**—परिषद् की स्थावर संपत्ति का नीलाम रजिस्ट्रार द्वारा ऐसी रीति में संचालित किया जाएगा, जैसा कि परिषद् द्वारा, समय-समय पर निदेशित किया जाए.

10. **वार्षिक भाड़ा अग्रिम में देय होगा.**—स्थावर संपत्ति का प्रत्येक पट्टा इस शर्त के अध्यधीन होगा कि पट्टे की अवधि के दौरान वार्षिक भाड़े का भुगतान प्रत्येक वर्ष अग्रिम में किया जाएगा.

11. **नीलाम की सूचना तथा विक्रय या पट्टे की शर्तों का प्रकाशन.**—विक्रय या पट्टे की शर्तों को तथा नीलाम की तारीख, समय तथा स्थान को विनिर्दिष्ट करते हुए एक सूचना, उसकी एक प्रति, जिसमें उक्त जानकारी अंतर्विष्ट हो, परिषद् के सूचना पटल पर चिपका दी जाएगी. जहां स्थावर संपत्ति का ऑफसेट मूल्य पच्चीस हजार रुपयों से अधिक हो वहां उक्त सूचना किसी स्थानीय समाचार-पत्र में भी प्रकाशित की जायेगी.

12. **नीलाम का पर्यवेक्षण.**—परिषद् द्वारा इस प्रयोजन के लिए समय-समय पर गठित समिति के पर्यवेक्षण के अधीन नीलाम किया जाएगा.

13. **नीलाम की शर्तें**—नीलाम, ऐसी अन्य किन्हीं शर्तों के अतिरिक्त, जिन्हें परिषद् अधिरोपित करना उचित समझें, निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगा, अर्थात् :—

(क) किसी भी व्यक्ति को नीलाम में तब तक बोली बोलने नहीं दिया जाएगा जब तक कि उसने संपत्ति के निर्धारित मूल्य के पांच प्रतिशत के बराबर रकम, नीलाम संचालित करने वाले अधिकारी के पास अग्रिम धन के रूप में जमा न कर दी हो;

(ख) उच्चतम बोली, परिषद् द्वारा पुष्टि की जाने के अध्यधीन रहते हुए, स्वीकृत की जाएगी :

परंतु निम्नतर बोली भी राज्य सरकार की मंजूरी से स्वीकृत की जा सकेगी.

(2) संदान में प्राप्त—

(एक) दानदाता का नाम,

(दो) अनुभानित मूल्य,

(3) क्रय किया गया अथवा निर्मित—

(एक) क्रय की या निर्माण के मंजूरी की तारीख,

(दो) संपत्ति का मूल्य,

9. किरायेदार या पट्टेदार, यदि कोई हो, का नाम तथा पट्टे के निबंधन

10. पट्टा समाप्ति की तारीख

11. भाड़ा प्रतिवर्ष

12. संपत्ति के अंतिम व्ययन की रीति,—

विक्रय इत्यादि को मंजूर करने वाले सरकारी आदेश की तारीख तथा क्रमांक सहित, क्रेता यदि कोई हो, का नाम, और वह रकम जिसके लिए विक्रय किया गया है,

13. क्या रजिस्ट्रीकरण किया गया है, यदि हां तो रजिस्ट्रीकरण क्रमांक तथा तारीख इत्यादि दीजिए,

14. रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर,

15. अभ्युक्तियां

अध्यक्ष
मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद्

क्र. एफ-5-46-2002-55-चिंशि.-1.—मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद् अधिनियम, 2000 (क्रमांक 1 सन् 2001) की धारा 46 की उपधारा (1) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद्, राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से, एतद्द्वारा, निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :—

विनियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.**—(1) इन विनियमों का संक्षित नाम मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद् (अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की शक्तियां तथा कर्त्तव्य) विनियम, 2001 है,

(2) ये विनियम मध्यप्रदेश राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे,

2. परिभाषाएं.—इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीयय परिषद अधिनियम, 2000 (क्रमांक 1 सन् 2001);

2. परिभाषाएं.—इन विनियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) ''अधिनियम'' से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद् अधिनियम, 2000 (क्रमांक 1 सन् 2001) तथा

(ख) ''परिषद्'' से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 3 के अधीन स्थापित मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद्

भाग-दो
आवेदक के लिये अनुदेश

3. पात्रता मानदंड.—नये सह-चिकित्सीय शिक्षण संस्थान स्थापित करने की अनुज्ञा के लिये निम्नलिखित संगठन आवेदन करने के पात्र होंगे, अर्थात्—

(1) विश्वविद्यालय तथा राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र.

(2) केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा संप्रवर्तित स्वायत्तशासी निकाय.

(3) सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 या राज्यों में के तत्स्थानीय अधिनियमों के अधीन रजिस्ट्रेशन सोसायटियां.

(4) भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 (1882 का सं. 21) वक्फ, अधिनियम, 1954 (1954 का सं. 27) आदि के अधीन रजिस्ट्रीकृत सार्वजनिक, धार्मिक या पूर्त न्यास.

4. अर्हकारी मानदंड.—पात्र संगठन, समय-समय पर यथा उपांतरित मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद् अधिनियम, 2000 तथा उसके अधीन विरचित विनियमों का पालन करेंगे तथा नये सह-चिकित्सीय शिक्षण संस्थान स्थापित करने की अनुज्ञा हेतु आवेदन करने के लिये अर्ह होंगे, यदि निम्नलिखित शर्तें पूरी कर दी जाती हैं—

(1) यह कि आवेदक के मुख्य उद्देश्यों में से एक उद्देश्य सह-चिकित्सीय शिक्षा (सह-चिकित्सीय शिक्षण संस्था) है.

(2) यह कि प्रस्तावित सह-चिकित्सीय शिक्षण संस्था स्थापित करने के लिये आवेदक के पास उसके स्वामित्व का तथा उस पर अधिपत्य का एक समुचित भू-खण्ड, मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद् द्वारा विहित किये गये अनुसार है जो कि 5 एकड़ डिग्री/डिप्लोमा तथा 3 एकड़ सार्टिफिकेट कोर्स के लिये होगी.

(3) यह कि प्रस्तावित स्थान पर प्रस्तावित सह-चिकित्सीय शिक्षण संस्थान स्थापित करने की वांछनीयता तथा शाक्यता के संबंध में और मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद् की अपेक्षाओं के अनुसार पर्याप्त नैदानिक सामग्री उपलब्ध होने के संबंध में संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या राज्य के भीतर के जिले के कलेक्टर से आवेदक द्वारा अत्यावश्यकता प्रमाण-पत्र अभिप्राप्त कर लिया गया है.

(4) यह कि आवेदक द्वारा प्रस्तावित सह-चिकित्सीय शिक्षण संस्थान के लिये मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से डिग्री तथा डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिये संबंद्धता के लिये सहमति अभिप्राप्त कर ली गई है.

(5) यह कि आवेदक के स्वामित्व में तथा उसके प्रबंधन में कम से कम 100/150 बिस्तरों वाला एक अस्पताल प्रस्तावित सह-चिकित्सीय शिक्षण संस्था के निकट हो जो मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद् द्वारा यथा विहित आवश्यक अवसंरचनात्मक सुविधाओं से युक्त अध्यापन संस्थान के रूप में विकसित किये जाने की क्षमता रखता हो.

भाग-ख आवेदन पत्र के भाग-ख में नवीन सह-चिकित्सकीय शिक्षण संस्था स्थापित करने की स्कीम का विस्तृत विवरण अंतर्विष्ट होगा तथा प्रस्तावित सह-चिकित्सकीय शिक्षण संस्था के बारे में एक विस्तृत तकनीकी आर्थिक साध्यता रिपोर्ट के रूप में निम्नलिखित सहित प्रस्तुत किया जाएगा :—

(1) शिक्षण संस्थाओं का नाम तथा पता;

(2) बाजार सर्वेक्षण तथा पर्यावरण संबंधी विश्लेषण, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय और प्रादेशिक शिक्षा नीति, प्रशिक्षित सह-चिकित्सकीय जनशक्ति की आवश्यकता तथा उपलब्धता, गैर एनालिसिस, प्रस्तावित स्थान पर नये सह-चिकित्सकीय शिक्षण संस्थान की स्थापना की वांछनीयता तथा प्रथम दृष्टया साध्यता आती है;

(3) स्थल विशिष्टताएं तथा बाह्य सम्पर्क की उपलब्धता, जिसके अंतर्गत स्थल आकृति, भूखण्ड आकार, अनुज्ञेय तल स्थान सूचक, भू-आच्छादन, भवन ऊंचाई, [illegible] सार्वजनिक परिवहन की उपलब्धता, विद्युत आपूर्ति, जल आपूर्ति, मल व्ययन संयोजन, दूरभाष लाईनें आदि;

(4) शैक्षणि कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत विद्यार्थियों के वार्षिक अंतग्रहण प्रवेश, मानदण्ड तथा प्रवेश का तरीका, स्थानों (यदि कोई हो) के आरक्षण, अधिमानिक आवंटन, विभागवार तथा वर्षवार अध्ययन का पाठ्यक्रम आता है;

(5) कार्यात्मक कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत विभागवार, सेवावार कार्यात्मक अपेक्षाएं तथा क्षेत्र वितरण और कक्षवार बैठक क्षमता आती है;

(6) उपस्कर कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत चिकित्सीय, वैज्ञानिक तथा सम्बद्ध उपस्करों की कक्षवार सूची आती है जो उनकी मात्राओं तथा विनिर्देशों की अनुसूची सहित पूर्ण हो;

(7) जन शक्ति कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत विभागवार अध्यापन कर्मचारिवृन्द (पूर्णकालिक) तकनीकी, प्रशासनिक तथा आनुषांगिक कर्मचारिवृन्द की आवश्यकता, प्रवर्गवार भर्ती मानदण्ड तथा वेतन ढांचा आदि (कम से कम मध्यप्रदेश राज्य सरकार के वेतनमान के अनुसार) आते हैं;

(8) भवन निर्माण कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं, संकाय, तथा कर्मचारिवृन्द के आवास, कर्मचारिवृन्द तथा विद्यार्थियों के छात्रावास, प्रशासनिक कार्यालय, पुस्तकालय, सभागृह, पशुघर, शवघर तथा अन्य अवसंरचनात्मक सुविधाएं जैसे सांस्कृतिक तथा मनोरंजन केन्द्र, खेलकूद परिसर आदि भवनवार निर्मित क्षेत्र आते हैं;

(9) योजना तथा अभिविन्यास (ले-आऊट) जिसके अंतर्गत शिक्षण संस्था, काम्पलेक्स का मास्टर प्लान, अभिविन्यास योजनाएं, शिक्षण संस्थाओं तथा आनुषांगिक भवन आदि के सेक्शन एलीवेशन तथा तल के अनुसार क्षेत्र की गणना आती है;

(10) चरणबद्धता और अनुसूचीबद्धता, जिसके अंतर्गत क्रियाकलापों की माहवार अनुसूची, भवन का प्रारंभ तथा पूरा होना, डिजाईन, स्थानीय निकाय का अनुमोदन, सिविल संनिर्माण तथा उपस्कर, कर्मचारिवृन्द की भर्ती तथा विद्यार्थियों के प्रस्तावित अंतग्रहण के अनुरूप चरणबद्ध आरम्भ उपदर्शित है;

(11) परियोजना लागत, जिसके अंतर्गत भूमि, भवन, संयंत्र तथा मशीनरी, चिकित्सीय वैज्ञानिक तथा आनुषंगिक उपस्कर, फर्नीचर तथा फिक्सचर की पूंजीगत लागत तथा प्रारंभिक तथा प्रचालन पूर्व व्यय आते हैं;

(12) परियोजना लागत के लिए वित्तपोषण के साधन, जिसके अंतर्गत आवेदक का अंशदान, अनुदान तथा दान, इक्विटी तथा सावधि ऋण तथा अन्य स्रोत, यदि कोई हो, आते हैं;

(13) राजस्व पूर्वानुमान, जिसके अंतर्गत फीस स्ट्रक्चर तथा विभिन्न स्रोतों से अनुमानित वार्षिक राजस्व आता है;

(14) व्यय पूर्वानुमान, जिसके अंतर्गत प्रचालन व्यय तथा मूल्यह्रास आता है; और

(15) प्रचालन परिणाम, जिसके अंतर्गत आय विवरण केश फ्लो स्टेटमेंट तथा प्रक्षिप्त (प्रोजेक्टेड) तुलन-पत्र आते हैं.

(13) विस्तार स्कीम की लागत के वित्तपोषण के साधन, जिसके अंतर्गत आवेदक का अंशदान, अनुदान तथा दान, इक्विटी तथा सावधि ऋण तथा अन्य स्रोत, यदि कोई हो, आते हैं;

(14) राजस्व पूर्वानुमान, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रक्रियाओं तथा सेवाओं से आय के ब्यौरे, उन्नत सेवा भार तथा वार्षिक राजस्व आता है.

(15) व्यय पूर्वानुमान, जिसके अंतर्गत प्रचालन व्यय, वित्तीय व्यय और मूल्यह्रास आता है;

(16) प्रचालन परिणाम, जिसके अंतर्गत आय विवरण केश फ्लो स्टेटमेंट तुलन-पत्र आता है.

6. **आवेदन-फीस.**—आवेदन-पत्र "मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद्" के पक्ष में भोपाल में देय डिमाण्ड ड्राफ्ट/अदायगी आदेश (पे-आर्डर) के रूप में रुपये 25 हजार डिग्री, रुपये 15 हजार डिप्लोमा तथा रुपये 10 हजार सर्टीफिकेट (प्रमाण-पत्र) प्रति पाठ्यक्रम की दर से गैर वापसी योग्य आवेदन फीस के साथ मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद्, भोपाल को केवल रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा. यह फीस रजिस्ट्रीकरण, तकनीकी संवीक्षा, आकस्मिक व्यय के लिए और प्रत्येक व्यावसायिक (प्रोफेशनल) परीक्षाओं, अर्थात् प्रथम व्यावसायिक परीक्षा, द्वितीय व्यावसायिक परीक्षा तथा तृतीय व्यावसायिक परीक्षा की समाप्ति पर परीक्षाओं के निरीक्षण/मूल्यांकन के लिए एक निरीक्षण हेतु है. एक निरीक्षण के आगे परिषद् द्वारा विहित की गई सामान्य निरीक्षण फीस लागू होगी.

7. **रजिस्ट्रीकरण.**—सभी दृष्टि से पूर्ण पाये गये आवेदन-पत्र, मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद् द्वारा मूल्यांकन तथा अनुशंसाओं के लिए रजिस्ट्रीकृत किये जायेंगे. आवेदन-पत्रों के रजिस्ट्रीकरण से केवल यह संज्ञापित होगा कि उन्हें मूल्यांकन हेतु स्वीकार किया गया है. तथापि इसका किन्हीं भी परिस्थितियों में यह अर्थ नहीं होगा कि वह अनुज्ञा प्रदान करने हेतु आवेदन-पत्र का अनुमोदन है.

कोई नई सह-चिकित्सीय शिक्षण संस्था स्थापित करने के लिए आवेदन-पत्र पर की कार्यवाही हेतु एक वर्ष की कालावधि, जो मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद् अधिनियम, 2000 के अधीन विहित की गई है, मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद् द्वारा आवेदन-पत्र के रजिस्ट्रीकरण की तारीख से प्रारंभ होगी.

मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद् द्वारा अपूर्ण आवेदन-पत्र रजिस्ट्रीकृत नहीं किये जायेंगे और उन्हें संलग्नों तथा कार्यवाही फीस सहित लौटा दिये जायेगा.

8. **विहित कालावधि**—विनियम 7 में विनिर्दिष्ट की गई समय-सीमा की गणना करने में, परिषद द्वारा मांगी गई कोई जानकारी/स्पष्टीकरण या अतिरिक्त दस्तावेज उसे देने में स्कीम प्रस्तुत करने वाले प्राधिकारियों तथा संस्थाओं द्वारा लिया गया समय अपवर्जित कर दिया जायेगा.

9. **मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद् द्वारा मूल्यांकन.**—आवेदन-पत्र का भाग-क का मूल्यांकन मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद् प्रथम प्रस्तावित स्थान पर सह-चिकित्सीय संस्था स्थापित करने की वांछनीयता तथा प्रथम-दृष्टया साध्यता और स्कीम के लिए आवश्यक स्रोत तथा अवसंरचनात्मक व्यवस्था करने का आवेदक का सामर्थ्य अवधारित करने के लिए करेगी. आवेदन-पत्र का प्रत्येक भाग का मूल्यांकन करते समय परिषद् जैसा कि वह आवश्यक समझे, आवेदक से और जानकारी/स्पष्टीकरण या अतिरिक्त दस्तावेजों की वांछा कर सकेगी या जानकारी को सत्यापित करने के लिए भौतिक निरीक्षण कर सकेगी.

10. **अनुज्ञा का प्रदान किया जाना.**—नई सह-चिकित्सीय शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने के लिए मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद् मूल प्रस्ताव को उपांतरित करके ऐसी शर्तों के साथ, जैसी कि आवश्यक समझी जायें, एक आशय पत्र जारी कर सकेगी. उपरोक्त शर्तों तथा उपान्तरणों की स्वीकृति के पश्चात् तथा अपेक्षित राशि के लिए निष्पादन बैंक प्रतिभूतियां आवेदक द्वारा प्रस्तुत करने के पश्चात् औपचारिक अनुज्ञा प्रदान की जायेगी.

औपचारिक अनुज्ञा के अन्तर्गत सह-चिकित्सीय शिक्षण संस्थाओं की स्थापना तथा अस्पताल सुविधाओं के विस्तार के लिये समयबद्ध कार्यक्रम का समावेश होगा. इस अनुज्ञा के अन्तर्गत विद्यार्थियों के प्रथम समूह (बैच) को प्रवेश देने से पूर्व भवनों, अवसंरचनात्मक सुविधाओं, चिकित्सीय तथा सहबद्ध उपस्करों, संकाय तथा कर्मचारिवृन्द आदि के संबंध में पूर्ति की जाने वाली प्राथमिक अपेक्षाओं को सुस्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना भी है. अनुज्ञा में आगामी वर्षों के दौरान विद्यार्थियों के अन्तग्रहण के अनुरूप आवेदक द्वारा प्राप्त किये जाने वाले वार्षिक लक्ष्यों को भी परिभाषित किया जायेगा.

No. F. 5-46-2002-LV-ME-1.—In exercixe of the powers conferred by sub-section (1) of Section 45 read with Section 34 and 39 of the Madhya Pradesh Sah Chikitsiy Parishad Adhiniyam, 2000 (No. 1 of 2001), the State Government hereby makes the following Rules, namely :—

RULES

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called "the Madhya Pradesh Paramedical Council (Maintenance, Publication and Revision of Register and Appeal) Rules, 2001.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the "Madhya Pradesh Gazette".

2. **Definitions.**—In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Madhya Pradesh Sah Chikitsiy Parishad Adhiniyam, 2000 (No. 1 of 2001);

(b) "Council" means the Madhya Pradesh Paramedical Council Constituted under Section 3 of the Act;

(c) "Form" means a form appended to these rules;

(d) "Register" means the Register maintained under Section 34 and 39 of the Act;

(e) "Section" means a Section of the Act; and

(f) "Year" means a calender year.

3. **State Registrar of Paramedical Practitioners.**—(1) The Register shall be in form I.

(2) Each page of the Register shall be verified and signed by the Register.

(3) Any change in the address of the enrolled Practitioner shall be communicated by such practitioner to the Register and the Registrar shall enter the changed address in the Register accordingly.

4. Publication of the Register.—(1) The Register shall revice the Register every five years and enter therein :—

(i) the number of practitioners, Pracitioners already enrolled;

(ii) the number of practitioners enrolled during the period of five years preceeding the revision of the Register;

(iii) the names of practitioners whose names have been restored to the Register;

(iv) the number of practitioners whose names have been removed from the Register during the period five years preceeding the revision of the Register stating the sub-section and Section of the Act, under which the names have been removed; and

(v) the number of practitioners whose names have been removed by reason of death during the period of five years preceeding the revision of the Register.

(2) The first Register shall be published in the "Madhya Pradesh Gazette" within 180 days after 3 years from the date of constitution of the first Council.

(3) The revised Register shall be published in the "Madhya Pradesh Gazette" within 180 days after completion of the period of five years preceeding the revision of the Register and the enrolled practitioners adversely affected by the revision shall be informed of the adverse effects on them, by registered post.

9. **Summary Rejection of Appeal.**—(1) If the memorandum of appeal does not comply with all or any of the requirements of Rule 8, the appeal may be summarily rejected :

Provided that no appeal shall be summarily rejected under this sub-rule unless the appellant is given such opportunity as the appellate authority thinks fit to amend such memorandum of appeal so as to bring it into conformity with the requirements of rule.

(2) An appeal may also be summarily rejected on any other grounds which shall be reduced in writing by the appellate authority :

Provided that before passing any order rejecting an appeal under this sub-rule, pass, the appellant shall be given reasonable apportunity of being heard.

10. **Hearing of Appeal.**—(1) If the appellate authority does not reject the appeal summarily, it shall fix date for hearing the appellant or his duly authorised agent.

(2) The said authority may at any stage adjourn the hearing of an appeal to any other date.

(3) If on the date fixed for hearing or any other date to which the hearing is adjourned, the appellant does not appear before the said authority either in person or through an agent duly authorised by the appellant, the said authority may dismiss the appeal or may declare it exparte as it thinks fit.

(4) When an appeal is dismissed or decided exparte under sub-rule (3), the appellant may, within 30 days from the date of communication of such order apply to the appellate authority for reomission or rehearing of the appeal and if the appellate authority is satisfied that the appellant or an agent duly authorised was prevented by sufficient cause from appearing when the appeal was called for hearing, he may readmit or rehear the appeal upon such terms including terms as to cost and conditions as it may think fit.

(5) After hearing, the appellate authority shall pass the order as he thinks fit and just.

11. **Supply of Copy of order passed in Appeal.**—A copy of the order passed in appeal shall be supplied free of cost to the appellant and another copy shall be sent to the officer whose order forms the subject matter of the appeal.

FORM-I

[*See Rule* 3(1)]

MADHYA PRADESH PARAMEDICAL COUNCIL

State Register of Paramedical Practitioners

S.No.	Enrolement No.	Name with Father's/ Husband's name	Address	Qualifications and date when obtained with name of University or Board	Fees
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Age with date of birth	Place of practice	Date and place of enrolment	Signature of Registrar	Remarks
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

FORM-III

(*See Rule* 6)

MADHYA PRADESH PARAMEDICAL COUNCIL, BHOPAL.

(SEAL)

CERTIFICATE OF ENROLMENT

Certificate No. . . . . .

1. Name . . . . . .
2. Father's/Hunband's Name . . . . . .
3. Address . . . . . .
4. Qualifications . . . . . .
5. Age . . . . . .
6. Place of practice . . . . . .
7. Date of enrolment . . . . . .

It is certified that this is a true copy of the entry of the above specified name in the State Registrar of Paramedical practitioners maintained by the Madhya Pradesh Paramedical Council, Bhopal.

Bhopal. . . . . .

Dated . . . . . .

Registrar.
Madhya Pradesh Paramedical Council,
Bhopal.

No. F. 5-46-2002-LV-ME-1.—In exercixe of the powers conferred by sub-section (1) of Section 45 read with Section 37 and 38 of the Madhya Pradesh Sah Chikitsiy Parishad Adhiniyam, 2000 (No. 1 of 2001), the State Government hereby makes the following Rules, namely :—

RULES

1.1 These rules may be called the Madhya Pradesh Paramedical Council (Accounts and Audit Budget) Rules, 2001.

1.2 They shall come into force with effect from the date of publication in the "Madhya Pradesh Gazette".

2. In these rules, unless the context otherwise requires :—

(a) "Act" means the Madhya Pradesh Sah Chikitsiy Parishad Adhiniyam, 2001 (No. 1 of 2001);

(b) "Council" means the Madhya Pradesh Paramedical Council established under sub section (1) of Section 3 of the Act;

(c) "Government" means the Government of Madhya Pradesh;

(d) "President" means the President of the Council; and

(e) "Registrar" means the Registrar of the Council appointed under sub-section (1) of Section 33 of the Act.

12. All bills when paid shall be stamped with the following stamp :

Voucher No. . . . .
Date of Payment . . . . .
Entered on Cash Book Page No. . . . .
Signature Registrar

13. After the closure of each financial year, the annual accounts shall be prepared by the Registrar under the direction of the Executive Committee. They shall be audited by a registered Chartered Accountant, as soon as possible.

14. (1) On receipt of the audit report and audit certificate from the registered Chartered Accountant the Council shall without loss of any time forward the same to the Director, Medical Education for, his observation and report.

(2) The Director, Medical Education shall within Fifteen days of receipt return the audit report together with his report to the Council for onward transmission to the Government.

15. With in three days from the date of receipt of the report of the Director, Medical, Education the Registrar shall send a copy of the said report together with the copies of the audit report and audit certificate to the Government in a sealed cover for persual and such action as may be deemed fit by the Government.

16. The Council shall pay the audit fees as may be fixed by it, from time to time.

17. In the month of September each year a provisional estimate of income and expenditure of the Council for the next financial year commencing on that 1st April then next ensuing shall be prepared by the Registrar under the direction of the Executive Committee in from 1 and 2 respectively and placed before the Council for consideration and sanction.

18. In such estimate the provisions for the fulfilment of the liabilities of the Council and for effectually carrying out its objects shall be made. It shall include on its revenue side, besides all revenue ordinary anticipated, such grants this as Government may allot and all fees received from registration and other sources.

19. The Council shall at its next meetting consider the estimates so submitted to it and shall sanction the same either without modification or with such modifications as shall be deemed fit.

20. In the month of December each year or thereafter prior to the closure or the financial year the Executive Committee shall review the budgetary position and necessary, direct the Register to prepare a supplementary estimate and place the same before the Council for consideration and sanction in the same manner as if it were an original estimate.

21. No, expenditure shall be incurred by the Council which is not provided for in the budget or supplementary or revised budget estimates.

(c) "Form" means a form appeared to these regulations; and

(d) "Returning Officer" means an Officer appointed by the Council for the purposes of elections of the members of the Council.

3. The Returning Officer shall cause the Registrar of the Council to prepare a list of enrolled Paramedical Practitioners in Hindi in Devnagri script within a period of .. . . . . .for the purpose of clause (xi) of sub-section (1) of Section 4 of the Act. Such list shall be prepared in form I and shall be known as voters list.

4. (1) Voter list so prepared shall be published by the Council in the "Madhya Pradesh Gazette" and the list so published shall be exhibited on the notice Board of the office the Council along with a notice:—

(a) Inviting objections thereto and claims in respect thereof to be presented within 30 days from the date of notice to the Registrar of the Council; and

(b) Fixing a date and time for hearing of such objections and claims, if any by the Registrar of the Council.

(2) From the date of notice referred to in clause (1), such list shall also be open to inspection free of change by the enrolled Paramedical Practitioners and others concerned with the profession for such days during office hours in the office of the Council.

5. (1) Any person, whose name is not entered in the voters list or is entered in an incorrect place or with incorrect particulars or any person whose name is entered in the list and who objects to the inclusion of his own name or the name of any person in that list, may prefer a claim or objection by delivering to the Registrar of the Council an application in writing not later than 3' O clock in the afternoon of the 30th day from the date of the notice under clause (1) of regulation 4 and no claim or objection received after that time shall be entertained.

(2) A claim or objection shall be accompanied by any documents on which the claimant or objector relies.

6. (1) The Registrar shall, after holding such summary inquiring in to the claims or objection as he thinks fit record his decision in writing.

(2) No person shall be represented by any legal practitioner in any proceeding under this regulation.

(3) The decision of the Registrar shall be final and the voters list shall be amended in accordance with such decision.

(4) The voters list so amended shall be final and a certified copy of the same shall be kept in the office of the Council for record.

7. Every enrolled Paramedical practitioner shall have the right to inspect the voters list referred to in clause (4) of regulation 6 on payment of fee of Rs. Ten and attested copy of the same may be issued to an applicant on payment of the same fees as are prescribed for copies of revenue records.

8. (1) Vofers list referred to in clause (4) of regulation 6 shall continue to be in force untill revised in accordance with clause (2).

(2) Voters list shall be revised and brought upto date whenever a General Election is due to take place and the provisions of regulations 4, 5 and 6 shall apply to such revision.

9. The preliminary voters list published under clause (1) of regulation 4 and the claims and objections received under regulation 5 alongwith the orders of the Registrar thereon shall be preserved in the record room of the Council until after the next revision of the said list and shall than be destroyed.

10. (1) The Returning Officer may appoint such number of Government Officers and employees as he may deem fit for effectually conducting the election in the manner provided by these regulations.

"Voting Paper Envelop" for returning the voting paper with one more envelop duly addressed to the Returning Officer for covering the above envelop for delivery either by post or by person.

(6) A voting paper alongwith other material referred to in clause (5) shall also be supplied to any elector on her/his applying to the Returning Officer for the same before the date fixed for election provided that the Returning Officer is satisfied that he/she has not been supplied the voting paper till then.

(7) Such elector who has not received the voting paper and other material by post or who has lost them on receipt or who has inadvertently spoilt to the voting paper before sending to the Returning Officer may make request in writing for reissue of the same with such declaration as the case may be before seven says of the date fixed for election. He shall return, the spoilt to voting paper along with the above said request and the Returning Officer shall cancel such voting paper before issuing another voting paper.

(8) In all such cases where voting paper has been issued twice, the Returning Officer shall make a sign on the name of such elector and record a note against his name of having issued another voting paper in the voters list.

(9) No Election shall be invalidated be reason of the non-receipt by an elector of her or his voting paper.

16.1 Every elector desirous of recording her or his vote, shall fill in the declaration form and send her or his voting paper at his own cost by registered post to the Returning Officer recording her or his vote thereon in the manner prescribed therein. Voting paper handed over in person by a voter shall be accepted as valid, for which a receipt shall be given.

16.2 Voting paper which are not received by the Returning officer before the date and time appointed for the scrutiny of votes shall be rejected.

17. On receipt of the envelop intended for voting paper alongwith the declaration the Returning officer shall endorse on the outer envelop the date and hour of its receipt.

18. (1) The Returning officer shall attend for the purpose of scrutiny and counting of votes on the date of election at 5 P. M. and at the place appointed.

(2) The Returning officer immediately after 5.00 P. M. on the date referred to in clause (1) above shall open the outer envelopes.

(3) Every candidate may remain present in person or may send a representative duly authorised by her or him in writing to watch the process of counting.

19.1 The Returning officer shall reject the envelop intended for voting paper, if :—

(a) the declaration is not placed out of the envelop intended for voting Paper ; or

(b) the declaration has been received in another form than that was sent to the voter by the Returning officer, or

(c) the declaration has not been signed by the elector or

(d) the voting paper has not been kept in the envelop intended for the purpose and the same has been kept in the out envelop; or

(e) the outer envelop contains more than one declaration or the voting papers; or

(f) the declaration of the elector does not carry the registration number of the State Paramedical Council.

19.2 In such cases referred to in clause (1) the Returning officer shall endorse "Rejected' on the envelop intended for voting paper as well as on the declaration.

19.3 The returning officer after his satisfaction that declaration is signed by the elector, shall keep all declaration in safe custody as per requirement of regulation 20.

20.(1) The Returning officer shall personally remain present on the day at appointed time for scrutiny and counting of the voting papers:

Provided that the day fixed for the purpose shall in no case be later than the three days of the date of electon.

(2) All envelopes containing voting paper, except those have been rejected under regulation 16, shall be opened and all the voting papers shall be taken out and mixed together and after scrutiny, counting shall be done.

(3) The voting paper shall be invalid if—

(a) it does not bear the signature of the Returning officer; or

(b) it bears the signature of the voter or bears and mark or writing by which the voter can be identified; or

(c) it does not bear the x mark against the name of any candidate in token of having exercised the right of franchise; or

(d) it bears x mark against the names of more than five candidates or bears x mark so as to make it suspicious as to whom of the two candidates was the vote intended.

FORM-II

(See clause (a) of Regulation II)

FORM FOR NOMINATION

1. Name of the candidate .....
2. Name of Father/Husband .....
3. Age ..... [Years ..... Months ..... Days .....]
4. Qualification in paramedical subjects .....
5. Registration number of the State Register .....
6. Residential Address .....
7. Signature of the proposer .....
8. Registration number of the proposer .....
9. Residential address of the proposer .....
10. Signature of the Seconder .....
11. Registration number of the Seconder .....
12. Residential address of the Seconder .....

DECLARATION OF THE CANDIDATE

I hereby accept my candidature for the election of a member of the Council.

.....
Signature of the Candidate

Received nomination paper on ..... at ..... hour.

.....
Signature of the Returning Officer

INSTRUCTIONS

1. Nomination paper not received on or before ..... upto .....hour at ..... (place) shall be rejected .
2. The names and residential addresses of the proposer and seconder should be written as have been recorded in the State Register maintained by the Council.

FORM-IV

(See clause (5) of Regulation 15)

1. Full name and address ..... . of the voter.....
2. Registration number according ..... State Register.

FORM-V

[See clause (5) of Regulation 15]

INSTRUCTIONS FOR ELECTION

Sir,

1. The candidate whose names have been listed in the voting paper are hereby declared as contesting candidates for the election of five members of the Madhya Pradesh Paramedical Council. In case you are desirous of exercise the right of you franchise, you are required to—

(a) sign the declaration form duly followed in;

(b) put the mark 'X' at the appropriate place on the voting paper;

(c) insert the voting paper in the envelop intended for the purpose and close the said envelop; and

(d) put the envelop referred to in clause (c) into already sent another big envelop which is addressed to the Retutning Officer alongwith the declaration and post it or deliver in person to the Retutning Officer alongwith the declaration and post it or deliver in person to the Retutning Officer on or before . . . . . by 5 P.M. positively.

2. The voting paper shall stand rejected, if—

(a) the envelop containing the envelop intended for voting paper does not reach either by post or by personnel delivery on the date, time and place fixed for election; or

(b) the outer envelop does not contain the declaration from duly signed; or

(c) the declaration received is in an another form then that was sent to the voter by the Returning Officer; or

(d) the voting paper has not been placed in the envelop intended for the purpose and the same has been received in the outer envelop; or

(e) more than one voting paper or declarations or both have been send in the outer envelop; or

(f) the voter has failed to inter his registeration number of the Madhya Pradesh Paramedical Council.

3. Voting Paper shall be involved, if—

(a) it does not bear the signature of the Returning Officer; or

(b) it bears the signature of the voter or bears any mark or writing by which the voter can be identified; or

(c) it does not bear the 'X' mark at the appropriate place; or

(d) it bears 'X' mark against more than five contesting candidates; or

(e) it bears the 'X' mark so as make it suspicious as to whom of the two candidates was the vote intended.

4. If the voting paper and other enclosed papers which have been inadverlently by dealt in such manner that they cannot be conveniently used, can be returned to Returning Officer seven days before the date fixed for election with a written request for issue of the same again and in turn the Returning Officer may issue a new voting paper with other documents if he is satisfied with reason detailed by the voter.

5. Prior to any meeting of the Council or any Committee the Registrar shall, under the instructions of the President prepare a provisional agenda of business. In preparing such agenda the Registrar shall include notices of motions; if any, received from members of the Council. Notice of every meeting shall be sent by Registrar to all members of the Council or the Committee as the case may be under registered post. Such notice shall state the date, time and place of the meeting and the agenda of business to be transacted at such meeting.

6. (1) A motion shall not be admissible—

(a) if the matter to which it relates is not within the scope of the Council's or Committee's functions; or

(b) if it raises substantially the same question as a resolution or amendment which had been moved and either decided or withdrawn within six months the meeting at which it is desired to move as new resolution :

Provided that nothing in these regulations shall prohibit to admit such a motion at a special meeting of the Council convened for the purpose or for further discussion of any matter referred to the Council by the State Government at any meeting of the Council; or

(c) if it is not clearly and prescisely expressed or if it raises more issues than one; or

(d) if it containes arguments, inferences, ironical expression or defamatory statements or is frivolous or, it being an amendment if merely negetive the original motion.

(2) The President shall disallow any motion or amendment which, in his opinion is inadmissible under clause (1).

(3) When the President disallows or amends a motion, the Registrar shall inform the member, who gave notice of the motion, of the order of disallowance or; as the case may be, of the form in which the motion has been amended.

7. At the Executive Committee meeting presence of 3 members and at other committee meetings the presence of one member for 3 members committee, 2 members for a 4 to 6 members committee and 3 members for 7 to 9 members comittee shall form a quorum.

8. (1) No meeting of any committee shall commence or continue if the required quorum is not present. If during the 30 minutes from the time fixed for holding of any meeting, the numbers of members present is not equal to the quorum, the meeting shall stand adjourned and the adjourned meeting shall be held at the same place and at such time and on the same or the next day or to some other day as may be fixed by the Chairman.

(2) If, at any time during a meeting other than an adjouned meeting, the President/Chairman finds that the required quorum is not present, he shall either suspend the meeting until the quorum is present, or adjourn the meeting to the next day.

(3) Any meeting may be adjourned by a motion made at any time and passed by a majority of the memebers present at the meeting or by the President/Chairman as the case may be at any time if, in his opinion it is necessary to adjourned, to any fututе date or to any hour of the same day.

(4) No quorum or notice shall be required for any adjourned meeting. If the meeting as adjourned to a future day and if time premit, the Registrar shall intimate of the date, time and place of the adjourned meeting to the members who were not present. A further change in the date may be made by the President/ Chairman, if he finds it necessary, and the Registrar shall send written notice of the further change of date to each member.

15. When a motion or an amendment has been moved and seconded the members other than the mover and the seconder may speak on the motion or the amendment, as the case may be, in such order as the President may direct :

Provided that the seconder of a motion or of an amendment may, with the permission of the President, confine himself to seconding the motion or amendment, as the case may be and speak thereon at any subsequent stage of the debate.

16. The President may, at any time during the debate, make any objection or suggestion or give information to elucidate any point to help the members in the discussion.

17. (1) The mover of an original motion, and if permitted by the President, the mover of any amendment shall be entitled to a right of final reply. No other member shall speak more than once on any motion except, with the permission of the President :

Provided that any member at any stage of the dabate may raise point of order, but no speech shall be allowed on that point :

Provided further, that a member who has spoken on a motion may speak again on an amendment subsequently moved to the motion.

(2) No member shall, save with the permission of the President, speak for more than the time fixed, by the President.

(3) A speech shall be strictly confined to the subject matter of the motion or amendment on which it is made.

(4) A member making a speech or desiring to make any observation on the matter before the Council or the committee shall speak and shall address the President/Chairman.

(5) If at any time the President rises, any member speaking shall immediately resume his seat.

18. (1) When a motion of an amendment is under debate no proposal with reference thereto shall made other than.—

(a) an amendment of the motion or of the amendment, as the case may be;

(b) a motion for the adjournment of the debate on the motion or amendment either to a specific date or sine die;

(c) A motion for the closure, namely a motion that the question be now put;

(d) a motion for the closure, namely a motion that the question be now put;

(e) a motion that instead of proceeding to deal with the motion to pass to the next item of the agenda:

Provided that no such motion or amendment shall be moved so as to interrupt a speech:

Provided further that a motion referred to in clauses (b) and (c) above shall be moved without speech.

(2) Unless the President is of opinion that a motion for closure is an abuse of the right of reasonable debate, he shall forthwith put a motion that the question be one put and if that motion is carried the substantive motion or amendment under debate shall be put forthwith:

open to members for inspection subject to the permission of the President. No copy of proceedings held in camera shall be supplied bt can only be inspected by the member.

. . . . . .

Signature
President of the Council

MADHYA PRADESH PARA MEDICAL COUNCIL, BHOPAL

No. F. 5-46-2002-LV-ME-1.—In exercise of the powers conferred by clause (f) of sub-section (1) of Section 46 read with sub-section (1) of Section 20 of the Madhya Pradesh Sah Chikitsiy Parishad Adhiniyam, 2000 (No. 1 of 2001) the Madhya Pradesh Paramedical council, with the previous sanction of the State Government hereby makes the following regulations, namely:—

REGULATIONS

1. **Short title and Commencement.**—(1) These regulations may be called the Madhya Pradesh Paramedical Council Members (Travelling and other Allowances) Regulations, 2001.

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the "Madhya Pradesh Gazette"

2. **Definitions.**—In the regulations unless the context otherwise requires.—

(a) "Act" means the Madhya Pradesh Sah Chikitsiy Parishad Adhiniyam 2000 (No. 1 of 2001), and

(b) "Council" means Madhya Pradesh Paramedical Council Constituted under Section 3 of the Act.

(c) "Member" means the member of the Council excluding such members who are Government employees.

3. **Travelling and daily allowance.**—The members of the Council shall for the journey under taken by them in connection with the discharge of the duties for the performance of the work of the Council be entitled to travelling allowance and daily allowance at par with the rates admissible to the "A" Grade officers of the State Government.

4. (1) A member residing at the place of the meeting shall be paid conveyance allowance only at the rate of Rs. 100/- per day to meet the conveyance expenses.

(2) Every member including those who reside at the place of the meeting shall be paid meeting allowance at the rate of Rs. 150/- per day for each of day or part thereof on which he attends the meeting of the Council or any of its committees:

Provided that if a member attends more than one meeting on the same day, allowance shall be payable only for one meeting.

5. No claim for travelling allowance and daily allowance under these regulations shall be admissible if such allowances have been claimed for the same journey from any other sources.

6. All allowances payable under these regulations shall be claimed by presenting a bill in the form appended to these regulations within a period not exceeding six months from the day on which they become due for payment.

7. If any dispute arise with respect to the interpretation of these regulations, the decision of the Council shall be final.

MADHYA PRADESH PARAMEDICAL COUNCIL, BHOPAL

No. F. 5-46-2002-LV-ME-1.—In exercise of the powers conferred clause (b) of Section (1) of section 46 read with sub-Section 7 of the Madhya Pradesh Sah Chikitsiy Parishad Adhiniyam, 2000 (No. 1 of 2001), the Madhya Pradesh Paramedical Council, with the previous sanction of the State Government, hereby makes the following regulations, namely :—

REGULATIONS

1. **Short title and commencement.**—(1) These regulations may be called the Madhya Pradesh Paramedical Council Resignation by Nominated or Elected Members Regulations, 2001.

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the "Madhya Pradesh Gazette".

2. **Definitions.**—In these regulations, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Madhya Pradesh Sah Chikitsiy Parishad Adhiniyam, 2000 (No. 1 of 2001);

(b) "Council" means the Madhya Pradesh Paramedical Council Constituted under Section 3 of the Act;

(c) "Form" means a form appended to these regulations; and

(d) "Registrar" means the Registrar appointed under sub-section (1) of Section 33 of the Act.

3. **Tendering of Registration.**—(1) Any nominated or elected member of the Council who desires to resign his office shall tender his resignation in writing in form "A" duly signed by him to the President of the Council either in person or through a representation authorised by him in writing in this behalf.

(2) On receiving the resignation, the Registrar shall write thereon the date on which and the time at which the resignation was given to him and grant a receipt thereof in form-B.

4. **Acceptance of resignation.**—(1) On receipt of the resignation under clause 3, the Registrar shall forward a copy of such resignation immediately to the Government for information.

(2) The resignation of the nominated or elected member shall be considered by the Council at the next meeting.

(3) Notice of the meeting shall be given to all the members including the one who has submitted the resignation.

(4) On being given an opportunity by the President to speak on the resignation, if the member concerned states that he has resigned at his own accord and expresses his unwillingness to withdraw his resignation, his resignation shall be deemed to have been accepted after the termination of such meeting and he shall cease to the member of the Council immediately thereafter.

(5) The Registrar shall immediately inform the State Government about the decision of the Council and take necessary steps to fill in the casual vacancy as required by Section 9 of the Act.

(f) "Officer" means a person classified as class I and II in Schedule I by whatever name called;

(g) "Promotion Committe" means a committee constituted by the Council from time to time;

(h) "Post" means a post specified in Schedule-I;

(i) "Registrar" means the Registrar of the Council appointed under sub-section(1) of Section 33 of the Act;

(j) "Section" means the Section of the Act;

(K) "Selection Committee" means a committee constituted for the purpose of direct recruitment of candidates in the service;

(l) "Service" means the Madhya Pradesh Paramedical Council Service constituted under regulation 4 of these regulations;

(m) "Schedule" means schedule appended to these regulations;

(n) "Schedule Caste" means, any caste, race or tribe or part of or group within a caste, race or tribe specified as schedule caste with respect to the state of Madhya Pradesh under Article 341 of the Constitution of India;

(o) "Schedule Tribes" means, any tribe, tribal community or part of or group within a tribe or tribal community specified as Schedule Tribes with respect to the Stated of Madhya Pradesh under Article 342 of the Constitution of India; and

(p) "Temporary Employees" means an employee who has been appointed temporarily for a specified period.

3. **Scope and Application.**—Without prejudice to the generality of the provisions contained in the Madhya Pradesh Civil Services (General Condition of Service) Rules, 1961, these regulations shall apply to all officers and employees of the Council.

4. **Constitution of Service.**—The service shall consist of the following persons, namely:—

(i) persons who at the commencement of these regulations are holding the posts specified in Schedule I either substantively of in officiating capacity;

(ii) person recruited to the service before the commencement of these regualtions; and

(iii) persons recruited to the service in accordance with the provisions of these regulations.

5. **Classifications, Scale of Pay, etc.**—The classification of the service, the number of posts included in the service and scale of pay attached thereto, shall be as specified in Schedule-I:

Provided that the Council with the previous sanction of the Government may from time to time add to or reduce the number of posts included in the service either on permanent of temporary basis.

6. **Method of Recruitment.**—Recruitment to the service, after the commencement of these regulations, as specified in Schedule II, shall be made by the following methods, namely :—

(i) by direct recruitment by selections;
(ii) by promotion: or

(3) Ex-personnel of Madras Civil Unit;

(4) Officers (Military and Civil) discharged on completion of their contract (including short service regular commissioned officer);

(5) Officer discharged after working for more then 6 months continuously against leave vacancies;

(6) Ex-serviceman invalided out of service;

(7) Ex-serviceman discharged on the ground that they are unlikely to become efficient soldier;

(8) Ex-serviceman who are medically boarded out on account of gun-short wounds, etc;

(d) The general upper age limit shall be relaxable up to five years in respect of widow, destitute or divorced women candidates.

(e) The upper age limit shall be relaxable up to 2 years in respect of Green Card holder candidates under the Family Welfare Programme.

(f) The general upper age limit shall be relaxable upto five years in respect of awarded superior caste partner of a couple under the inter-caste marriage incentive programme of the Tribal Scheduled Caste and Backward Classes welfare department.

(g) The upper age limit shall be relaxed upto five years in respect of the "Vikram Award" holder candidates.

(h) The upper age limit shall be relaxable upto maximum of 38 years of age in respect of candidate who are employees of Madhya Pradesh State Corporations/Boards/Council.

(i) The upper age limit shall be relaxed in the case of volunatry Home Guards and Non-Commissioned Officers of Home Guards for the period of service rendered so by them subject to the limit of 8 years but in no case their age should exceed 38 years.

(j) The upper age limit shall be relaxable upto maximum of ten years to a woman candidate in accordance with the provisions of rule 4 of the Madhya Pradesh Civil Service (Special Provisions for appointment of women) Rules, 1997.

Note.—(1) Candidates who are found eligible for selection under the age concessions mentioned in sub-clause (i) and (ii) of clause (c) above will not be eligible for appointment if after submitting the application they resign from service either before or after the selection. They will, however continue to be eligible if they are retrenched from the service or post after submitting the applications.

Note.—(2) In no other case will these age limits be relaxed, Departmental Candidates must obtain previous permission of their appointing authority to appear for the selection.

(2) Education Qualifications : The candidate must posses the educational qualifications prescribed for the service as shown in Schedule-III provided that :—

(a) In exceptional cases the selection committee may on the recommendations of the Appointing Authority treat as qualified any candidate who though not possessing any of the qualifiations prescribed in this clause, has passed examinations conducted by other institutions by such a standard, which in the opinion of

(2) The Promotion Committee shall meet as and when required by the Council.

(3) The provisions of reservation of post as determined by the Government for Government services, for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, woman and other Backward classes shall be applicable to the service for promotion.

14. **Conditions of Eligibility for Promotion.**—The Committee shall consider the cases of all persons who on the first day of January of the year have completed not less than such number of years of continuous service as specified in column (4) of Schedule-IV in the post mentioned in column (2) of the said Schedule. The promotion to the clerical posts in which accounts training is compulsory will be made only from the persons qualified in accounts. Persons who were promoted without qualifying in accounts against such posts will have to qualify in accounts within a period of 2 years from the date of commencement of these regulations.

15. **Preparation of list of suitable persons.**—(1) The Committee shall prepare a list of such persons satisfying the conditions prescribed in regulation 14 above and as are held by the Committee to be suitable for promotion to the service. The list shall be sufficient to cover the anticipated vacancies on account of retirement and promotion during the course of one year from the date of preparation of the select list. A reserve list consisting of twenty five percent of the number of persons included in the said list shall also be prepared to meet the unforeseen vacancies occurring during the course of the aforesaid period.

(2) The selection for inclusion in such list shall be based on seniority-cum-merit.

(3) The names of the employees included in the list shall be arranged in order of seniority in the post as specified in column (2) of Schedule IV, at the time of preparation of such select list.

Explanation.—A person whose name is included in a select list but who is not promoted during the validity of the list, shall have no claim of seniority over those considered in a subsequent selection merely by the fact of his earlier selection.

(4) The list so prepared shall be reviewed and revised every year.

(5) If in the process of selection, review or revision it is proposed to supersede any member of the service, the committee shall record its reasons for the proposed super session.

16. **Select list.**—(1) The Council shall consider the list prepared by the Committee and unless considers any change necessary, approve the list.

(2) If the Council considers it necessary to make any change in the list received from the committee, the Council shall inform the Committee of the changes proposed and after taking into account the comment, if any, of the committee the Council may approve the list finally with such modifications, if any, as may in its opinion be just and proper.

(3) The list as finally approved by the Council shall from the select list for promotion of the members of the service.

(4) The select list shall ordinarily be in force until if is reviewed of revised in accordance with clause (4) of regulation 15 but its validity shall not be extended beyond total period of 18 months from the date of its preparation :

capacity shall be determined in accordance with the principles laid down in Rule 12 of the Madhya Pradesh Civil Services (General Condistions of Service) Rules, 1961.

23. **Pay during Probation.**—The pay during probation of a person directly recruited shall be governed by the provisions of Fundamental Rule 22 (c).

24. **Pay Scale.**—(1) Unless otherwise decided with prior approval of the Government, all matters of salary be decided by the Council according to the principles laid down in Fundamental Rules of the Government.

(2) The pay scales admissible to the officers and servants of the state Government shall be applicable to the equal, grade of members of the service from time to time.

(3) The initial pay of a member of the service shall be determined in accordance with the principles laid down in the Fundamental Rules applicable to Government Servants.

25. **Increment.**—An increment of an employee shall ordinarily be drawn as a matter of course subject to the provisions of Fundamental Rule 24 read with Fundamental Rule 26.

26. **Allowances.**—The following allowances shall be payable to the officers and servants of the Council;

(1) Dearness Allowance—The dearness allowances payable to the Government employees from time to time shall be payable to the officers and servants of the Council.

(2) City Compensatory Allowances—The city compensatory allowance payable to the Government employees from time to time shall be payable to the officers and servant of the Council.

(3) House Rent Allowance—The members of the service shall be entitled to House Rent Allowance at such rates as are applicable to Government servant of the similar grades.

27. **Medical Assistance.**—The member of the service shall be entitled to the reimbursement of medical expenses within the State or outside the State for treatment as per provision of the Madhya Pradesh Civil Services (Medical attendence) Rules, 1958 as amended from time to time in the same manner as they apply to Government Servants.

28. **Loans and Advances.**—(1) The member of the service shall subject to availability of funds be entitled to—

(i) House Huilding advance including advance for purchase of plot for construction of house.

(ii) Advance for purchase of Motor Car/Motor Cycle/Scooter/Moped/Bicycle.

(iii) Advance for Medical Treatment.

(iv) Tour Advance.

(2) The grant of advance stated in items (i) and (ii) of clause (1) and recovery thereof shall be subject to the provisions of Rules 231 to 264 of Madhya Pradesh Financial Code Volume I as amended from time to time and the orders issued by the Government from to time.

(3) The grant of advance for Medical Treatment shall be governed by the conditions prescribed in Memo No.G/3/2/89-R-4/IV, dated 26.10.89 and of even number dated 26.12.89 issued by finance Department of Government of Madhya Pradesh followed by any amendment made therein.

(2) The Officers of the Council shall be paid road mileage at the rate applicable to Government officers if journey is performed by him in own car.

37. **Contributory Provident Fund.**—The members already in service or the members appointed in accordance with the provisioins of these regulations shall continue to subscribe or subscribe as the case may be to the Council's Contributory Provident Fund as per practice in vogue in the Council and shall be regulated with such terms and conditions as the Council, in the best interest of the service, may deem fit.

38. **Service Record.**—(1) Service book shall be kept for every member of the service. The service book shall be maintained in the same form and manner as prescribed for Government servants. The service book shall be maintained by the Registrar.

(2) Personal Files :—

(a) Personal files of every member of the service shall be maintained and shall be kept in the office of the Council.

(b) The personal files maintained shall contain original orders of appointment, promotion, punishment, suspension and such other particulars pertaining to the member of the service which may throw light on his working, character, conduct etc.

(3) Confidential Reports :—(a) Confidential Report shall be maintained for all members of the service as in the case of Government servants.

(b) The Confidential Report shall be wirtten anually in the month of April for the previous financial year. The procedure of initiating, reviewing and accepting of the report shall be such as is applicable in respect of the Government Servants.

(4) Any adverse remarks given in the Confidential Report shall be communicated to the concerned member of the service by the Registrar, normally within 90 days of the acceptance of the Confidential Report. It will be open to the member of the service to whom adverse remarks have been communicated to make a representation within 45 days of its receipt to the President to have the unfavorable remarks against him in the Confidential Report expunged. The decision of the President shall normally be final and shall normally be communicated within 6 months of the receipt of the representation:

Provided that instruction not covered under this regulation shall be followed as per the General Book Circular No. part 1/7.

39. **Conduct**—The members of the service shall be governed by the Madhya Pradesh Civil Services (Conduct) Rules, 1965 subject to the following provisions :—

(1) The member of the service is prohibited from making adverse criticism of the Council.

(2) The Authorities competent to approve acceptance of gift for the purpose of rule 19 and for acquiring or disposal of movable or immovable property under rule 19 of the said rules shall be as under :—

(a)	In case of Class III and IV	—	Registrar
(b)	In case of Class II and I officers	—	President

40. **Service Conduct, Disciplinary Control and Appeal**—(1) For the matters in connection with punishment, suspension and disciplinary action, in respect of the service shall be governed by the Madhya Pradesh Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1966.

SCHEDULE-II
(*See* Regulation 6)

S. No.	Name of post included in the service	Total No. of Duty posts	Percentage of the number of duty post to filled in by		
			Direct recruitment	Promotion	Transfer
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
To be filled in by the Council					

SCHEDULE-III
(*See* Regulation 8)

S. No.	Name of post included in the service	Minimum age	Maximum Age	Educational qualifications
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
To be filled in by the Council				

SCHEDULE-IV
(*See* Regulation 14)

S. No.	Name of post from which promotion is to be made	Name of post to which promotion is to be made	Desired experience
(1)	(2)	(3)	(4)
To be filled in by the Council			

President,
Madhya Pradesh Sah Chikitsiy Parishad

3. I will Practice my profession with conscience and dignity;

4. The death of my patient shall be my first consideration;

5. I will respect the secrets which are confided in me;

6. I will maintain by all means in my power, the honour and noble traditions of medical professions;

7. My Colleagues will be my brothers;

8. I will not permit considerations of religion, nationality, race, party-politics or social standing to intervene between my duty and my patient;

9. I will maintain the utmost respect for human life from the time of conception; and

10. Even under threat, I will not use my medical knowledge contrary to the laws of humanity.

I make these promises solemnly, free and upon my honour.

Place :_____

Date :_____

. . . . . .

Signature

. . . . . .

PRESIDENT
MADHYA PRADESH PARAMEDICAL COUNCIL

MADHYA PRADESH PARAMEDICAL COUNCIL, BHOPAL

No. F. 5-46-2002-LV-ME-1.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of Section 46 of the Madhya Pradesh Sah Chikitsiy Parishad Adhiniyam, 2000 (No. 1 of 2001), the Madhya Pradesh Paramedical Council, with the previous sanction of the State Government, hereby makes the following regulations, namely :—

REGULATIONS

1. **Short title and commencement.**—(1) These regulations may be called the Madhya Pradesh Paramedical Council (Management of Property) Regulations, 2001.

(2) These regulations shall come into force with effect from the date of their publication in the "Madhya Pradesh Gazette".

2. **Definitions.**—In these regulations, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Madhya Pradesh Sah Chikitsiy Parishad Adhiniyam, 2000 (No. 1 of 2001);

(b) "Council" means the Madhya Pradesh Paramedical Council established under Section 3 of the Act;

(c) "Form" means a form appended to these regulations; and

(d) "Registrar" means the Registrar appointed under sub-section (1) of section 33 of the Act.

days of confirmation of the bid the twenty five percent amount deposited by him shall stand forfeited and the auction shall be treated as canceled.

14. **Refund of earnest money.**—(1) The amount of earnest money of the rest of the bidders shall be refunded to the persons concerned.

(2) Where a lower bid in proposed to be accepted under proviso to sub clause (b) of clause 13 the amount deposited under clause (c) of the said clause shall be refunded to the person concerned as soon as may be, after the approval of the lower bid by the State Government.

15. **Reauction of immovable property.**—Immovable property whose auction has been canceled under regulation 13 shall be reauctioned in the manner provided by these regulations.

FORM

(*See* Regulation 4)

REGISTER OF IMMOVABLE PROPERTY

1. Serial No.
2. Name of village or town in which the property is situated
3. Description situation and boundaries of the property
4. Settlement number or number in the Nazul Register, Land Record Department (in case of land)
5. Area or size
6. Valuation
7. Number and date of Government order transferring the management to the Council
8. Description of the property held
   - (1) Under direct management—
     - (i) Date of acquiring
     - (ii) No. and date of order authorising such accupation
   - (2) Received in donation —
     - (i) The name of the doner
     - (ii) The approximate value
   - (3) Purchased or constructed-
     - (i) Date of Purchase or sanction of construction
     - (ii) Value of the property
9. Name of the tenant or lease if any, and term of lease
10. Date of termination of lease
11. Rent per annum
12. Method of final disposal of pro-perty with number and date of Government order sanctioning sale, etc., name of purchaser, if any, and amount for which sold.
13. Whether registration has been done, if yes, give registration number and date, etc.
14. Signature of the Registrar
15. Remarks.

PRESIDENT

MADHYA PRADESH PARAMEDICAL COUNCIL

No. 5-46-2002-LV-ME-1.—In exercise of the powers conferred by clause (i) of section 23(2) of the Madhya Pradesh Saha Chikitsiy Parishad Adhiniyam, 2000 (No. 1 of 2001), the Madhya Pradesh Saha Chikitsiy Parishad, with the previous sanction of the State Government, hereby makes the following regulation fixing norms and guidelines for establishment of Saha Chikitsiy Shiksha Sanastha.—

REGULATIONS

PART-I PRELIMINARY

1. **Short title and commencement.**—(1) These regulations may be called the Madhya Pradesh Paramedical Council (Establishment of Paramedical Institutions-Guidlines.) Regulations, 2001.

(2) They shall come into the force on the date of their publication in the "Madhya Pradesh Gazette".

2. **Definitions.**—In these regulations, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Madhya Pradesh Sah Chikitsiy Parishad Adhiniyam, 2000 (No. 1 of 2001); and

(b) "Council" means the Madhya Pradesh Paramedical Council established under Section 3 of the Act;

PART-II
INSTRUCTION TO THE APPLICANT

3. **Eligibility Criteria.**—The following organisation shall be eligible to apply for permission to setup new Saha Chikitsiy Shikshan Sansthan:—

(1) Universities & State Government/Union Territories.
(2) Autonomous Bodies promoted by Central and State Governments
(3) Societies registered under Societies Registration Act, 1860 or corresponding Acts in States.
(4) Public Trusts religious or chartable registered under Indian Trust Act, 1882, Waks Act etc.

4. **QUALIFYING CRITERIA** .—The eligible organisation shall abide by Madhya Pradesh Saha Chikitsiy Parishad Act, 2000 as modified from time to time and the regulations framed thereunder and shall qualify to apply for permission to establish new Saha Chikitsiy Shikshan Sansthan only if the following conditions are fulfilled:

(1) that Para Medical Education (Saha Chikitsiy Shikshan Sanstha) is one of the main objective of the applicant.

(2) that . . . . plot of land as prescribed by the Madhya Pradesh Saha Chikitsiy Parishad is owned and possessed by the applicant to set-up the proposed Saha Chikitsiy Shikshan Sansthan the live acres of land for degree and diploma & 3 acres for certificate courses.

(3) that essentiality certificate regarding the desirability and fesibility of having the proposed Saha Chikitsiy Shikshan Sansthan at the proposed location has been obtained and that the adequate clinical material is available as per Madhya Pradesh Saha Chikitsiy Parishad requirements has been obtained by the applicant from the respective State Government or the Union Territory Administration or Collector of the district within the State.

(4) that consent of Affiliation for the proposed Saha Chikitsiy Shikshan Sansthan has been obtained by the applicant from a recognised university for degree and diploma courses.

(2) Information regarding basic infrastructural facilities and managerial and financial capabilties of the applicant and

(3) Information regarding availability of necessary certificate and consents as proposed in the qualifying crirera.

Part-B

Part-B of the application will contain detailed description of the scheme to set up to new Para educational institution and will be submitted in the form of a detailed Techno-Economic Feasibility Report about the proposed Para Medical educational institution complete with the following :—

(1) name and address of the educational institutions.'

(2) market survey and environmental analysis including national and regional educational policy need and availability of trained paramedical manpower gap analysis. desirability and primaface fesibility of establishing a new paramedical educational institution at the proposed location.

(3) site characteristies and availability of exiternal link age including topography plot size, permissiable floor space index ground coverage, building height, road access, availibility of public transport, electric supply, water-supply, sewage connection, telephone lines etc.

(4) educational programme including annual intake of students admission criteria and method of admissioin reservation preferential allocation of seats (if any) department-wise and year wise curriculum of stuties.

(5) functional programme including department-wise service-wise functional requirements and area distribution and room-wise seating capacity.

(6) equipment programme including room-wise list of medical scientific and allied equipment complete with schedule of quantities and specifications.

(7) manpower programme including department wise requirement of teaching staff (full-time) technical administrtive and aneillary staff. category-wise recruitment critena and salary structure etc. minimum as per M. P. State Government scale.

(8) building programme : including building-wise-built-up area of the educational insitituions faculty and staff housing, staff and student hostel, administrative office, library, auditorium animal house mortuary and other infrastructural facilities such as cultural and recreational centresport complex etc.

(9) planning and layout : including master plan of the educational institution complex, layout plant sections vations and floor-wise area claculations of the educational institutions and ancillary banking etc.

(10) phasting and scheduling : including month-wise schedule of activities indication commencement and completion of building design, local body aprovals, civil construction and equipment, recruitment of staff and phased commissioning commensurate with the proposed intake of students.

(11) project cost : including capital cost of land buildings plant and machinery, medical scientific and allied equipment, furnuture and fixtures, and preliminary and pre-operative expenses,

(11) phasing and scheduling of the expansion scheme: including month-wise master schedule of activities indicating commencement and completion of building design, local body approvals, civil construction, hospital services, provision of medical and allied equipment, recruitment of staff etc to commensurate with the development of the proposed educational institutions.

(12) project cost of the expansion scheme: including additional cost of land, buildings, hospital services, medical and allied equipment, furniture and fixtures and preliminary and pre-operative expense.

(13) means of financing the cost of expansion scheme: including contribution of the applicant grants and donation, equity and term loans and other sources, if any;

(14) revenue assumptions: including details of income from various procedures and services upgraded service loads and annual revenue;

(15) expenditure assumptions: including operating expenses, financial expenses, and depreciation; and

(16) operating results: including income statements, cash flow statements and balance sheets.

6. **APPLICATION FEE.**—The application shall be submitted by registered post only to the Madhya Pradesh Saha Chikitsiy Parishad, Bhopal alongwith a non-refundable application fee of Rs 25 thousand for degree, Rs 15 thousand for diploma and Rs 10 thousand for certifiate per course in the form of demand draft/ pay order in favour of "Madhya Pradesh Saha Chikisiy Parishad" payable at Bhopal. The fee is for registration, technical scrutiny, contingent expenditure and for the inspections/evaluation of the examinations at the end of each professional examinations i. e. all the end of Ist professional examinations, IInd professional and IIIrd professional. Beyond one inspections, the normal inspection fee prescribed by the Parishad will apply.

7. **REGISTRATION.**—Applications found complete in all respects will be registered by Madhya Pradesh Saha Chikitsiya Parishad for evaluation and recommendations. Registration of the applications will only signify the acceptance of the application for evaluation. It will however, under no circumstances, means approval of the application for grant of permission.

The period of one year prescribed under the Madhya Pradesh Saha Chikitsiy Parishad Act, 2000 for processing of an application for setting up of a new paramedical educational institutions will commence from the date of registration of the application by the Madhya Pradesh Saha Chikitsiy Parishad.

Incomplete applications will not be registered and will be returned by the Madhya Pradesh Saha Chikitsiya Parishad to the applicant along with enclosures and processing fee.

8. **PRESCRIBED PERIOD.**—In computing the time limit specified above, the time taken by the authorities and institutions submitting the scheme in furnishing any information/clarification or additional documents called for by the Parishad shall be execluded.

9. **EVALUATION BY MADHYA PRADESH SAHA CHIKITSIY PARISHAD .**—Madhya Pradesh Saha Chikitsiy Parishad will evaluate Part-A of the application in the first instance to establish the desirability and prima-facie feasibility of setting up the paramedical educational institutions at the proposed location and the capability of the applicant to provide the necessary sources and infrastructure of the scheme while evaluating each part of the application the Parishad may seek further information/clarification or additional documents from the applicant as considered necessary or may carry out physical inspection to verify the information.

10. **GRANT OF PERMISSION.**—The Madhya Pradesh Saha Chikitsiy Parishad, may issue a letter of intent to set up a new paramedical educational institutions with such conditions by modification in the

डाक-व्यय की पूर्व-अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत, अनुमति-पत्र क्र. भोपाल-एम.पी. सि. पु. 4/04 भोपाल-2002.

पंजी. क्रमांक भोपाल डिवी. एम. पी. 108/भोपाल/20

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 503] भोपाल, बुधवार, दिनांक 30 अक्टूबर 2002—कार्तिक 8, शक 1924

चिकित्सा शिक्षा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 30 अक्टूबर 2002

क्र. एफ. 5-69-2002-चिकित्सा-शिक्षा-1.—मध्यप्रदेश सह चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 2000 (क्रमांक 1 सन् [illegible] "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक 18 जुलाई 2001 को प्रकाशित किया जाकर, दिनांक 12 जनवरी 2001 से संपूर्ण मध्यप्रदेश में [illegible] हो गया है. उक्त अधिनियम की अनुसूची में निम्न विषय सम्मिलित किये गये हैं :—

1. भौतिक चिकित्सा/व्यावसायिक चिकित्सा पाठ्यक्रम.
2. वाक्शक्ति चिकित्सा पाठ्यक्रम.
3. श्रव्य शास्त्री.
4. प्रयोगशाला तकनीशियन (विभिन्न प्रकार के).
5. किरण तकनीशियन/रेडियोग्राफर.
6. ई.सी.जी. तकनीशियन.
7. प्लास्टर टेक्नीशियन.
8. आर्थो टेक्नीशियन.
9. [illegible] कक्ष तकनीशियन (गोल्ड रूम टेक्नीशियन).
10. गामा कैमरा तकनीशियन.
11. आर्थोटिक तकनीशियन.
12. आप्टोमेट्रिस्ट.
13. आर्थोटिक एवं कान्टेक्ट लेन्स.
14. [illegible] तकनीशियन.
15. अल्ट्रा साउण्ड.
16. एन्जियोग्राफी.
17. शल्य क्रिया कक्ष तकनीशियन.
18. मानव पोषण में उपाधि, पत्रोपाधि और प्रमाण-पत्र.
19. डायलेसिस तकनीशियन.
20. इन्सुलेशन चिकित्सा तकनीशियन.
21. स्वास्थ्य निरीक्षक तकनीशियन.
22. अस्पताल चिकित्सा अभिलेख विज्ञान.
23. कम्पाउण्डर (एलोपैथी, आयुर्वेदिक, यूनानी तथा होम्योपैथिक).

डाक-व्यय की पूर्व-अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत, अनुमति-पत्र क्र. भोपाल म. प्र. सि.पु.मु./04 भोपाल-03-05

पंजी क्रमांक भोपाल डिवीजन म. प्र. 108-भोपाल-03-05

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 34] भोपाल, सोमवार, दिनांक 20 जनवरी 2003—पौष 30, शक 1924

चिकित्सा शिक्षा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 17 जनवरी 2003

क्र. एफ-2-68-98-पचपन-चिशि.-1.—मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद् अधिनियम, 2000 (क्रमांक एक, सन् 2001) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, 17 जनवरी 2003 से मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद् की स्थापना करती है.

क्र. एफ-2-68-98-पचपन-चिशि.-1.—मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद् अधिनियम, 2000 (क्रमांक एक, सन् 2001) की धारा 4 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद् के पदेन तथा नाम-निर्दिष्ट सदस्यों के निम्नलिखित नामों को अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

क. पदेन सदस्य

(एक) माननीय मंत्री, चिकित्सा शिक्षा,
(दो) संचालक, चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश,
(तीन) संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं, मध्यप्रदेश,
(चार) संचालक, भारतीय चिकित्सा पद्धति, मध्यप्रदेश,
(पांच) अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मंडल, मध्यप्रदेश अथवा उसका नाम-निर्देशिती.

ख. नामनिर्दिष्ट सदस्य

(छह) डॉ. श्रीराम अग्रवाल, संकायाध्यक्ष, मेडिसिन, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर,
(सात) डॉ. श्यामलाल शर्मा, प्रधानाचार्य, शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, उज्जैन,
(आठ) डॉ. देवेन्द्र कुमार तनेजा, प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, अस्थिरोग एवं भौतिक चिकित्सा, महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, इंदौर,

डाक-व्यय की पूर्व-अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. भोपाल-म.प्र. सि.पु.भू. भोपाल-02-06.

पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन म. प्र. 108-भोपाल-06

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 257] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 25 मई 2006 ...

चिकित्सा शिक्षा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 25 मई 2006

क्र. एफ. 5-1-06-1-पचपन.—मध्यप्रदेश, ... चिकित्सीय परिषद् अधिनियम, 2000 (क्रमांक 1, सन् 2001) की धारा ... धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ. 5-69-2002-पचपन-चि. शि. ... दिनांक 30 अक्टूबर 2002 "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)," दिनांक 30 अक्टूबर 2002 में प्रकाशित की गई है.

2.—उक्त अधिसूचना में अनुक्रमांक 31 तथा तत्संबंधी प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा प्रविष्टियां ... जाय, अर्थात्:—

32. नेचुरोपैथी

33. योगा

F. No. 5-1-06-1-LV.—In exercise of the powers conferred by Section 49 read with Section 28 of the Madhya Pradesh Sah Chikitsiy Parishad Adhiniyam, 2000 (No. ... 2001), the State Government Published notification No. 5-69-2002-IV-MB-1, dated the 30th October 2002, namely in Madhya Pradesh Gazette (Extra Ordinary) dated 30th October 2002.

2. In the said notification after serial number 31 and entries relating thereto the following serial numbers and entries shall be added, namely:—

32. Naturopathy

33. Yoga

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वाय. सत्यम, अवर सचिव.

FROM : DISMGH BHOPAL FAX NO. : 0755 Apr. 05 2007 04:06PM

डाक-व्यय की पूर्व-अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. भोपाल-म. प्र. बि.पू.प्र. भोपाल-02-06.

[illegible] ...-06-CS.

मध्यप्रदेश राज

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

23 मार्च 2007

क्रमांक 106] [illegible]

[illegible]

[illegible]

क्र. एफ. 5-1-2006-1-[illegible] धारा 49 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, [illegible] करती है, जो इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक [illegible] है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, [illegible] प्रविष्टि जोड़ी जाए, अर्थात् :—

"34. महिला आयुर्वेदिक [illegible]."

(महिला आयुर्वेदिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता)

No. F. 5-1-2006-1-LV.—In exercise of the powers conferred by Section 49 read with Section 28 of Madhya Pradesh Chikitsiya Parishad Adhiniyam, [illegible] the State Government hereby makes the following further amendment in the Schedule of the said Adhiniyam [illegible] Department's Notification No. 5-69-2002-LV-ME-[illegible] October, 2002, namely :—

AMENDMENT

In the said Notification, in the Schedule, after serial number 33 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto, shall be added, namely :—

"34. Mahila Ayurvedic [illegible]."

MAHILA AYURVEDIC SWASTHYAKARTA

[illegible]

[illegible]

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक परिमंडल के पत्र क्रमांक 22/153, दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.

पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन म. प्र.-108-भोपाल/06-08.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 335] भोपाल, सोमवार, दिनांक 2 जुलाई 2007—आषाढ़ 11, शक 1929

चिकित्सा शिक्षा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 2 जुलाई 2007

क्र. एफ-5-1-2007-1-पचपन.—मध्यप्रदेश चिकित्सीय परिषद् अधिनियम 2000 (क्रमांक 1 सन् 2001) की धारा 28 सहपठित धारा 49 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, उक्त अधिनियम में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, उक्त अधिनियम की अनुसूची में निम्नलिखित और संशोधन करती है, जो इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 5-69-2000-पचपन-एल.वी.-मे.-1, दिनांक 30 अक्टूबर 2002 के द्वारा भी प्रकाशित की जा चुकी है:—

संशोधन

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में अनुक्रमांक 34 तथा उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टि जोड़ी जाए, अर्थात्,—

"35-डिप्लोमा इन आयुर्वेद फार्मेसी (डी फार्मा आयुर्वेद)"

No. F-5-1-2007-1-LV.—In exercise of the powers conferred by section 49 read with section 28 of Madhya Pradesh Chikitsiya Parishad Adhiniyam, 2000 (No. 1 of 2001), the State Government hereby makes the following further amendment in the schedule of the said Adhiniyam which was also published vide this Department's Notification No. 5-69-2000-LV-ME-1, dated 30th October, 2002, namely:—

AMENDMENT

In the said Notification, in the schedule, after serial number 34 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be added, namely.—

" 35. Diploma in Ayurved Pharmacy (D Pharma, Ayurved)"

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वाय. सत्यम, अपर सचिव.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2007

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक परिमंडल के पत्र क्रमांक 22/153, दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.

पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल/06-08.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 529] भोपाल, शनिवार, दिनांक 27 अक्टूबर 2007—कार्तिक 5, शक 1929

चिकित्सा शिक्षा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 अक्टूबर 2007

क्र. 3907-1079-07-1-पचपन.—मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद् अधिनियम, 2000 (क्रमांक 1, सन् 2001) की धारा 4 उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद् की स्थापना तथा सदस्यों के नामनिर्देशन से संबंधित इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 2-68-98-पचपन-चि.शि.-1, दिनांक 17 जनवरी, 2003 में जो "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)", दिनांक 20 जनवरी, 2003 में प्रकाशित की गयी थी, निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में शीर्षक "ख-नामनिर्दिष्ट सदस्य" में,—

(1) अनुक्रमांक (छह) तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

"(छह) डॉ. एम. के. सारस्वत, संकायाध्यक्ष, स्वायत्त महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर,";

(2) अनुक्रमांक (आठ) तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

"(आठ) डॉ. टी. (राजा) प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष (अस्थि रोग), स्वायत्त नेताजी सुभाषचन्द्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर," राजा

(3) अनुक्रमांक (नौ) तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

"(नौ) डॉ. डी. पी. लोकवानी, प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष (पैथालाजी), स्वायत्त नेताजी सुभाषचन्द्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर.".

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153 दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान योजना अन्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.

पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल/06-08.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 58] भोपाल, बुधवार, दिनांक 6 फरवरी 2008—माघ 17, शक 1929

चिकित्सा शिक्षा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 फरवरी 2008

क्र. एफ 13-1-806-2007-2-पचपन.—मध्यप्रदेश सह-चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 2000 (क्रमांक 1 का 2001) की धारा 49 सहपठित धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, उक्त अधिनियम की अनुसूची में निम्नलिखित और संशोधन करती है, जो इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 5-69-2000-पचपन-एम ई, दिनांक 30 अक्टूबर 2002 के द्वारा भी प्रकाशित की जा चुकी है:—

संशोधन

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में अनुक्रमांक 35 तथा तत्संबंधी प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां जोड़ी जाएं, अर्थात् :—

36. पंचकर्म टेक्नीशियन पाठ्यक्रम

No. F. 13-1-806-2007-2-LV.—In exercise of the powers conferred by Section 49 read with Section 28 of the Madhya Pradesh Sah Chiktsiy Parishad Adhiniyam, 2000 (No. 1 of 2001), the State Government hereby makes the following further amendment in the schedule of the said published vied this Department's Notification No. 5-69-2000-LV-ME-1, dated 30th October 2002, namely :—

AMENDMENT

In the said Notification, in the schedule, after serial number 34 and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be added, namely :—

36. Panchkaram Technician Pathyakaram

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुभा श्रीवास्तव, उपसचिव.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2008.

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153, दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.

पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन म. प्र.-108-भोपाल-06-08.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 493] भोपाल, बुधवार, दिनांक 13 अगस्त 2008—श्रावण 22, शक 1930

चिकित्सा शिक्षा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 12 अगस्त 2008

क्र. एफ. 13-4-2008-2-पचपन.—मध्यप्रदेश सह-चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 2000 (क्रमांक 1 का 2001) की धारा 49 सहपठित धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, उक्त अधिनियम की अनुसूची में निम्नलिखित और संशोधन करती है, जो इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 5-69-2000-पचपन-एम.ई., दिनांक 30 अक्टूबर 2002 के द्वारा भी प्रकाशित की जा चुकी है :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में अनुक्रमांक 36 तथा तत्संबंधी प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां जोड़ी जाएं, अर्थात् :—

37. बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता (पुरुष)

No. F. 13-4-2008-2-LV.—In exercise of the powers conferred by Section 49 read with Section 28 of the Madhya Pradesh Sah-Chiktsiy Parishad Adhiniyam, 2000 (No. 1 of 2001) the State Government hereby makes the following further amendment in the Schedule of the said Published *vide* this Department's Notification No. 5-69-2000-LV-M.E.-1, dated 30th October 2002, namely :—

AMENDMENT

In the said Notification, in the Schedule, after serial number 36 and entries relating thereto the following serial numbers and entries shall be added, namely:—

37. Multipurpose Health Worker (Male)

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुभा श्रीवास्तव, उपसचिव.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2008.

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153, दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.

पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 73] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 26 फरवरी 2009—फाल्गुन 7, शक 1930

चिकित्सा शिक्षा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 फरवरी 2009

क्र. एफ. 5-1-2009-1-पचपन.—मध्यप्रदेश सह-चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 2000 (क्रमांक 1 का 2001) की धारा 49 सहपठित धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, उक्त अधिनियम की अनुसूची में निम्नलिखित और संशोधन करती है, जो इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 5-69-2000-पचपन-एम.ई., दिनांक 30 अक्टूबर, 2002 के द्वारा भी प्रकाशित की जा चुकी है :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में अनुक्रमांक 37 तथा तत्संबंधी प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां जोड़ी जाएं, अर्थात् :—

38. डेन्टल मेकेनिक्स
39. डेन्टल हाईजीन

No. F. 5-1-2009-1-LV.—In exercise of the powers conferred by Section 49 read with Section 28 of the Madhya Pradesh Sah-Chiktsiy Parishad Adhiniyam, 2000 (No. 1 of 2001), the State Government hereby makes the following further amendment in the schedule of the said published *vide* this Department's Notification No. 5-69-2000-LV-ME-1, dated 30th October 2002, namely :—

AMENDMENT

In the said Notification, in the schedule, after serial number 37 and entries relating thereto the following serial numbers and entries shall be added, namely :—

38. Dental Mechanics
39. Dental Hygiene

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुभा श्रीवास्तव, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2009.

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153, दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.

पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 72] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 26 फरवरी 2009—फाल्गुन 7, शक 1930

चिकित्सा शिक्षा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 फरवरी 2009

क्र. एफ 10-64-2005-पचपन-चिशि-1.—मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद् अधिनियम, 2000 (क्रमांक 1 सन् 2001) की धारा 45 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश राज्य में सह-चिकित्सीय शिक्षण संस्थान की स्थापना के लिए मानक तथा मार्गदर्शक सिद्धांत नियत करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :—

नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय शिक्षा (सह-चिकित्सीय संस्थाओं की स्थापना के लिए मानक तथा मार्गदर्शक) नियम, 2007 है.

(2) ये मध्यप्रदेश राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. **परिभाषाएं.**—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद् अधिनियम, 2000 (क्रमांक 1 सन् 2001);

(ख) "परिशिष्ट" से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट;

(ग) "परिषद्" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 3 के अधीन स्थापित मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद्.

3. **पात्रता मानदंड.**—निम्नलिखित संगठन नवीन सह-चिकित्सीय शिक्षण संस्थान स्थापित करने की अनुज्ञा के लिए पात्र होंगे:—

(क) किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र का विश्वविद्यालय;

(छ)(एक) सह-चिकित्सीय शिक्षण संस्थान में छात्रों को प्रवेश, परिषद् का, पाठ्यक्रमों को प्रारंभ करने के लिए अधोसंरचनात्मक और अन्य सुविधाओं के बारे में समाधान हो जाने के पश्चात् ही दिया जाएगा.

(दो) यदि भविष्य में किसी संस्थान की मान्यता किसी आधार पर प्रत्याहृत कर ली जाती है, तब ऐसे संस्थान के विद्यार्थियों को, किसी अन्य मान्यता प्राप्त संस्थान में स्थानान्तरित करने का अधिकार परिषद् को होगा.

(ज) आवेदक के पास प्रस्तावित शिक्षण संस्थान को स्थापित करने की और इसकी आनुषंगिक सुविधाओं जैसे अध्यापन, कर्मचारिवृन्द आदि की आवश्यक प्रबंधकीय और वित्तीय क्षमताएं हैं.

(झ) आवेदक संस्था, उसकी वित्तीय स्थिति के संबंध में आवेदन के साथ चार्टर्ड अकाउन्टेंट की तीन वर्ष की संपरीक्षा रिपोर्ट उपलब्ध कराएगी.

(ञ) आवेदक, एक से तीन पाठ्यक्रमों के लिए तीन लाख रुपये, एक से दस पाठ्यक्रमों के लिए पांच लाख रुपये और दस से अधिक पाठ्यक्रमों के लिए पांच लाख रुपए के अतिरिक्त समस्त विषयों में प्रत्येक अतिरिक्त पाठ्यक्रम के लिए दो लाख की दर से, परिषद् के पक्ष में एक बैंक गारन्टी परिषद् द्वारा निर्धारित अधोसंरचनात्मक, शिक्षण और अन्य मानकों की पूर्ति के लिए प्रस्तुत करेगा. यदि परिषद् का यह मत है कि संस्था नियमों के अनुसार कार्य नहीं कर रही है तो संस्था द्वारा प्रस्तुत की गई बैंक गारन्टी परिषद् द्वारा समपहृत हो जायगी.

अपवाद :—उपरोक्त शर्तें ऐसे आवेदकों पर लागू नहीं होंगी जो राज्य सरकार हैं परंतु वे उनके बजट में नियमित रूप से निधियां उपलब्ध कराने के लिए वचन देंगे और सहायता अनुदान तब तक देंगे जब तक कि उनके द्वारा उपदर्शित समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार सुविधाएं पूर्णत: उपलब्ध न हो जाएं.

5. **प्ररूप और प्रक्रिया.**—आवेदक द्वारा पात्रता मानदंड और अर्हकारी मानदंड की पूर्ति के अध्यधीन रहते हुए एक नया सह-चिकित्सीय शिक्षा संस्था स्थापित करने की अनुमति के लिए आवेदन निम्नलिखित तीन भागों में प्रस्तुत किया जायगा :—

भाग-क

प्रस्तावित क्षेत्र में शैक्षणिक संस्था स्थापित करने की वांछनीयता और प्रथम दृष्ट्या साध्यता के संबंध में आवेदक का निम्नलिखित विवरण और जानकारी आवेदन (परिशिष्ट) में अंतर्विष्ट होगी :—

(एक) पात्रता मानदंड के निर्देश निबंधन में आवेदक संस्था के गठन के संबंध में जानकारी;

(दो) बुनियादी अधोसंरचनात्मक सुविधाओं और आवेदक की प्रबंधकीय और वित्तीय क्षमताओं के संबंध में जानकारी; और

(तीन) अर्हकारी मानदंड में यथाविहित आवश्यक प्रमाण-पत्र की उपलब्धता और सहमति के संबंध में जानकारी.

भाग-ख

आवेदन के भाग-ख में एक नवीन सह-चिकित्सीय शैक्षणिक संस्था को स्थापित करने की योजना (स्कीम) का विस्तृत विवरण अंतर्विष्ट होगा और निम्नलिखित विशिष्टियों के साथ एक "विस्तृत तकनीकी-आर्थिक साध्यता प्रतिवेदन" भी अंतर्विष्ट रहेगा, अर्थात्:—

(क) संस्था का नाम और पता.

(ख) बाजार सर्वेक्षण और पर्यावरणीय विश्लेषण जिसमें राष्ट्रीय शैक्षणिक नीतिगत आवश्यकता प्रशिक्षित सह-चिकित्सीय मानव शक्ति की उपलब्धता तथा प्रस्तावित स्थान पर एक नया सह-चिकित्सीय शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने की प्रथम दृष्ट्या साध्यता सम्मिलित है.

(घ) उन्नत चिकित्सीय कार्यक्रम जिसमें विस्तार योजना (स्कीम) के अधीन परिकल्पित अतिरिक्त नैदानिक और सह-नैदानिक विषय सम्मिलित हैं.

(ङ) उन्नत क्रियात्मक कार्यक्रम जिसमें विशेषज्ञतावार और सेवावार क्रियात्मक आवश्यकताएं तथा क्षेत्र वितरण एवं विशेषज्ञता वार बिस्तर वितरण (डिस्ट्रीब्यूशन) सम्मिलित है.

(च) भवन कार्यक्रम जिसमें अस्पताल, कर्मचारिवृन्द आवास, छात्रों के छात्रावास और अन्य आनुषंगिक भवनों के अतिरिक्त निर्मित-क्षेत्र का विवरण सम्मिलित है.

(छ) योजना और अभिविन्यास जिसमें, यथास्थिति, अस्पताल काम्पलेक्स का उन्नत मास्टर प्लान या प्रस्तावित नए अस्पताल का मास्टर प्लान, यथास्थिति अभिन्यास योजना, खण्ड, ऊंचाई तथा अस्पताल और आनुषंगिक भवन की तल वार (फ्लोर वाइज) क्षेत्र गणना सम्मिलित है.

(ज) क्षमता में उन्नयन या परिवर्धन, सेवाओं और चिकित्सालयीन सेवाओं के संरूपण का विवरण.

(झ) उन्नत उपस्कर कार्यक्रम जिसमें चिकित्सीय और सहबद्ध उपस्करों की उन्नत क्रमवार सूची, मात्राओं और विनिर्देशों की अनुसूची सम्मिलित है.

(ञ) उन्नत मानव शक्ति कार्यक्रम जिसमें चिकित्सीय, सह-चिकित्सीय और अन्य कर्मचारिवृन्द का पदवार-वितरण (डिस्ट्रीब्यूशन) सम्मिलित है.

(ट) विस्तार स्कीम जिसमें मासिक आधार पर भवन निर्माण के प्रारंभ और पूर्णता, स्थानीय निकाय अनुमोदन, सिविल सन्निर्माण उपदर्शित करते हुए गतिविधियों की मुख्य सूची चिकित्सीय और सहबद्ध उपस्कर, प्रस्तावित शैक्षणिक संस्था के विकास के अनुरूप कर्मचारिवृन्द की भर्ती के उपबंध सम्मिलित हैं.

(ठ) विस्तार स्कीम की परियोजना लागत जिसमें भूमि, भवन, अस्पताल सेवाएं, चिकित्सीय और सहबद्ध उपस्करों, फर्नीचर और साधित्र (फिक्सचर) की अतिरिक्त लागत तथा प्रारंभिक एवं पूर्व प्रचालन व्यय सम्मिलित हैं.

(ड) विस्तार स्कीम की लागत को वित्त पोषित करने के साधन जिसमें आवेदक का अभिदाय और प्राप्त किए अनुदान, दान, प्राप्त उधार तथा अन्य स्रोत, यदि कोई हों, सम्मिलित हैं.

(ढ) राजस्व धारणा जिसमें विभिन्न प्रक्रियाओं और सेवाओं, उन्नत सेवाभार और वार्षिक राजस्व से, आय के ब्यौरे सम्मिलित हैं.

(ण) व्यय धारणा जिसमें प्रचालन व्यय और अवक्षयण सम्मिलित है, और

(त) प्रचालन परिणाम जिसमें आय विवरण, नगदी विवरण और तुलन-पत्र (बेलेंस शीट) सम्मिलित है.

6. आवेदन फीस.--आवेदन, मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद्, भोपाल के पक्ष में मांगदेय ड्राफ्ट/संदाय आदेश के रूप में अप्रतिदेय (नान-रिफन्डेबल) आवेदन फीस के साथ केवल रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद्, भोपाल को (भोपाल में देय) रजिस्टर्ड डाक द्वारा ही प्रस्तुत किया जायगा,--

(एक)	पचास हजार रुपये	स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए,
(दो)	पच्चीस हजार रुपये	उपाधि पाठ्यक्रम के लिए
(तीन)	पन्द्रह हजार रुपये	पत्रोपाधि (डिप्लोमा) पाठ्यक्रम के लिए
(चार)	दस हजार रुपये	प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम के लिए (प्रति प्रमाण-पत्र)

डिमांड ड्राफ्ट/पे आर्डर के प्ररूप में मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद्, भोपाल के पक्ष में देय होगा.

(5) परिषद् कोई अन्य जानकारी को प्राप्त कर सकेगी, जिसे वह उचित और आवश्यक समझे.

11. निरसन तथा व्यावृत्ति.—मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद् (सह-चिकित्सीय) संस्थाओं की स्थापना हेतु मानक तथा मार्गदर्शक सिद्धान्त) विनियम, 2001 एतद्द्वारा निरस्त किये जाते हैं :—

परन्तु इस प्रकार निरसित किए गए विनियमों के अधीन की गई कोई कार्रवाई या पारित किया गया कोई आदेश इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई कार्रवाई या किया गया आदेश समझा जाएगा.

परिशिष्ट

नए सह-चिकित्सीय शिक्षण संस्था की स्थापना की अनुज्ञा के लिये आवेदन पत्र

[अधिनियम की धारा 23 (2) (1) देखिये]

1. आवेदक का नाम ..... (स्पष्ट अक्षरों में)
2. पता ..... (स्पष्ट अक्षरों में)
3. रजिस्ट्रीकृत कार्यालय ..... (नम्बर, गली, शहर, टेलीफोन, टेलेक्स, फेक्स नम्बर)
4. गठन (राज्य सकार/यू. टी./विश्वविद्यालय/ स्वशासी निकाय/सोसायटी/न्यास (ट्रस्ट)
5. रजिस्ट्रीकरण/निगमन (नम्बर तथा तारीख)

संलग्नकों की सूची

1. उपविधियों/संस्था के ज्ञापन तथा नियमावली/ न्यास विलेख की प्रमाणित प्रतिलिपि.
2. प्रमाणक/रजिस्ट्रीकरण/निगमन की प्रमाणित प्रतिलिपि
3. विगत तीन वर्षों की वार्षिक रिपोर्ट तथा लेखा अंकेक्षित तुलनपत्र.
4. स्वामित्व के सबूत के रूप में कुल उपलब्ध भूमि के हक विलेख की प्रमाणित प्रतिलिपि.
5. उपबंध स्थलों की क्षेत्रीय योजना की प्रमाणित प्रतिलिपि उनके भूखण्ड उपयोग दर्शाते हुए.
6. विद्यमान चिकित्सालय के स्वामित्व का सबूत
7. संबंधित राज्य सरकार/संघ द्वारा जारी अनिवार्यता प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि.

(ii) That where the applicant has arranged minimum 50 beds hospital, for three para medical certificate courses, the application for permission of such applicant may be considered and permitted after being satisfied.

(iii) That the institution which wishes to conduct Para-Medical Courses in any district except the district of Divisional. Head quarter and has obtained affiliation from District Hospital, the application for permission may be considered on the basis of maximum four institutions in each district and two institutions in the Tahsil and Block and have been recognized by the district Hospital/Health Centre.

(f) That the applicant has a feasible and time bound programme to set- up the Sansthan along with required infrastructural facilities including adequate hostel facilities for boys and girls as prescribed by the council which commensurate with the proposed intake of students so as to complete the Sansthan within a period of four years for degree, two years for diploma and one year for certificate courses from the date of grant of such permission.

(g) (i) The Sah Chikitsiya Shikshan Sansthan shall admit students only after the Parishad is satisfied about infrastructural and other facilities for starting such courses.

(ii) If in future the recognition of any Sansthan is withdrawn on any ground then the Parishad shall have the right to transfer the students of such Sansthan to any other recognized Sansthan.

(h) That the applicant has the necessary managerial and financial capabilities to establish the proposed Shikhan Sansthan and its ancillary facilities like teaching staff etc.

(i) That the applicant institution along with application shall provide three years audit report of the chartered Accountant regarding its financial position.

(j) That the applicant shall submit a bank guarantee of rupees three lacs for one to three courses, five lacs for one to ten courses and for more than ten courses in addition to five lacs, at the rate of two lacs for each additional course for all subjects in favour of the Parishad, for fulfillment infrastructural, teaching and other norms fixed by the Parishad.If the Parishad is of the opinion that the institution is not working as per rules, then the bank guarantee submitted by the institution shall be forfeited to by the Parishad.

Exception.—The above condition shall not apply to applicants who are State Government provided they shall give an undertaking to provide funds in their budget regularly and give grant-in-aid till facilities are fully provided as per the time bound programme indicated by them.

5. **Forms and Procedures.**—Subject to the fulfillment of the eligibility criteria and qualifying criteria, the application for permission to establish a new Para-Medical Educational Institution shall be submitted by the applicant in the following three parts :—

PART—A

Part -A—The application (Appendix) shall contain the following particulars of the applicant and information regarding desirability and prima facie feasibility of setting up an educational institution at the proposed location :—

(i) Information regarding constitution of applicant's organization within the terms of reference of eligibility criteria;

(ii) Information regarding basic infrastructural facilities, managerial and financial capabilities of the applicant; and

(iii) Information regarding availability of necessary certificates and consents as prescribed in the qualifying criteria.

(c) Details about the additional land for expansion or for setting-up new hospital including land particulars, distance from the proposed educational institution, plot size, authorized land usage, soil condition, road access availability of public transport, electric supply, water supply, sewage connection, telephone lines etc.

(d) Up-graded medical programme which includes additional clinical and Para-clinical disciplines envisaged under the expansion scheme.

(e) Up-graded functional programme which includes specialty-wise and service wise functional requirements and area distribution and specialty wise bed distribution.

(f) Building programme which includes details of additional built-up area of hospital, staff housing, hostel of students and other ancillary buildings.

(g) Planning and layout which includes upgraded master plan of the hospital complex or master plan of the proposed new hospital as the case may be, along with layout plans, sections, elevations and floor wise area calculation of the hospital and ancillary buildings.

(h) Details of upgradation or addition in the capacity, configuration of services and hospital services.

(i) Upgraded Equipment programme which includes up-graded room-wise list of medical and allied equipment, schedule of quantities and specifications.

(j) Upgraded manpower programme which includes category wise distribution of medical, paramedical and other staff.

(k) Expansion scheme which includes month wise Master Schedule of activities indicating commencement and completion of building, local body approval, civil construction, provision of medical and allied equipment, recruitment of staff commensurate with the development of proposed educational institution.

(l) Project cost of expansion scheme which includes additional cost of land, building, hospital services, medical and allied equipment, furniture and fixture and preliminary and pre-operative expenses.

(m) Means of financing the cost of expansion scheme which includes contribution of applicant and grants, donations, loans received and other sources, if any.

(n) Revenue assumption which includes details of income from various procedures and services, upgraded service loads and annual revenue.

(o) Expenditure assumptions which includes operating expenses and depreciation, and

(p) Operating result which includes Income Statements, Cash flow statement, and balance sheet.

6. **Application Fee.**—The application shall be submitted by registered post only to the Registrar, Madhya Pradesh Sah Chikitsiya Parishad, Bhopal along with a non-refundable application fee,—

(i)	Rupees fifty thousand	-	For post graduation course.
(ii)	Rupees twenty five thousand	-	For degree course
(iii)	Rupees fifteen thousand	-	For Diploma Course
(iv)	Rupees ten thousand	-	For certificate course (per certificate)

In the form of demand draft/pay order in favour of Madhya Pradesh Sah Chikitsiya Parishad, Bhopal, payable at Bhopal.

The fee is for registration, Technical security contingent expenditure and for the inspections / evaluation of the examination at the end of each professional examination. Beyond one inspection, normal inspection fee as may be prescribed by the Parishad, shall apply. If the inspection of the institution is not done before starting educational session by the inspection committee directed by the Parishad / State Government then after deducting 10% amount from the fee deposited by the Institution, the remaining amount of fee shall be considered to be refunded on the request of the Institution.

APPENDIX

Application for Permission to establish a new paramedical Educational Institution

[*See* Section 23(2) (!) of the Act]

1. Name of the Applicant _____
   (in block letters) S/o. _____
2. Address (in block _____
   Letters) _____
3. Registered Office _____
   (Number, street, _____
   City telephone, telex, _____
   Fax Number) _____
4. Constitution (State _____
   Government / U.T./University/ _____
   Autonomous _____
   Body/ Society/Trust) _____
5. Registration ! _____
   Incorporation _____
   (Number and Date)

List of Enclosures

1. Certified copy of Bye-laws Memorandum and Article of Association Trust Deed.
2. Certified copy of certification Registration / Incorporation.
3. Annual Report and Audited Balance sheet for the last 3 years.
4. Certified copy of the title deed of the total available land as a Proof of ownership.
5. Certified copy of the Zoning Plane of the available site indicating their land use.
6. Proof of ownership of the Existing hospital.
7. Certified copy of the Essentiality Certificate issued by the respective State Government / Union.

निदेशक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2009

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153, दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.

पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 209] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 5 जून 2009—ज्येष्ठ 15, शक 1931

चिकित्सा शिक्षा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 जून 2009

क्र. 1859-3143-07-1-पचपन.—मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद् अधिनियम, 2000 (क्रमांक 1, सन् 2001) की धारा 23 की उपधारा (2) के खण्ड (झ) के साथ पठित धारा 46 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद्, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद् (सह-चिकित्सीय संस्थाओं की स्थापना हेतु मानक तथा मार्गदर्शक सिद्धांत) नियम, 2007 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त विनियम में खण्ड 4 के उप-खण्ड (ग) का लोप किया जाए.

No. 1859-3143-07-1-LV.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 46 read with clause (i) of sub-section (2) of Section 23 of the Madhya Pradesh Sah-Chikitsiy Parishad Adhiniyam, 2000 (No. 1 of 2001), the State Government hereby makes the following amendment in the Madhya Pradesh Paramedical Council (Establishment of Paramedical Institution-Guidelines) Regulation, 2007, namely :—

AMENDMENT

In the said Regulation in Clause 4, sub-clause (C) shall be omitted.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजया श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2009.

Annexure

(1)

परिषद की विषय अनुसूची में सम्मिलित पाठ्यक्रमों एवम् पाठ्यक्रम संचालन हेतु आवश्यक भवन, मापदण्डों का विवरण

S.NO.	SUBJECT	PEROID	Building (Sq.ft.)
01	a. Physiotherapy b. Occupational Therapy c. M.P.T. (Ortho, Sports, Neuro, Obst. & Gynac, Cardiothorasic)	4-1/2 Years Degree 4-1/2 years Degree **2 Years P.G.**	16,500 16,500 3,000
02	Speech Therapy	1 Year 4-1/2 years Degree } Total	16,500
03	Audiologist	1 Years M.Sc.	1,600
04	Laboratory Technician (Various Type) a. Pathology b. Blood Transfusion b. Anesthesia d. Respiratory Technician	1 Year 1 Year } Total 2 Years 2 Years	6400
05	a. CT MRI Technician b. X-Ray Radiographer Technician	1 Year Certificate 2 Years Diploma } Total 3 years Degree	4,800 5,500
06	B.C.G. Technician	1 Year	1,600
07	Cyto-Technician	1 Year	1,600
08	Ortho-Technician	1 Year	1,600
09	Mould Room Technician (Syllabus not Ready)		
10	Gamma Camera Technician/Radiotherapy Technician	2 Years	3,200
11	Orthotic Technician (this course is not needed now)		
12	Optometrist Refraction	2 Years	4,800
13	Optometrist Contact lenses	2 Years	1,600
14	ECG Technician	1 Year	1,600
15	Ultra Sound Technician	1 Year	1,600
16	Angiography Technician	1 Year	3,200
17	Operation Theatre Technician	1 Year	3,200
18	Human nutrition	2 Years Diploma **(Total)** 3 years Degree	4,000 3,200
19	Dialysis Technician	2 Years Diploma	3,200
20	Insulation Therapy Technician (Syllabus could not be prepared)	----------	---------
21	Health Inspector	1 Year	3,200
22	Hospital Medical Record Science	2 Years	3,200
23	a. Compouder (Allopathic) (Closed) b. Compouder (Ayurvedic) c. Compouder (Unani)	2 Years Diploma 1 Year 1 Year	--------- 3,200 3,200
24	Compouder (Homoeopathy & Biochemistry)	1 Year	3,200
25	Diploma in Clinical Biochemistry	2 years	4,800
26	Microbiology	2 years	2,600
27	Pathology	2 years 3 years	4,000
28	Optometric-Refraction	2 years	4,800
29	Paramedical Ophthalmic Assistant	2 years	1,600
30	Per fusionist/Cardiac Surgery Technician	2 years 1 year	1,600
31	Cath Lab Technician	2 years	1,600
32	Naturopathy	1 Year 2 Years 3 Years	4,800 3,000
33	Yoga	1 Year 2 Years 3 Years	4,800 4,000

34	Mahila Ayurved Swasthya Karyakarta Prakshishan Patyakarm	1 Years	800- 1,600
35	Diploma in Ayurved Pharmacy (D Pharma, Ayurved)	2 Years	3,200 1,600
36	Panchkaram Technician	1 Year	800
37	Multipurpose Health Worker (Male)	1-1/2 Years	3,200
38	Dental Mechanics	1 Year	2,400
39	Dental Hygiene	1 Year	3,200
		TOTAL	1,78,300

नोट :– सरल क. 9, 11, 20, 23(a), 37 पाँच सह-चिकित्सीय पाठ्यक्रम वर्तमान में संचालित नहीं है।